खण्ड-154, अंक-5
मंगलवार, 1 भाद्रपद, शक संवत् 1877
(23 अगस्त, 1955 ई0)

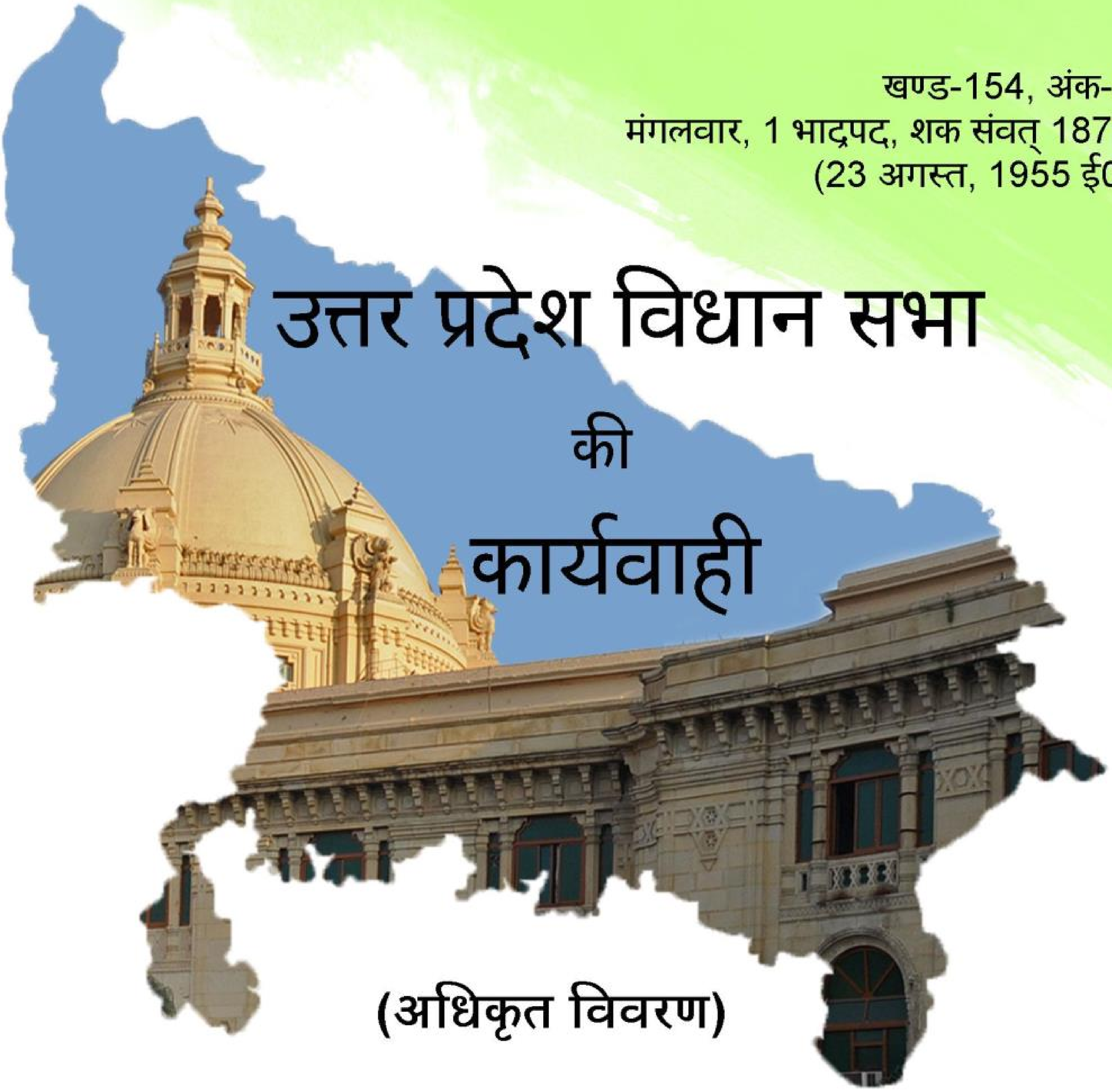

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 154 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमालअहमद रिज़वी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
.ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री , श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन , श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़अली ख़ां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम ख़ां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

तारांकित प्रश्न

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की आवश्यकता

*१—**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को बनाने की सिफारिश राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से की है या करने की बात पर विचार कर रही है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी नहीं।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार को यह विदित है कि सन् १९२४ में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का सर्वे किया गया था और उसके फाइनल पिलर्स भी बन गये थे, जो कि अभी तक विद्यमान हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय ने इस बात की जानकारी करने का प्रयत्न किया है कि किन कारणों से इस रेलवे लाइन का सर्वे किया गया था ?

लक्ष्मीरमण आचार्य—मैंने तो उत्तर दिया था कि मुझे उसका ज्ञान नहीं कि कोई सर्वे हुआ, इसलिये जिन कारणों से वह हुआ वह कहा नहीं जा सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ऋषिकेश और कर्णप्रयाग की जो लाइन है, जिसका सर्वे हो चुका है, उसकी फाइल निकलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यदि माननीय सदस्य इसके सम्बन्ध में कोई सूचना देंगे तो उसका भी प्रयास किया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि पर्वतीय प्रदेशों में भी रेलें जा सकती हैं और रेलों का निर्माण किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—यह रेल का विभाग इस सरकार का नहीं है।

सिंचाई विभाग कृषि इंजीनियरिंग के अन्तर्गत वर्कशापों के संचालन में व्यय और आय

*२—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के मातहत वर्कशाप पर १९५२-५३ में कुल कितना रुपया लागत पर खर्च हुआ तथा उससे कितनी आय हुई ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—सिंचाई विभाग के कृषि इंजीनियरिंग सर्किल के अन्तर्गत वर्कशापों के संचालन पर १९५२–५३ में ९,७४,७७७ रु० व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त १,६८,८०१ रु० इमारतों तथा मशीनों की लागत पर व्यय हुआ। इस व्यय के विरुद्ध वर्कशापों से १९५२–५३ में ९,२४,३८२ रु० की आय हुई।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—कुल कितने वर्कशाप थे, क्या सरकार बताने की कृपा करेगी, और अब कितने वर्कशाप हैं? उनमें कितने चालू दशा में हैं?

श्री राममूर्ति—सन् १९४७–४८ में बरेली में एक सेंट्रल वर्कशाप खोला गया था और मेरठ, झांसी और लखनऊ में ३ जोनल वर्कशाप खोले गये थे। कुछ ग्रामीण वर्कशाप भी खोले गये थे। इनमें से अब बरेली है, मेरठ है, लखनऊ और झांसी है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि इन वर्कशापों के लिये लगभग २९,३३,००० रुपया का सामान और औजार खरीदे गये थे, जिनमें से केवल आधे ही का सामान विभाग के पास रह गया है?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी, यह सही नहीं है कि २९ लाख रुपया का सामान खरीदा गया। १९५२–५३ के वर्ष के अन्त में १२,१७,००० रुपये की मशीन वगैरा खरीदी गयीं, २९ लाख रुपया शायद इमारतों में लगा होगा। जो मशीन वगैरह खरीदी गयी थीं, वह पूरी तरह से मौजूद हैं।

कृषि इंजीनियरिंग सर्किल के अन्तर्गत सिंचाई के पंपिंग प्लांट्स

*३—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग के मातहत सिंचाई के पम्पिंग प्लान्ट्स आदि की भी योजनायें हैं जो घाटे पर चलती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्री राममूर्ति—कृषि इंजीनियरिंग सर्किल के अन्तर्गत किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से झीलों, तालाबों इत्यादि पर पम्पिंग प्लान्ट लगाने की एक योजना थी, परन्तु कुछ कठिनाइयों वश व्यय के अनुपात में उससे पूरा लाभ नहीं होता था। अतः वह योजना अब लगभग बन्द कर दी गई है। २० हार्स पावर से कम के प्लान्ट आधे मूल्य पर सहकारी समितियों को दिये जा रहे हैं। २० तथा इससे अधिक हार्स पावर के प्लान्ट विभाग द्वारा ही चलाये जायेंगे। कृषि इंजीनियरिंग सर्किल, सिंचाई विभाग का एक भाग है। अतः प्लान्टों को सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता।

*४—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—[८ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मऊरानीपुर नगरपालिका (झांसी) की सड़कों की मरम्मत के लिए रोलरों का अभाव

*५—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार ने म्युनिसिपल बोर्ड मऊरानीपुर (झांसी) को सड़कों की मरम्मत के लिये तीस हजार रुपये मार्च, १९५३ में मंजूर किये थे?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—जी हां।

*६—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सड़कों के अभी तक न बनने का क्या कारण है?

श्री कैलाशप्रकाश—बोर्ड के पास अपना निजी रोड रोलर नहीं है। सड़कों की कुटाई के लिये इसकी आवश्यकता थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग से मांग की गयी थी पर वे समय पर रोलर बोर्ड को न दे सके जिसके फलस्वरूप सड़कों की मरम्मत अभी तक नहीं हो सकी।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री रोलरों की ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जिससे ऐसे बोर्डों को और टाउन एरियाज़ को समय पर रोलर मिल जाया करे ?

श्री कैलाशप्रकाश—प्रश्न पर विचार करना होगा, अभी कोई ऐसी व्यवस्था अपने पास नहीं है।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार को इस बात का इत्मीनान है कि यह रुपया किसी और मद में नहीं खर्च किया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी, बिल्कुल इत्मीनान है और किसी मद में खर्च नहीं हो रहा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि किसी म्युनिसिपैलिटी या टाउन एरिया में जो सड़क पक्की बनायी जाती है तो यह जरूरी है कि वे रोलर खरीदें ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, यह जरूरी नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या मऊरानी टाउन एरिया की सड़क को पक्की बनाने के लिये वहां के टाउन एरिया ने पी० डब्ल्यू० डी० से रोलर को काम में लाने के लिये मांगा था और उन्हें दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—मऊरानी में कोई टाउन एरिया तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष—आप उसको म्युनिसिपैलिटी समझ लीजिये। उनकी जबान जरा पलट जाती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या उस म्युनिसिपैलिटी ने पी० डब्ल्यू० डी० से किराये पर रोलर मांगा था जिससे सड़क मजबूत की जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां। उसने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से रोलर मांगा था और वह चूंकि नहीं मिल सका इसलिये सड़क नहीं बन पायी। अब फिर मांगने की व्यवस्था कर रहे हैं।

टाउन एरियाओं में सार्वजनिक शौचालयों की आवश्यकता

*७—**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि वह ऐसा आदेश देने का विचार कर रही है कि सभी टाउन एरियाओं में सार्वजनिक शौचालय अनिवार्यतः बनाया जाय ?

स्वशासन मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी नहीं।

*८—**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)—अगर हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में टाउन एरियाओं को आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले में अमिला टाउन एरिया को सड़क निर्माण के लिये आर्थिक सहायता की आवश्यकता

*९—**श्री झारखंडेराय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अमिला (आजमगढ़) टाउन एरिया ने सड़क निर्माण के लिये किसी विशेष धन की प्रार्थना उससे की है ? यदि हां, तो कितना और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सैयद अली जहीर—टाउन एरिया कमेटी, अमिला का सड़क निर्माण के लिये आर्थिक सहायता के हेतु कोई आवेदन-पत्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ।

*१०-१२--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--[१९ अगस्त, १९५५ को प्रश्न संख्या १६-१८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

जिला टेहरी-गढ़वाल में कोटेश्वर तीर्थ स्थान पर गंगा नदी पर पुल का अभाव

*१३--श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार को विदित है कि जिला टेहरी (गढ़वाल) में तहसील देवप्रयाग के अन्तर्गत पट्टी कबीली में गंगा नदी के ऊपर कोटेश्वर नामक प्रमुख तीर्थस्थान पर पुल नहीं है जिससे यात्रियों तथा स्थानीय जनता को लगभग १५-२० मील दूर टिहरी या देवप्रयाग पर नदी पार करने के लिये जाना पड़ता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस स्थान पर कोई पुल नहीं है पर जनता ने टेहरी और देवप्रयाग के बीच कुछ झूले बना रक्खे हैं जिनके द्वारा नदी को पार किया जाता है ।

*१४--श्री सत्यसिंह राणा--क्या यह सही है कि जिले की भूतपूर्व सरकार ने उक्त पुल के बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था ? यदि हां, तो उसे क्यों स्थगित किया गया और अब कब तक उसको बनवाया जावेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां । इस पुल के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ली गयी भूतपूर्व टेहरी रियासत की किसी सड़क पर न पड़ने के कारण तथा धनाभाव के कारण कोई कार्य नहीं किया जा सका ।

इस पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायगा ।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार को जानकारी है कि यह झूला जो कच्ची घास का बनाया जाता है उसमें अक्सर आदमी गिर कर बह जाते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सम्भवतः ऐसा कभी-कभी होता हो ।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार इस बात की सम्भावना को देखते हुये कि ऐसे झूलों में अक्सर ऐसे खतरे पैदा हो जाया करते हैं, और जानवरों के लिये आदान-प्रदान की कोई सुविधा नहीं है, इस बात की व्यवस्था करने का प्रबंध करेगी कि वह पुल जल्दी बन जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब जनता कच्चे झूले बनाती है तो उसकी इजाजत पी०डब्लू०डी० देता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह बहुत पुराने झूले हैं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय मंत्री जी ने कहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायगा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस पर अभी तक विचार नहीं हुआ है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--हो रहा है ।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात की जानकारी प्राप्त की है कि यह जो बहुत पुराने झूले हैं यह किसकी इजाजत से बनाये गये थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--ऐसी कोई जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है अगर सूचना मांगी जायगी तो दी जा सकती है ।

बुलन्दशहर जिले में जमालपुर ग्राम की डिग्गी नयी भूमि का नीलाम

*१५--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कोठी बांजरपुर (नहर मांट ब्रांच) से २ मील ऊपर नहर द्वारा बनायी गयी डिग्गी (नयी भूमि) जुलाई सन् १९५४ से आज तक कितनी बार नीलाम की गयी ?

श्री राममूर्ति--जमालपुर ग्राम की डिग्गी नयी भूमि का कृषि हेतु पट्टे पर उठाने के लिये जुलाई सन् ५४ से तीन बार नीलाम किया गया ।

*१६--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह भूमि नहर विभाग को प्रारम्भ में किसानों से किस शर्त पर मिली ?

श्री राममूर्ति--यह भूमि सिंचाई विभाग में भूमि प्राप्ति अधिनियम (Land Aquisition Act) के अन्तर्गत प्रतिकर देकर माट ब्रांच के बायें किनारे मील ५:७:३५४ पर सिल्ट ट्रैप बनाने के लिये प्राप्त की गयी थी ।

*१७--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम जमालपुर, तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दहशहर के किसानों की इस भूमि को लेने के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो वह काश्तकारों को भूमि किस शर्त पर देने के लिये तैयार हैं ?

श्री राममूर्ति--केवल एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ११-९-५४ को श्री हरिसिंह, निवासी ग्राम जमालपुर का प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अपनी भूमि जो सिल्ट ट्रैप के लिये ले ली गयी थी वापस करने के लिये प्रार्थना की है । कृषकों को भूमि वापस करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तीन बार नीलाम करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री राममूर्ति--क्योंकि ३० सितम्बर, १९५४ को जब पहला कंट्रैक्ट हुआ था तो उसमें रुपये की मात्रा अधिक थी, बाद को रुपया कम हुआ तो एक दफा के बाद दुबारा नीलाम किया गया फिर भी रुपया कम रहा इसलिये तीन बार नीलाम हुआ ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या यह बात सही है कि प्रथम बार नीलाम किया गया और पहली बोली किसानों के लिये छोड़ दी गयी तो दुबारा नीलाम की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री राममूर्ति--यह बात तो नहीं है, प्रथम बार की बोली १२०५ रुपये की हुयी और दूसरे बार की १४३६ रुपये की हुयी ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिकर के रूप में किसानों को कितना रुपया दिया गया है, जब कि उनसे जमीन ली गयी थी ?

श्री राममूर्ति--इसका ब्योरा तो मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या यह सही है कि आज तक किसानों को प्रतिकर के रूप में एक भी पैसा नहीं दिया गया जब कि सरकार का यह आश्वासन था कि जमीन ठीक हो जाने पर वापस कर दी जायगी ?

श्री राममूर्ति--सरकार की ओर से ऐसी लगो बात तो होती नहीं है । जब जमीन ली गयी होगी तो रुपया जरूर दिया गया होगा । अगर नोटिस देंगे तो बतला दूंगा कि कितना रुपया दिया जा चुका है ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को ही सूचना समझ कर बतलायेंगे कि इस समय तक कितना धन दिया जा चुका है ?

श्री राममूर्ति—आप मेरे कमरे में ४-६ रोज के बाद आयेंगे तो बतला दूंगा।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह भूमि कितनी एकड़ है ?

श्री राममूर्ति—यह कुल जमीन ४५·८१३ एकड़ है, लेकिन कल्चरेबिल लैन्ड ३.१८९ एकड़ है।

झांसी जिले में सियावरी तालाब की मरम्मत

*१८—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत मास ग्राम सियावरी (झांसी) के सरकारी तालाब के पानी से किस-किस गांव को कितना-कितना नुकसान पहुंचा ?

श्री राममूर्ति—जहां तक सरकार को मालूम है सियावरी तालाब के पानी से किसी ग्राम को क्षति नहीं हुयी।

*१९—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त तालाब की कब से मरम्मत नहीं हुयी, और अभी हाल ही में उसके बनवाने के लिये कितने रुपये का ठेका हुआ है ?

श्री राममूर्ति—सियावरी तालाब की मरम्मत हर वर्ष आवश्यकतानुसार होती है। सन् १९५४ वर्ष की अत्यधिक वर्षा व बाढ़ से इस तालाब की इस्केप वाल (escape wall) बह गयी और तालाब की मरम्मत पर ९३,७१३ रु० ५ आ० व्यय हुआ जिसमें ठेके द्वारा किया गया खर्च ६०,०३८ रु० शामिल है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ६० हजार रुपये के अलावा जो ३३,६७५ रुपया खर्च हुआ तो क्या वह काम अमानी में कराया गया था ?

श्री राममूर्ति—यह कार्य विभाग द्वारा हुआ है।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी इस तालाब का क्षेत्रफल बतलाने की कृपा करेंगे।

श्री राममूर्ति—इसका क्षेत्रफल २७८ एकड़ है।

बस्ती जिले में बांसी तहसील के तालाबों तथा डहरों पर भूमि के पट्टे

*२०—**श्री मथुराप्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके पास सिंचाई के योग्य बस्ती जिला तहसील बांसी के तालाबों तथा डहरों की कोई सूची है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् १२ सरोवर शासन के अधीन आ गये हैं और उनका रखरखाव सिंचाई विभाग द्वारा होता है।

*२१—**श्री मथुराप्रसाद पांडेय** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनमें से कितने तालाबों व डहरों के पट्टे खेती करने के हेतु दिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बजहा तथा बटुआ रिजर्वायर्स पर क्रमशः १२.७५ व १.२५ एकड़ भूमि के पट्टे खेती के हेतु दिये गये हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न सं० २० तथा २१ श्री शिवनारायण ने पूछे।

जिला जालौन में बेतवा नहर से हिम्मतपुर माइनर का निर्माण

*२२—**राजा वीरेंद्रशाह** (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में जो नई माइनर बेतवा नहर से बनायी गयी है वह कब तक जारी हो जायेंगी ?

श्री राममूर्ति—बेतवा कैनाल के अन्तर्गत जितनी नयी माइनरें जिला जालौन में बनाई गयी थीं वे सब सिंचाई कर रही हैं और जो माइनरें अब बन रही हैं जून, १९५६ तक पूर्ण होने पर सिंचाई करना आरम्भ करेंगी ।

राजा वीरेंद्रशाह—क्या कृपा कर माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो माइनर बन रहा है वह कब से शुरू हुआ और उसके बनाने में इतनी देर क्यों हुयी ?

श्री राममूर्ति—हिम्मतपुर-कसौरा डिस्ट्रिब्यूटरी बन रही है । १९५६, जून तक यह कार्य पूरा हो जायगा । जिसको आप देर समझते हैं वह देर नहीं हुयी । राज वगैरह के न होने की वजह से उसमें विलम्ब हुआ ।

राजा वीरेंद्रशाह—क्या यह सही नहीं है कि हिम्मतपुर माइनर करीब ३ साल से बन रहा है, और इसी वजह से सन् ५६ तक बनने की आशा की जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बहुत से जरूरी काम साथ-साथ हो रहे हैं, माननीय सदस्य को इतना अधीर नहीं होना चाहिये ।

राजा वीरेंद्रशाह—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम नहीं है कि इस माइनर के बनने में नहर के लेविल में कुछ फाल की गलती का एक टुकड़ा ऐसा रह गया था जिसकी वजह से खर्चा ज्यादा हुआ और ज्यादा देर भी लग रही है ?

श्री राममूर्ति—ब्योरेवार तो ज्यादा मालूम नहीं है । कोई गलती इस प्रकार की हो भी सकती है ।

परगना लहरपुर, जिला सीतापुर में पक्के कुओं तथा नलकूपों के निर्माण हेतु सहायता

*२३—**श्री बशीर अहमद हकीम** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परगना लहरपुर, जिला सीतापुर में अब तक कितने पक्के कुयें तथा नलकूप बनाने के लिये किन-किन को कितनी-कितनी रकम दी गयी है ?

श्री राममूर्ति—पिछले तीन वर्षों अर्थात् १९५३, १९५४ तथा १९५५ में पक्के कुयें तथा नलकूप बनाने के लिये परगना लहरपुर, जिला सीतापुर में जिन व्यक्तियों को जो तकावी दी गयी है उसका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४५८ पर ।)

श्री बशीर अहमद हकीम—क्या सरकार को ज्ञात है कि यह जो सूची में कुयें दिये हुये हैं यह सब बन गये हैं या नहीं ?

श्री राममूर्ति—मैं यह तो नहीं बतला सकता हूं कि सब कुयें बन गये हैं लेकिन जब रुपया उनको दिया गया है तो बन गये होंगे ।

श्री बशीर अहमद हकीम—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि नम्बर ४ और ५ पर जो नाम सूची में दिये गये हैं, उसमें इन रकमों के अलावा और भी कोई रकम सहायता के रूप में दी गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह जो रकम ४ और ५ में दी गयी है यह नलकूप बनाने के लिये दी गयी है यानी कोआपरेटिव ट्यूबवेल। और अभी इन्होंने काम शुरू नहीं किया है ऐसी रिपोर्ट है। नियमानुसार ५ हजार की तकावी दी जाती है नलकूप बनाने के लिये और उसके साथ-साथ ५ हजार की सहायता भी हम देते हैं। लेकिन जब नलकूप बन जाता है तो एक वर्ष के अन्दर यदि काम शुरू नहीं हुआ तो इस पूरी रकम को वसूल करने का अधिकार जिला मैजिस्ट्रेट को है।

श्री बशीर अहमद हकीम—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह दोनों नाम एक ही घर के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका पता मुझे नहीं है।

तरबगंज और गोंडा तहसीलों में कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई

*२४—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा की तहसील तरबगंज और तहसील गोंडा में कितनी एकड़ भूमि कृषि योग्य है और उसमें सरकार द्वारा व्यवस्थित सिंचाई का प्रबंध कितनी भूमि पर है, और कितने एकड़ पर वह प्रबंध करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—जिला गोंडा की तरबगंज में १,२४,९९० एकड़ और तहसील गोंडा में ८४,६३५ एकड़ भूमि कृषि योग्य है। मौजूदा ३० नलकूप गोंडा तहसील में लगभग ३०,००० एकड़ भूमि कमान्ड करते हैं। गोंडा और तरबगंज तहसील में ५० नये नलकूप इसी वर्ष बनाये जायेंगे, जो बन जाने पर ५०,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि कमान्ड करेंगे। इसके अलावा दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत ७० नये नलकूप बनाने का प्रस्ताव है जो लगभग ७०,००० एकड़ भूमि कमान्ड करेंगे।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो गोंडा और तरबगंज तहसीलों में ८० नलकूप लगाये गये हैं उनसे केवल १,८०,००० एकड़ जमीन की सिंचाई होगी तथा बाकी १,६९,६२५ एकड़ जमीन बच गयी है उसकी सिंचाई का क्या प्रबंध है ? जो ७० नलकप दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाये जा रहे हैं वे इन्हीं तहसीलों में लगाये जायेंगे या किन्हीं दूसरी तहसीलों में ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य ने जो जोड़ लगाया है उसमें कुछ गलती है। हमारे लिहाज से २,८०,००० एकड़ जमीन आती है, जिसमें से हमारे हिसाब से डेढ़ लाख एकड़ जमीन का प्रबंध हो गया और बाकी जो जमीन रह गयी है रोटेशन से उनको पानी दिया जाता है। यह बात नहीं है कि सब जमीन को एक ही मर्तबा पानी दिया जाता हो।

गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में कूप-निर्माण के लिये सरकारी सहायता

*२५—**श्री गौरीराम** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के अन्तर्गत कितने कुयें सन् १९५२-५३ में और १९५३-५४ में सरकारी सहायता से बने ?

श्री राममूर्ति—फरेंदा तहसील में १९५२-५३ वर्ष में ५० व १९५३-५४ में ३२ पक्के कुयें सरकारी सहायता से बने।

श्री गौरीराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ५२-५३ में ५० और ५३-५४ में ३२ कुयें जो बनाये गये उसमें कितनी-कितनी सहायता सरकार की ओर से दी गयी और जनता ने कितना रुपया लगाया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--५२-५३ में बेसूदी तकावी की दर ५०० रुपया थी और राज्य सरकार की ओर से ४०० रुपया पहले तकावी के रूप में दिया जाता है, और जब कुआं पूरा हो जाता है और सार्टिफिकेट आ जाता है कि कुआं बन गया तो वह ४०० रुपये की सहायता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ५२–५३ में ५०० रुपया तकावी और ४०० रुपया सहायता दी गयी। ५३–५४ में ५०० रुपया तकावी और ४०० रुपया सहायता तथा ५४–५५ में ५०० रुपया तकावी और ३०० रुपया सहायता प्रति कुआं दी गयी।

श्री गौरीराम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी जो ये कुयें बनाये गये हैं उनमें कितने कुयें फरेंदा के मध्य में और कितने दक्षिण में बनाये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उत्तर और दक्षिण की बात बताना तो मुश्किल है, लेकिन इस तहसील में ५२–५३ में ५० और ५४–५५ में ३२ कुयें बनाये गये हैं, जिनमें से ५० कुओं को सरकारी सहायता मिल चुकी है यानी वे कुयें पूरे हो चुके हैं, और तकावी की रकम सब्सीडी में परिवर्तित हो चुकी है। ३२ के लिये रुपया दिया जा चुका है तथा ५० का रुपया मनीआर्डर द्वारा दे दिया गया है।

जिला सीतापुर में नहरों का विस्तार

*२६--**श्री बशीर अहमद हकीम**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९४८–४९ से अब तक जिला सीतापुर में नहरों का विस्तार कितना, कहां–कहां हुआ है ?

श्री राममूर्ति--सीतापुर जिले में १९४८–४९ से १९५३–५४ तक नहरों के विस्तार के वितरण की एक सूची माननीय सदस्य के मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४५९–४६० पर।)

श्री बशीर अहमद हकीम--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह जो नहरों का विस्तार किया जाता है वह जनता की मांग के आधार पर होता है या मुहकमे की रिपोर्ट पर ?

श्री राममूर्ति--इसमें दोनों ही बातें शामिल हैं।

श्री बशीर अहमद हकीम--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन पांच वर्षों में सीतापुर की तीन तहसीलों बिस्वां, सीतापुर और मिश्रिख में न होने के बराबर नहरों का विस्तार क्यों हुआ ?

श्री राममूर्ति--यह तो कहना मुश्किल है कि न होने के बराबर है। सरकार तो अपनी तरफ से काफी समझ रही है। माननीय सदस्य कम समझते हैं तो मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन उन्होंने इधर ध्यान आकर्षित किया है तो और ज्यादा कोशिश करेंगे कि ज्यादा नहरें बढ़ायी जायं।

*२७२८--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--[२७ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बांध योजना

*२९--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत चालू पंचवर्षीय योजना में कहां-कहां बांध कितने रुपये की लागत के बनाये जाने वाले हैं ?

श्री राममूर्ति--चालू पंचवर्षीय योजना में आजमगढ़ जिले में बेसू-गंगी सिंचाई योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर बांध बनाये जायेंगे--

बान्ध	लागत
१--जगदीशपुर बांध	९६,९१५ रु०
२--औरा नदी पर ४ बंधियां	१,६३,०४३ रु०
३--उदन्ती नदी पर बहुत सी बंधियां	१,२६,३८३ रु०

इसके अतिरिक्त हाहा नाला बन्ध पर, जिसका अनुमानित व्यय ४,५०,००० रुपया है, निर्माण हो रहा है, और घाघरा नदी पर महोला गढ़वाल बन्ध बनने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बेसू गंगी योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के साथ साथ वह अवश्य समाप्त हो जायेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि हाहा नाला योजना का काम कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उसमें कुछ काम तो हो गया है, माननीय सदस्य को उसका ज्ञान भी होगा, क्योंकि वह उन्हीं के क्षेत्र में है। मेरा ख्याल है कि सन् ५६ के जून तक तो हम उसे पूरा कर ही लेंगे।

जिला आगरा में पक्की सड़कों का निर्माण

*३०—**श्री पुत्तूलाल** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि गत वर्ष कुल कितने मील पक्की सड़क जिला आगरा में बनायी गयी और कहां-कहां बनायी गयी ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—१९५३-५४ में आगरा जिले में १ मील ३ फरलांग और ६० फिट लम्बी निम्नलिखित पक्की सड़कों का निर्माण हुआ—

सड़क का नाम	लम्बाई मी०	फ०	फी०
१—आगरा पोइयाघाट मार्ग दयालबाग से आगे	१	१	६०
२—बाह उदी मार्ग	०	२	०
योग	१	३	६०

इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड को सिवर निर्माण हेतु सरकारी सहायता

*३१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड को कितना रुपया सिवर बनाने के लिये सरकार ने दिया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड को सिवरेज (sewerage) और ड्रेनेज (drainage) स्कीम के लिये मार्च, १९५४ से अब तक १० लाख रुपया दिया गया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि यह १० लाख रुपया म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा न खर्च कर पी० डब्लू० डी० द्वारा खर्च किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—पी० डब्लू० डी० द्वारा नहीं खर्च किया जा रहा है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह काम ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—पहले तो यह काम नगरपालिका करा रही थी और वह बहुत अधिक काम नहीं करा पायी। अब एल० एस० जी० ई० डी० इस काम को करायेगा और उस का अधिकांश भाग बरसात के बाद शुरू होगा।

इलाहाबाद में बलुआ घाट वाला बांध की मरम्मत

*३२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद में बलुआघाट पर बाढ़ रोकने के लिये जो बांध बांधा गया था उसका कुछ हिस्सा बह गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, चाचर नाले के ऊपर बलुआ घाट पर बने बांध का कुछ भाग बह गया था जो फिर बनवा दिया गया था ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बांध के बहने तथा फिर से बनवाने में कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बहने में तो कुछ नहीं खर्च हुआ, लेकिन उसके बनवाने में ८० हजार रुपया खर्च हुआ ।

जौनपुर जिले में फ्रेंच कम्पनी द्वारा नल-कूप निर्माण

*३३—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर के बतायेंगे कि भारत संयुक्त राष्ट्र प्राविधिक सहकारिता के कार्यक्रम के अन्तर्गत फ्रांस के इंजीनियरों की कम्पनी जौनपुर जिले में कब से नलकूप निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगी ?

श्री राममूर्ति—फ्रेंच कम्पनी ने जौनपुर जिले के नलकूप निर्माण का कार्य मई, १९५५ से प्रारम्भ कर दिया है ।

*३४—श्री लालबहादुर सिंह—इस जिले के ४५ नलकूप इस योजना के अन्तर्गत कब तक लग जायेंगे ?

श्री राममूर्ति—जौनपुर जिले में ४५ नलकूप जनवरी, १९५६ के अन्त तक बन जाने की आशा की जाती है ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इस फ्रेंच कम्पनी ने कितने नलकूपों पर काम किया और उनमें से कितने कामयाब हुए ?

श्री राममूर्ति—कम्पनी ने देर में काम किया, अब तक जौनपुर में ९ और गाजीपुर में २ बनाये हैं, जिनमें से जौनपुर में ५ और गाजीपुर में २ फेल हो गये । यह इंजीनियर्स से पूछा गया है कि इस मामले में उसके खिलाफ क्या हो सकता है ?

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह नलकूप जहां पर फेल हुये हैं, वहां पर सरकार द्वारा कोई परीक्षण कराया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—परीक्षण होगा, लेकिन जहां यह कुयें फेल हुये हैं वहां नीचे पानी नहीं मिला, फिर भी विभाग द्वारा गोमती के उत्तर का जो किराकत का क्षेत्र है वहां परीक्षण कराया जायगा कि वहां किंचित पानी मिल सके ।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों पर नलकूप फेल हुये हैं वहां पर सिंचाई की क्या व्यवस्था है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह दुर्भाग्य की बात है कि भूमि जिस के तल में पानी नहीं मिलता वहां पर सिंचाई अच्छी नहीं हो सकती ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पानी के लिये कितने फीट नीचे तक परीक्षण किया गया और इस फ्रेंच कम्पनी को कितना रुपया, जहां पर कुयें फेल हुये हैं, दिया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ठेकेदारी की शर्तों का प्रश्न किया गया, उसका ब्यौरा तो मेरे पास नहीं है, नोटिस देने से ब्यौरा पेश किया जा सकता है। जहां तक निचाई या गहराई का ताल्लुक है २५० से ३५० फुट गहराई तक बोरिंग करते हैं। कुछ जगहों में पानी नहीं मिलता, कहीं कहीं ६०० फुट तक भी बोरिंग किया है। लेकिन आमतौर से ३५० फुट तक करते हैं और चूंकि खर्च ज्यादा होता है, इसलिये ज्यादा नहीं करते और अनुभव भी है कि नीचे जाने पर उतना स्ट्रेटा नहीं मिलता जितना आवश्यक होता है। पानी का खर्च तो अधिक होता है और बिजली भी ज्यादा खर्च होती है और उसी हिसाब से उतना ही महंगा पानी पड़ता है। जितनी पानी की सतह गहरी होगी उतनी ही महंगी ट्यूबवेल की योजना होगी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर यह नलकूप फेल हुये हैं उसी के आस-पास दो एक नलकूप विभाग द्वारा परीक्षण करने पर सफल हुए हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा होता है, क्योंकि भूमि के गर्भ का तो पता नहीं चलता। अक्सर ऐसा हुआ है कि ८–१० फ़ेल हुए, कहीं पानी नहीं मिला और पास ही में मिल जाता है, तो धरती के भूगर्भ का पता नहीं चलता कि उसके नीचे क्या है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार जौनपुर के उस नहरी इलाके में कुछ तालाब खुदवाने की कृपा करेगी जिससे उनकी सिंचाई की समस्या हल हो जाय?

श्री अध्यक्ष—यह सुझाव आप उनको भेज दीजियेगा। मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा।

प्रेसीडेंट नोटीफाइड एरिया, महरहरा के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

*३५—**श्री गजेंद्रसिंह** (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नोटीफाइड एरिया महरहरा (एटा) के चेयरमैन के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी जब कि १५ जनवरी, सन् १९५५ को उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया है?

श्री कैलाशप्रकाश—यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट की धारायें जो नोटीफाइड एरियाओं में लागू हैं उनके अनुसार प्रेसीडेन्ट नोटीफाइड एरिया महरहरा के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है और उनका त्यागपत्र कमिश्नर, मेरठ डिवीज़न द्वारा २९ मार्च, १९५५ को स्वीकार किया जा चुका है।

*३६—**श्री गजेंद्रसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४ की संशोधित धारा ४७–ए नोटीफाइड एरिया मरहरा (एटा) पर लागू होती है या नहीं? यदि नहीं, तो कब तक लागू होगी?

श्री कैलाशप्रकाश—संशोधित धारा ४७–ए प्रदेश की समस्त नोटीफाइड एरियाओं में दिनांक ९ अप्रैल, १९५५ की विज्ञप्ति संख्या यू० ओ०-४४/११-बी—९ एन-५५ द्वारा लागू की गयी है।

श्री गजेंद्रसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कमिश्नर को अविश्वास का प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह तो इस समय मेरे पास सूचना नहीं है। लेकिन १५ जनवरी को प्रस्ताव पास हुआ।

श्री गजेंद्रसिंह---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब १५ जनवरी को प्रस्ताव पास हुआ और २९ मार्च को वह मंजूर हुआ तो इतनी देर क्यों हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश---अविश्वास का प्रस्ताव जब पास होता है उसके बाद चेयरमैन को लिखना होता है । उसके बाद जानकारी होना होता है, उसके बाद फैसला होता है । इसमें देर लग जाती है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कमिश्नर के ऊपर कोई गवर्नमेंट की पाबन्दी है कि इतने महीनों के अन्दर कोई भी प्रस्ताव म्युनिसिपैलिटी या टाउन एरिया से आवे उस पर फैसला हो जाना चाहिये ?

श्री कैलाशप्रकाश---कोई इस किस्म की पाबन्दी तो नहीं है, लेकिन यह कहा गया है कि शीघ्र से शीघ्र हो जाना चाहिये ।

श्री गजेंद्रसिंह---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मैंने यह प्रश्न अल्पसूचित तारांकित कर के दिया था लेकिन इसका जवाब मुझे ४ महीने के बाद दिया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष---यह अल्प सूचित नहीं है बल्कि तारांकित प्रश्न है ।

इलाहाबाद जिले की तहसील करछना के किसानों से सरकार द्वारा अधिकृत भूमि का मुआवजा तथा लगान की वसूली

*३७---**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा** (जिला इलाहाबाद)---क्या तहसील करछना, जिला इलाहाबाद के उन किसानों को, जिनके खेत केवल नहर की शाखाओं के फैलाने के लिये सरकार द्वारा लिये गये हैं, अब तक भी सरकारी लगान सम्बन्धित खेतों का देना पड़ रहा है ?

श्री राममूर्ति---शीघ्र ही इस प्रकार की सभी शिकायतों की जांच की जावेगी और किसानों से जो लगान ज्यादा वसूल किया गया है उसको शीघ्र वापस करने की व्यवस्था की गयी है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

*३८---**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उक्त जमीन का मुआवजा कब तक सम्बन्धित किसानों को मिल सकेगा ?

श्री राममूर्ति---मुआवजे की रकम ६ माह के अन्दर दे दिये जाने की आशा है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस तहसील में नहरें बनाने का काम २ साल से शुरू हुआ है और इस बीच में किसानों को लगान बराबर देना पड़ा है उस जमीन के सम्बन्ध में जो उनके कब्जे से विभाग ने दो साल पहले ले ली थी ?

श्री राममूर्ति---यह बात अपनी जगह सही है और इसलिये मैंने अर्ज किया कि उस बात को अब एक्सपीडाइड करने के लिये हमारे वहां ५ लैंड एक्वीजीशन आफिसर्स नियुक्त किये गये हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों से लगान वसूल हो गया है और जो और शिकायतें हैं वह सब दूर की जायेंगी ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी इस विषय पर सरकार की कोई ऐसी निश्चित नीति भविष्य में निश्चय करने की कृपा करेंगे जिससे कि जिस दिन से इस तरह की जमीन विभाग नहर आदि के लिये लेवे उसी दिन से किसानों से लगान उस जमीन का लेना बन्द कर दिया जाय ?

प्रदेश की नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव

*३९--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत २ मासों में प्रदेश के कितने म्युनिसिपल बोर्डों में उनके अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव स्वीकृत हुये ?

श्री कैलाशप्रकाश--प्रश्न से यह बिलकुल स्पष्ट नहीं है कि किन विशिष्ट मासों के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई है । किन्तु यदि तात्पर्य इस प्रश्न की प्रथम निर्धारित तिथि से पूर्व दो मासों अर्थात् फरवरी और मार्च, १९५५ से है तो इन दो मासों में ५ बोर्डों में उनके अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव स्वीकृत हुए ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि माननीय मंत्री जी ने जिन बोर्ड्स का अभी जिक्र किया है उनके नाम क्या क्या हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--मुरादाबाद, सहसवान, सिकन्दराऊ, धामपुर, अतरौली ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये जो अध्यक्षों पर अविश्वास के प्रस्ताव पास हुए थे, किन-किन राजनैतिक पार्टियों के थे ?

श्री अध्यक्ष--यह इससे नहीं उठता । राजनीतिक पार्टियों का कोई सवाल नहीं है ।

राजा वीरेंद्रशाह--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इन ५ चेयरमैनों के खिलाफ जो अविश्वास के प्रस्ताव पास हुए, उनमें से कितनों को निकाल दिया गया और कितनों पर अभी कार्यवाही पूरी नहीं हुई ?

श्री सैयद अली जहीर--सवाल अभी साफ नहीं हुआ है । अगर आप चाहते हैं कि मार्च तक किस किस के खिलाफ कार्यवाही हुई तो इसका और जवाब होगा और अगर अब तक क्या हुआ इसका जवाब चाहिये तो दूसरा जवाब होगा ।

श्री अध्यक्ष--फिर से आप अपना सवाल साफ कर दीजिये ।

राजा वीरेंद्र शाह--मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन ५ अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पास हुए हैं उन पर अलग-अलग हरएक के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री सैयदअली जहीर--मुरादाबाद--जिसमें उन्होंने रिट पिटीशन फाइल कर दिया था और हाई कोर्ट से आर्डर्स रुक गये हैं । रिट पिटीशन खारिज हो जाने पर अब मालूम हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की है ।

सहसवान--उनका इन्तकाल हो गया है और दूसरे प्रेसीडेंट के चुनाव की कार्यवाही हो रही है ।

सिकन्दरराऊ--प्रेसीडेन्ट ने इस्तीफा दे दिया है और वहां दूसरा चुनाव होने जा रहा है ।

धामपुर--प्रेसीडेंट से इस्तीफा देने के लिये कहा गया है, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उनका इस्तीफा कायदे में नहीं था जिससे उनसे कहा गया है कि दूसरा इस्तीफा दें ।

अतरौली--प्रेसीडेंट ने इस्तीफा दे दिया है लेकिन एक इलेक्शन पिटीशन चल रहा है पहले से । उसमें कहा गया है कि इनको चेयरमैन नहीं होना चाहिये था, मुझको चेयरमैन होना चाहिये था । वह इलेक्शन पिटीशन जेरेगौर है । इसलिये वहां दूसरा चुनाव नहीं कराया गया ।

*४०-४१—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—[१३ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

रुड़की तथा ज्वालापुर परगने के गांवों में नलकूप निर्माण योजना

*४२—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार का विचार रुड़की तथा ज्वालापुर परगने के ग्राम आनेकी, औरंगाबाद, गढ़, तेलीपुरा और धनौरी में नलकूप लगाने का है? यदि हां, तो कब तक?

श्री राममूर्ति—जी हां, द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नलकूपों का निर्माण स्वीकृत हो जाने और उनके क्षेत्रों का सफलतापूर्वक सर्वे हो जाने के बाद नलकूपों के लगाने का विचार है।

इटावा जिले के जमुना पार इलाके में सिंचाई के हेतु प्रयोगात्मक नलकूप

*४३—श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा)—क्या सरकार इटावा जिले के जमुना पार इलाके में, जहां कृषि सिंचन का कोई साधन नहीं है सिंचाई की कोई योजना बना रही है? अगर हां, तो क्या?

श्री राममूर्ति—इस क्षेत्र में १ व २ प्रयोगात्मक नलकूपों के लगाने का विचार है। यदि ये नलकूप सफल हुये तो इस इलाके में राजकीय नलकूपों के बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री मिहरबानसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो दो नलकूप बनाने की योजना है वह कब तक पूरी हो जायगी?

श्री राममूर्ति—भारत सरकार की तरफ से दो एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स लगाने की योजना है। यह भारत सरकार पर है कि कब वह मशीन वगैरह भेजे। जब वह भेजेगी तब एक्सप्लोरेशन होगा।

श्री मिहरबानसिंह—क्या माननीय मंत्री जी वहां पर डैम बनाने के ऊपर विचार करेंगे, और क्या वहां पर डैम बना कर बरसाती पानी रोक कर सरकारी ट्यूबवेल लगाने की कृपा करेंगे?

श्री राममूर्ति—अभी तक तो इस पर विचार कोई है नहीं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जालौन जिले में शेरगढ़ घाट पर पुल निर्माण

*४४—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—क्या सरकार जिला जालौन में यमुना नदी पर शेरगढ़ घाट पर पुल बनवाने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं, इस पुल का अनुमानित व्यय लगभग ६० लाख है। और पुलों की आवश्यकता को देखते हुए सरकार इस समय पुल के निर्माण का कार्य लेने में असमर्थ है।

राजा वीरेंद्रशाह—क्या सरकार इस बात को जानती है कि शेरगढ़ घाट का पुल एक अहम पुल है, पी० डब्लू० डी० में इसको लेने के लिये विचार कर रही है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अहम तो शायद जरूर है। इससे दूसरे पुल भी कई ज्यादा अहम हैं।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार को यह मालूम है कि जिला जालौन के अधिकतर किसान जिला इटावा और औरैया मंडी को अपना गल्ला बैलगाड़ी से ले जाते हैं और पुल न होने के कारण उनको अधिक कठिनाई होती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां। यह ठीक हो सकता है।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—और कौन-कौन से पुल सरकार के विचाराधीन हैं जिनकी वजह से यह पुल नहीं बन सका ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सब पुलों की सूची के लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत से जिले हैं, हमीरपुर, इटावा और अन्य जिले हैं।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपया करेगी कि जालौन में भी कोई और पुल बनवा रही है जिसकी वजह से इस पुल को बन्द कर दिया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जालौन के अन्तर्गत और किसी पुल की मुझे सूचना नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जालौन ने भी यह सिफारिश की है कि यह पुल जल्दी बन जाना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मुझे इसका ज्ञान तो नहीं है। लेकिन जब यह माननीय उपाध्याय जी कहते हैं तो ठीक होगा।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन के किसानों का हित देखते हुये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह पुल बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तैयारी के समय इस पुल पर विचार किया जायगा, ऐसी सम्भावना है।

म्युनिसिपल बोर्ड, कौंच के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

*४५—**श्री चित्तरसिंह निरंजन** (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड, कौंच के अध्यक्ष के विरुद्ध अपने पद के दुरुपयोग करने एवं अनधिकृत कार्यवाहियों के करने के बाबत चन्द शिकायतें आई हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां।

*४६—**श्री चित्तरसिंह निरंजन**—यदि हां, तो सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि उक्त शिकायतों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—सरकार इन शिकायतों पर विचार कर रही है।

श्री चित्तरसिंह निरंजन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त शिकायतें किस तारीख की हैं और सरकार के पास विचाराधीन कब आयीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—ठीक तारीख देना तो दुश्वार है लेकिन दिसम्बर, १९५४ से पहिले आयी थीं।

श्री चित्तरसिंह निरंजन—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन शिकायतों का अंतिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं कि इन अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी दिसम्बर में पास हो गया था। जब जिलाधीश महोदय ने इनको काम करने के लिये रुकने को कहा तो उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन कर दिया। हाईकोर्ट में पिटीशन होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। २६-७-५५ को हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन खारिज कर दिया। २९-७-५५ को उनको यह आदेश दिया गया है कि वे त्याग-पत्र दे दें। अब मालूम हुआ है कि उन्होंने काम करना तो छोड़ दिया है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि वे त्याग-पत्र दे रहे हैं या नहीं। अगर वे त्याग-पत्र नहीं देंगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह शिकायतें किनकी ओर से भेजी गयी थीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस समय नाम तो मेरे पास नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि २८ तारीख के हाईकोर्ट के फैसले की सूचना सरकार को २९ तारीख को कैसे हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैंने निवेदन किया कि २६-७-५५ तारीख थी और २९-७-५५ को यहां से आदेश हुए।

मिर्जापुर जिले में देवरी बांध का सर्वे

*४७—**श्री रामस्वरूप** (जिला मिर्जापुर)—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर, तहसील राबर्ट्सगंज के देवरी-बांध का सर्वे किया गया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राममूर्ति—देवरी-बांध का सर्वे किया गया था और अब प्रोजेक्ट स्टीमेट्स बनाया जा रहा है।

*४८—**श्री रामस्वरूप**—प्रस्तावित देवरी-बांध पर क्या व्यय होगा तथा इस बांध से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति—प्रस्तावित देवरी-बांध पर लगभग १.७ लाख रुपया व्यय होगा तथा इस से लगभग ५०० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

श्री रामस्वरूप—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि सरकार क्या इसको इस चालू वित्तीय वर्ष में बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—यह माइनर इर्रीगेशन वर्क्स में आता है। जब और सर्वे काम कराये जायेंगे उसके साथ यह काम भी किया जायगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिस क्षेत्र में देवरी-बांध बनने को है उस क्षेत्र में ८० गांवों की सिंचाई का अब तक कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। राबर्ट्सगंज का बहुत सा एरिया ऐसा है कि जहां इसकी कोई सुविधा नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिस क्षेत्र की बात मैं कह रहा हूं वह पहाड़ नहीं मैदान है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, मैदान है पहाड़ के ऊपर, इसलिये वहां पानी नहीं मिलता । मैं यह भी निवेदन कर दूं अध्यक्ष महोदय, कि आप देखेंगे, उत्तर से पता लगता है कि ५०० एकड़ की सिंचाई होगी और उसके लिये १ लाख ७हजार रुपये का अनुमान है । राबर्टसगंज और उधर के इलाके में ऐसी बंधियां बहुत महंगी पड़ती हैं और हमारे नियमों के अनुसार ऐसी बंधियों का बनना तब तक नहीं हो सकता जब तक कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से इसकी इजाजत नहीं मिलती । तो इन सब दिक्कतों के होते हुए भी हम इस चेष्टा में लगे हुए हैं कि जो पहाड़ के ऊपर मैदान मिल गया है माननीय सदस्य को, उसकी हम सिंचाई कर सकें ।

बलिया जिले के नलकूप

*४९--**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले में कुल कितने नलकूप हैं ? उनमें से कितने इस समय पानी देते हैं और कितने बेकार हैं ?

श्री राममूर्ति--बलिया जिले में कुल ४१ राजकीय नलकूप हैं । जिनमें से ३२ इस समय पानी दे रहे हैं और ९ अभी चालू नहीं हैं ।

*५०--**श्री गंगाप्रसाद सिंह**--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो नलकूप बेकार पड़े हैं वे कब तक ठीक हो जायेंगे ?

श्री राममूर्ति--जो नलकूप इस समय चालू नहीं हैं उनके चलाने का प्रबन्ध किया जा रहा है और आशा की जाती है कि यह शीघ्र ही चालू हो जायेंगे ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--श्रीमन्, मैंने अपने ४९ प्रश्न में यह जानना चाहा था कि बलिया में कितने नलकूप हैं । लेकिन जवाब मिला है कि राजकीय ४१ नलकूप बने । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन ४१ नलकूपों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट फंड से बने हुए नलकूप शामिल हैं ?

श्री राममूर्ति--बलिया में १०१ नलकूप बनाने का प्रोजेक्ट है । लेकिन ४१ का जो जिक्र किया गया ये सब सरकारी नलकूप हैं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ये नलकूप बन्द क्यों हैं ? इनका पानी सूख गया है या और कोई कारण है जिसकी वजह से काम में नहीं आ रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--नलकूपों का पानी मैदान में नहीं सूखता, पहाड़ों में सूखता है । लेकिन इन नलकूपों पर बिजली नहीं पहुंच सकी है, तो हम डीजल इंजन का इंतजाम कर रहे हैं तब चलेंगे ।

आगरा जिले में सिंचित क्षेत्र

*५१--**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)--क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि आगरा में सन् १९४५-४६ में कुल सिंचित क्षेत्र कितना था और सन् १९५४-५५ में कितना था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आगरा जिले में सरकारी साधनों द्वारा सन् १९४५-४६ और १९५३-५४ में सिंचित क्षेत्र के आंकड़ों की एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है ।

सन् १९५४-५५ का सिंचित क्षेत्र अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४६१ पर ।)

*५२--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या यह सही है कि सन् १९४५-४६ से सन् १९५३-५४ में गंगा नहर का सिंचित क्षेत्र घट गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अपर और लोअर गंगा नहर के सन् १९४५-४६ और १९५३-५४ के सिंचित क्षेत्र के आंकड़ों की एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि १९४५-४६ से १९५३-५४ का सिंचित क्षेत्र घटा नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४६२ पर ।)

आजमगढ़ जिले में बाढ़ निवारक योजनायें

*५३--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बाढ़ डिवीजन, बलिया की ओर से आजमगढ़ जिले में कौन-कौन से कार्य हो रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिला आजमगढ़ में बाढ़ निवारक योजनाओं की सूचियां माननीय सदस्यों की मेज पर रख दी गई हैं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४६३-४६४ पर ।)

जिला आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में छोटी सरयू तथा घाघरा के बीच के क्षेत्र में बाढ़ कम करने के उपाय

*५४--श्री विश्रामराय--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ की छोटी सरयू नदी को लाल घाट के पास गहरा करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--छोटी सरयू और घाघरा के बीच की भूमि बहुत नीची है और इसमें कई नाले मिलते हैं जिसमें नदियों का पानी भी आ जाता है और क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है । महोलागढ़बल बन्ध के निर्माण में बदरुआ नाले का मुहाना बन्द कर दिया जायगा जिसके फलस्वरूप घाघरा का पानी छोटी सरयू में इस नाले द्वारा नहीं पहुंच सकेगा और बाढ़ कम हो जायगी । अतः नदी का गहरा करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता ।

कल्यानपुर, जिला आजमगढ़ में छोटी सरयू पर पुल का अभाव

*५५--श्री विश्रामराय--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ की छोटी सरयू नदी पर कल्याणपुर स्थान पर वह एक पुल बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे बाढ़ डिवीजन, बलिया के संरक्षण में बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं, इस स्थान पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है नहीं ।

अलीगढ़ जिले में सहकारी नलकूपों के विरुद्ध शिकायतें

*५६--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले से कोआपरेटिव ट्यूबवेलों के सुचारु रूप से न चलने की शिकायत उनके पास पहुंची है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें अपने हाथ में ले कर ठीक प्रकार से चलाने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यह निश्चय सरकार कर चुकी है कि जो सहकारी समितियां अपने नलकूप देना चाहें उन्हें सरकार ले ले और राजकीय नलकूप की भांति चलाये ।

अलीगढ़ जिले में सहकारी नलकूपों तथा पक्की नालियों का निर्माण

*५७—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में अभी कितने-कितने ट्यूबवेल बनने शेष हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अलीगढ़ जिले में निम्नलिखित सहकारी नलकूप बनने शेष हैं:

तहसील का नाम	नलकूपों की संख्या जो बनने शेष हैं
अतरौली	४
खैर	१
इगलास	१

इनके अलावा १० नये राजकीय नलकूप बनाने का भी सरकार ने निश्चय किया है ।

*५८—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या सरकार इन ट्यूबवेलों के साथ ही इनकी पक्की नाली भी बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । राजकीय नलकूपों पर पक्की नाली बनवाने का विचार है ।

जिला मुरादाबाद में रहट के कुओं के लिये सहायता

*५९—**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में वर्ष १९५५ ई० में रहट के कुओं के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र अलग-अलग तहसीलों में आये और उनमें से कितने-कितने किसानों को रहट के कुओं की सहायता प्राप्त हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आर्थिक वर्ष १९५४-५५ सम्बन्धी वांछित सूचना संलग्न सूची में दी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४६५ पर ।)

*६०-६२—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—[१३ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

एटा जिले में तहसीलवार निजी नलकूप बनाने के लिये तकावी तथा उसका दुरुपयोग

*६३—**श्री बाबूराम गुप्त** (जिला एटा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत दो वर्षों में एटा जिले में तहसीलवार निजी नलकूप बनाने के लिये कितना-कितना रुपया किस-किस स्थान पर नलकूप बनाने के लिये तकावी के रूप में दिया गया है ?

*६४—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस तकावी के रुपये से अब तक कितने नलकूप कहां-कहां बन चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४६६ पर ।)

*६५—**श्री बाबूराम गुप्त**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन सज्जनों ने अभी तक उस तकावी के रुपये का उपयोग नहीं किया है उनके खिलाफ वह क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन सज्जनों को नोटिस दी गई है कि क्यों न उनसे तकावी की सब धनराशि वसूल कर ली जाय ।

गढ़वाल जिले में अलकनन्दा नदी के ऊपर झूला पुलों का निर्माण

*६६--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अलकनन्दा नदी, जिला गढ़वाल के ऊपर सुमेरपुर, धारकोट, कोठगी, सारी, सेभीसोंला और मैठाणा में झूला पुलों (Suspension bridges) के निर्माण की स्वीकृति कब हुई, इनका निर्माण कब प्रारम्भ हुआ और वे कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--नवम्बर, १९५१ में। सुमेर पुर और कोठगी झूलों का कार्य मार्च, १९५२ में तथा धारकोट, सारी सेमी (उमठा) और मैठाणा पर कार्य फरवरी, १९५३ में आरम्भ किया गया। सोनला झूले पर कार्य आरम्भ नहीं किया गया क्योंकि व्यय स्वीकृत धनराशि से अधिक हो रहा था।

सोनला झूले को छोड़ कर शेष झूलों के निर्माण के इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है। सोनला पुल पर कार्य संशोधित आगणन के सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने के पश्चात् आरम्भ किया जायगा।

केदारनाथ, गुप्तकाशी और त्रियुगीनारायण में राजकीय निरीक्षण भवन

*६७--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार को विदित है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर केदारनाथ, गुप्तकाशी और त्रियुगीनारायण प्रमुख स्थान हैं और इन स्थानों पर राजकीय निरीक्षण गृह नहीं है ? क्या सरकार उपर्युक्त स्थानों पर निरीक्षण-गृह बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां। इन स्थानों के पास निरीक्षण भवन पहले से ही मौजूद हैं, अतएव नये निरीक्षण-गृहों के निर्माण की आवश्यकता नहीं मालूम होती। प्रश्न ही नहीं उठता ?

अनिर्णीत मुकदमों को अगली तिथि निर्धारण के संबंध में सुझाव

*६८--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार के सामने कोई ऐसा सुझाव है कि अदालतें किसी एक तारीख में लगे हुये सभी मुकदमों को अव्वल वक्त में पुकार लें और जो मुकदमें उस दिन के लिये पूर्ण रूप से सुनवाई के लिये तैयार हों और सुने जा सकें उनको छोड़ कर बाकी सभी मुकदमों में अव्वल वक्त में ही दूसरी तारीखें डाल दें ?

श्री सैयद अली जहीर--सरकार के विचाराधीन तो नहीं, मगर हाई कोर्ट इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

*६९--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यदि हां, तो सरकार ने इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिये कौन-सा कदम उठाया ?

श्री सैयद अली जहीर--यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

देवरिया जिले में भटनी-लक्ष्मीपुर बाजार और भटनी-भिंगारी बाजार सड़कों के निर्माण का सुझाव

*७०--श्री शिववचन राव (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिला देवरिया में भटनी से बिहार सीमा पर स्थित लक्ष्मीपुर बाजार को सड़क द्वारा मिलाने पर विचार कर रही है जिससे सिबान, छपरा, सोनपुर तक जाने की सुविधा जनता को मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं। क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का विस्तार सीमित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पर विचार किया जायेगा।

*७१—**श्री शिववचन राव**—क्या सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में उपर्युक्त सड़क पर भटनी (हतवा बाजार) में छोटी गंडक नदी पर पुल बनवा कर उक्त क्षेत्र को विकसित करने का विचार करती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायेगा।

*७२—**श्री शिववचन राव**—क्या सरकार भटनी से घाटी बाजार होते हुये बिहार सीमा पर स्थित भिन्नागारी बाजार तक सड़क बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय इस सड़क पर विचार किया जायगा ?

अल्मोड़ा-रामेश्वर घाट मोटर मार्ग का निर्माण

*७३—**श्री गोवर्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा-रामेश्वरघाट मोटर मार्ग को उसने मोटर मार्ग निर्माण की अपनी योजनाओं में सम्मिलित कर लिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस सड़क का निर्माण सरकार ने अल्मोड़ा जिले के अकालपीड़ित क्षेत्रों की सामान्य उन्नति के लिये स्वीकार किया था।

*७४—**श्री गोवर्धन तिवारी**—क्या यह सही है कि उपर्युक्त मोटर मार्ग के चितई से बाड़ेछीना तक के हिस्से के निर्माण के लिये सरकार द्वारा ४ लाख ३२ हजार रुपये की स्वीकृति वर्तमान वर्ष से पेश्तर ही मिल चुकी थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस भाग के निर्माण के लिये ४,३४,००० रुपये का विस्तारित आगणन फरवरी, १९५४ ई० में स्वीकृत किया गया था।

*७५—**श्री गोवर्धन तिवारी**—क्या सरकार को यह पता है कि विधान सभा ने अपने १९५४-५५ के बजट अधिवेशन में अल्मोड़ा-रामेश्वरघाट मोटर मार्ग के निर्माण के लिये २ लाख रुपया स्वीकार किया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

अतारांकित प्रश्न

गाजीपुर-सैयदराजा मार्ग

१—**श्री भोलासिंह** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में जमनियां स्टेशन से आने वाली पक्की सड़क गंगा की धारा से कटने के बाद जो नई बनाई गई थी, वह फिर कट रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—गाजीपुर-सैयदराजा मार्ग, जो सन् १९४३ से १९४९ के बीच नया बनवाया था, के १८ वें मील का ८ वां फरलांग, गंगा नदी की धारा से प्रतिवर्ष कटता जा रहा है, अतएव सड़क को पीछे हटाने के लिये कार्यवाही हो रही है।

टांडा नहर की खुदाई

२—**श्री व्रजविहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टांडा नहर की, जो आजमगढ़ जिले में होकर बहेगी, खुदाई कितने मीलों तक तैयार हो चुकी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—टांडा मुख्य नहर की लम्बाई कुल ४४ मील है। मुख्य कैनाल पर ३६ मील में खुदाई का कार्य आरम्भ हो गया है। शाखाओं पर ४ मील में खुदाई का काम प्रारम्भ हुआ है। शेष मीलों में कार्य शीघ्र लगने वाला है।

डिस्ट्रीब्यूटरियों तथा माइनरों पर अभी काम नहीं लगा है।

जौनपुर-केराकत-चन्दबक सड़क

३—**श्री लालबहादुर सिंह**—क्या सरकार जौनपुर-केराकत-चन्दबक सड़क को अपने प्रबन्ध में लेने या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इसके मरम्मत के लिये विशेष अनुदान देने पर विचार कर रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस सड़क को अपने प्रबन्ध में लेने का विषय सरकार के विचाराधीन है।

चकिया-अहरौरा कच्ची सड़क को पक्का बनाना

४—**श्री राजकुमार शर्मा** (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विलीन बनारस राज्य की चकिया तहसील में कौन-कौन सी कच्ची सड़क को पक्की बनाने का काम हो रहा है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—विलीन बनारस राज्य की चकिया तहसील में चकिया-अहरौरा कच्ची सड़क को पक्का करने का काम हो रहा है।

१९५३-५४ में मुन्सिफों तथा सिविल जजों के रिक्त स्थान

५—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में मुंसिफों और सिविल जजों की कितनी जगहें खाली रहीं और क्यों?

श्री सैयद अली जहीर—सन् १९५३ तथा १९५४ ई० में मुंसिफों तथा सिविल जजों के खाली जगहों के बारे में सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है। इन जगहों के खाली रहने का कारण यह है कि यू० पी० सिविल सरविस (जुडिशल ब्रांच) के कई अफसरों को सिविल तथा सेशन्स जज तथा अन्य पदों पर, जो रेगुलर लाइन से बाहर थी, काम करने के लिये नियुक्त किया गया।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४६७ पर।)

देवरिया जिले के रुद्रपुर क्षेत्र में भुखमरी विषयक कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी ने भेजा है और साथ ही जो हालात इस संबंध में हैं उनके लिये जो उनके पास शिकायतें आयीं या मालूमात आयीं वह भी उन्होंने मेरे पास भेज दी थी। काम रोको प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"देवरिया जिले में रुद्रपुर के राप्ती बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भूख से मौतें होने लगी हैं। उहरौजी बजरुग ग्राम में सात व्यक्ति मर गये हैं। अन्न की कमी से लोग आम की गुठली खाने को बाध्य होते हैं और अन्त में रोग ग्रस्त होकर मृत्यु प्राप्त करते हैं, हालत दिन बदिन बदतर होती चली जा रही है। इसने ऐसी आवश्यक तथा विषम परिस्थिति पैदा कर दी है जिस पर विचार करना नितान्त आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य हो गया है।

अतः सदन ऐसे आवश्यक तात्कालिक महत्व के प्रश्न पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

[श्री अध्यक्ष]

अगर यह हालात ठीक हैं, वाकयात ठीक हैं तो यह प्रश्न महत्व का तो अवश्य है, और इसके बारे में जो सबूत भेजे हैं यह भी मेरे पास ११ बजे के करीब आये, मुझको पहले भी थोड़ा उन्होंने बता दिया था लेकिन नकल मुझे मिला नहीं इसलिये मैं सरकार के पास उसे भेज भी नहीं सका। तो मैं आज इस विषय को नहीं लेता हूं। कल इस विषय पर फैसला करूंगा कि आया इसकी इजाजत दूं कि सदन से अनुमति मांगी जाय या नहीं। इस बीच में वाकयात के बारे में जो यह पत्र आये हैं मैं सरकार के पास इनकी प्रति भेज दूंगा जिसमें उनको भी मौका मिले कि इसकी थोड़ी जांच करके अगर वह कुछ वक्तव्य देना चाहें तो कल वह दे सकती है।

दर्शक-दीर्घा प्रवेश-पत्रों का दुरुपयोग

श्री अध्यक्ष--मैं सदन के सदस्यों को कुछ सूचना देना चाहता हूं कि जो यहां पर दर्शकों के पास दिये जाते हैं उनके संबंध में दो-तीन रोज से मेरे पास यह शिकायत आ रही है कि जिन व्यक्तियों को वे पास दिये गये वह पास कुछ ऐसे भी मिले चैक करने पर कि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया बल्कि दूसरे लोग उनके स्थान पर जा कर बैठ गये। खैर, इस वक्त एक साधारण बात यह प्रतीत होती है जब कोई खतरा नहीं होता तो ऐसे मौके पर कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं, लेकिन मुझे इस विषय में अवश्य माननीय सदस्यों से कहना है कि जिन्हें कि वे पास दें उनसे कम से कम यह अवश्य कह दें कि वह दूसरों के इस्तेमाल के लिये नहीं हैं, वे उन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकते। कभी कभी यह भी हो जाता है कि नाम काटकर स्वयं दूसरा व्यक्ति अपना नाम पास पर लिख ले और बैठ जाय। अब यह नहीं कहा जा सकता कि माननीय सदस्य ने यह बात की या उसी व्यक्ति ने जिसको कि पास दिया उसने दूसरे किसी को अपना नाम काटकर दूसरे किसी को लिख दिया और उसे दे दिया। जो पकड़ा जाता है वह तो यही कहेगा जब उसको पकड़ा जायगा कि मुझे तो सदस्य ने पहिला नाम काटकर मेरा नाम लिख कर पास दिया है जिसमें कि उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जा सके और कुल जिम्मेदारी सदस्य के ऊपर ही पड़ जाय। इसलिये मैंने सूचना दे दी कि इसके लिये विशेष ध्यान दिया जाय जिसमें वही लोग पास इस्तेमाल करें जिनका कि उनमें नाम दिया हुआ है, दूसरा न इस्तेमाल करे। अगर आइन्दा ऐसी बात होगी तो मुझे कुछ न कुछ जो व्यक्ति इस तरह से दूसरों के पासों को लेकर बैठ जाते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। अभी तो मैंने कोई कार्यवाही नहीं की। मैंने सोचा कि सदस्यों से पहले कह दूं ताकि उनके कोई मित्र वगैरह हों या और कोई मिलने वाले हों तो उन्हें वे आगाह कर दें जिससे भविष्य में कोई गड़बड़ी पैदा न हो सके। आइन्दा इसके लिये ख्याल रखना चाहिये।

सदन का भावी कार्यक्रम

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी हासिल करनी है कि इस हफ्ते का कार्यक्रम क्या होगा और ऐसा सुनने में आता है कि कुछ दिनों के लिये इस हफ्ते के बाद छुट्टी होगी। तो अगर छुट्टी होगी तो कितने दिनों की होगी, यह भी मैं जानना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, जहां तक हफ्ते के काम की बात है वह तो जो हमारे एजेंडे में दिया हुआ है वह स्वयं बहुत काफी है। छुट्टी की बात ऐसी है कि हम यह देखते हैं कि २७, २८, २९ और ३० ये चार रोज तो यों छुट्टी होने वाली है कि शनिवार, इतवार और मुहर्रम पड़ता है और फिर ३ और ४ को शनिवार और एतवार के लिये छुट्टी होने वाली है। तो बीच में केवल ३ वर्किंग पड़ते हैं। दूसरे ऐसा भी मालूम पड़ा है कि कई माननीय सदस्यों को खासतौर से जो कि ऐसे जिलों से आते हैं जहां पर कि बाढ़ आदि की शिकायत है, वे इस बात को चाहते भी हैं कि उनको मौका मिले कुछ वहां जाकर काम करने का, तो हमने यह मुनासिब समझा कि २६ तारीख के बाद सदन बन्द रहे और फिर ५ तारीख से बैठे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, इसका मतलब यह हुआ कि २५ तक सदन बैठेगा ।

श्री अध्यक्ष---२६ तक बैठेगा ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता था कि जब तक यह सदन चल रहा है, जबकि छुट्टी हो गई थी तो हमने एक पत्र डा० राममनोहर लोहिया का आपके पास भेजा था, वह पत्र सम्पूर्णानन्द जी से संबंधित था ।

श्री अध्यक्ष---कोई दूसरा मामला इस समय नहीं आना चाहिये ।

श्री राजनारायण---उसको आप पढ़ दीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह एक नया विषय है और इस समय सदन में उसे नहीं आना चाहिये ।

जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली तथा मोटर वेहिकिल्स रूल्स की संशोधित प्रतियों की मांग

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एजेंडे के क्रम संख्या ६ और ९ की तरफ दिलाना चाहता हूं । आपको मालूम होगा कि जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में, जब से यह एजेंडे पर है तब से तीन चार बार संशोधन हो चुके हैं और यही हाल मोटर वेहिकिल्स रूल्स का है । १२ तारीख को मैंने एक पत्र भी माल मंत्री को लिखा था कि अंतिम रूप क्या है । इसकी जानकारी हमको नहीं है और उसकी एक प्रति मैंने आपके पास भी पहुंचा दी थी । तो यह असंभव हो जायगा जब तक कि अंतिम रूप से जो नियम चालू है, उनकी जानकारी हमको न हो जाय, तब तक उस पर विवाद हम कर सकें । इसलिये उनका जो अंतिम रूप है उसकी एक प्रति अगर सरकार हमको नहीं देगी तो बड़ा कठिन हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष---माननीय माल मंत्री (एक क्षण उपरान्त) वे नहीं है । मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री इस विषय पर कुछ बता सकेंगे, क्योंकि अगर इसके ऊपर बहस होनी है तो रूप में तो यह सदन के सामने आना ही चाहिये ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मैं समझा नहीं ठीक कि किस चीज के लिये बात हो रही है ।

श्री अध्यक्ष---जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की नियमावली, जिसके ऊपर बहस होने वाली है, सदन में पेश होने के बाद भी उसके नियम फिर बदले हैं, तो वह यह चाहते हैं कि अंतिम रूप में जो नियम बने हैं, उनकी भी प्रति सदस्यों को मिलनी चाहिये और ऐसे ही मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के नियम भी हैं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ठीक है मिल जायगी ।

*पशुपालन विभाग से सम्बद्ध प्राक्कलन समिति का अष्टम प्रतिवेदन

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, सभापति होने के नाते प्राक्कलन समिति के दिये हुये अधिकार तथा आदेशानुसार, मैं इस समिति का अष्टम प्रतिवेदन जो पशुपालन विभाग के संबंध में है, इस सदन के सम्मुख उपस्थित करता हूं ।

---

* छापा नहीं गया ।

[श्री नवल किशोर]

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं इस संबंध में दो एक बातें कहना चाहता हूं। यह प्रतिवेदन जो मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं इसको कुछ समय पहले इस सदन के सम्मुख आ जाना चाहिये था। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुईं जिनके कारण इसके लाने में कुछ देर हो गयी। एक कारण यह भी था कि हमारे कुछ आदरणीय साथी, जिनका विशेष संबंध इस कमेटी से था, वे गवर्नमेंट में चले गये और इस काम में विलम्ब हुआ। मैं सर्वप्रथम यह आशा करता हूं और याचना करता हूं कि सदन इस देर के लिये हमको क्षमा करेगा।

मैं इस मौके पर अपना यह भी फर्ज समझता हूं कि मैं अपने साथियों तथा समिति के विशेषाधिकारियों व अन्य कर्मचारियों और साथ ही पशुपालन विभाग के अधिकारियों को भी उनके सहयोग तथा परिश्रम के लिये धन्यवाद दूं। मान्यवर, आपने भी जो हमारी समिति के कार्यों में रुचि रखी है और हमारी कठिनाइयों को हल करने में जो सहायता प्रदान की है उसके लिये हम आपके आभारी हैं और समिति की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

एक शब्द मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा। हम आज यह अपना अष्टम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले ७ प्रतिवेदन जिनका संबंध और अन्य विभागों से था हम दे चुके हैं। हमारी यह आशा थी कि इतना समय होने के बाद सरकार के निर्णय इस सदन के सामने आयेंगे। श्रीमन्, मुझे आशा है कि शायद आप और सरकार इससे सहमत होंगे कि ऐसी रिपोर्टों की सिफारिशों में अधिक विलम्ब हो जाने से उनका वजन कम हो जाता है, और आइन्दा के लिये भी कमेटियों का काम एक किस्म से मेकेनिकल हो जाता है और काम करने में कोई स्फूर्ति भी नहीं रहती है। मुझे यह बात बतलाने में खुशी है कि नैनीताल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही, जो हमारे पिछले प्रतिवेदन हैं, उनके संबंध में जो सरकार का निर्णय होगा उससे इस सदन को सूचित कर देंगे। मैं आज पुनः उनको इस आश्वासन की याद दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वे शीघ्र ही अपनी सरकार का निर्णय इस सदन के सामने लाने की कृपा करेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों के संबंध में अभी उसके सभापति जी ने जो कुछ बातें कहीं, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। मैंने इस समिति की हाल की एक बैठक में यह आश्वासन दिया था कि मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि इस संबंध में गवर्नमेंट का जो कुछ निर्णय हो वह जल्दी पेश किया जाय, और मैं आपको और आपके द्वारा इस माननीय सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं स्वयं इस काम को इस वक्त देख रहा हूं और करीब करीब हर विभाग की रिपोर्टें हमारे पास आ गयी हैं और जल्दी ही मैं इस बात का यत्न करूंगा कि गवर्नमेंट उनको एक बार देख कर गवर्नमेंट का निर्णय इस सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया जाय।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन और भी करना चाहता हूं, और आप से भी इस संबंध में एक परिपाटी नियत करने के लिये प्रार्थना करता हूं। आपको याद होगा कि इस सदन के विगत सत्र में जब यह प्रश्न यहां पर उठा था तो माननीय हाफिज जी ने सरकार की ओर से कहा था कि एस्टीमेट्स के संबंध में कोई प्रतिवेदन की कार्यवाही सदन के सामने रखना आवश्यक नहीं है और उन्होंने हाउस आफ कामंस की परिपाटी का जिक्र किया था। हमारी ओर से प्रश्न उठाया गया था कि आप स्वयं कोई परिपाटी निर्धारित कर दें कि क्या प्रतिवेदन पर सरकार के लिये यह आवश्यक होगा कि वह कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करे? अगर प्रस्तुत करे तो उसके संबंध में विवाद हो सकता है। यह परिपाटी आपको अब निश्चित करनी अनिवार्य होगी, क्योंकि यह एस्टीमेट्स कमेटी एक हाउस की कमेटी है, कोई गवर्नमेंट की कमेटी नहीं है और इस नाते हाउस को अधिकार है कि वह जान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सके कि उसकी कमेटी के द्वारा किये गये प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की और उस कार्यवाही पर विवाद कर सकने का भी इस हाउस को पूरा अधिकार है। इसलिये भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस संबंध में परिपाटी निश्चित करें और माननीय मुख्य मंत्री जी सरकार की ओर से आश्वासन दें कि वह सदन को इस परिपाटी को यहां भी प्रयुक्त करेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं एक बात लाना चाहता हूं और वह यह कि जो प्राक्कलन समिति की रिपोर्टें आती हैं उनमें जो बातें दी हुई होती हैं उनके विरुद्ध कभी-कभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। मिसाल के तौर पर आज ही .....

श्री अध्यक्ष—यह आप नया सवाल छेड़ रहे हैं। यह तो जिस वक्त आपको उत्तर मले उसी वक्त आप कह सकते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं यह चाहता हूं कि आया प्राक्कलन समिति की जो रिपोर्टें होती हैं उन पर सरकार अपना कोई अंतिम फैसला देना उचित समझती है या नहीं, क्योंकि हम लोग इस भ्रम में रहते हैं कि प्राक्कलन समिति से जो रिपोर्ट आती है वह ठीक है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो जवाब अभी मुख्य मंत्री जी ने दे दिया है कि उसके ऊपर जो फैसले वह लेंगे वे सदन के सामने लायेंगे। यह नियम में भी है कि रिपोर्ट पर जिस किस्म की कार्यवाही वे करना चाहते हैं या जो कर सकते हैं वह सदन के सामने लायेंगे। अब प्रश्न सिर्फ इतना ही है जो नारायणदत्त जी ने उठाया कि उसके ऊपर बहस के संबंध में क्या प्रथा होनी चाहिये, बहस इस सदन में होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये ? इस विषय के ऊपर माननीय वित्त मंत्री जी ने एक दफा यह कहा था कि इसके ऊपर बहस नहीं होती है, यह प्रथा नहीं है। तब इस कथन पर मैंने उस वक्त भी कह दिया था कि पहले सरकार के निर्णय क्या होते हैं वे सदन के सामने आ जाने चाहियें। उनके आने पर उस वक्त अगर यह प्रश्न उठाया जायगा तो मैं कोई फैसला दे दूंगा। इसकी प्रथा और जगह क्या है यह सब अध्ययन करने के बाद यहां जो प्रथा होनी चाहिये उसके विषय में मैं कोई परिपाटी निश्चित कर दूंगा। लेकिन आज कोई मौका इसका नहीं है। जिस वक्त वे फैसले सामने आयेंगे उस वक्त इस बात पर विचार किया जायगा और फैसला हो जायगा।

†उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४
खंड ४** (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों के विधेयक, १९५४, पर विचार जारी रहेगा। माननीय शिवनारायण जी, आप भाषण दे रहे थे कल।

***श्री शिवनारायण** (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज इस सदन के सामने कहते हुये खुशी है कि मैं अपने संविधान का आदर करता हूं। संविधान की एक धारा मैंने कल आपकी इजाजत से इस सदन में उपस्थित की थी और उसी के अन्तर्गत मैं आज पुनः अपनी स्पीच के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि यह जो धारा है सरकार को इसे निकाल देना चाहिये। मुझे खेद है कि यह विधेयक, हमारा जो ला डिपार्टमेंट है उसके यहां से गुजरा है और इतने छोटे से बिल में इतनी बड़ी स्लैक्नेस देखने को मिली। यह एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट की बदनामी होगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे कि वह अपने ला डिपार्टमेंट को सचेत रखे और जो भी बिल इस हाउस में आये उसकी ठीक ढंग से पहले छानबीन की जाय। इतना ही नहीं, जब कोई बिल कानून बन जाता है तो हाई कोर्ट में जाता है, लोअर कोर्टस में भी जाता है, तो वहां पर उसकी बड़ी

†२३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।
** २२ अगस्त, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।
वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनारायण]

छीछालेदर होती है और इस सदन के सम्मानित सदस्यों पर नाना प्रकार के जुमले कसे जाते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर हो सके तो इस बिल को ड्राप कर दीजिये। अगर इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा होता तो आज शायद यह भूल न हुई होती, क्योंकि हमारी सेलेक्ट कमेटीज में सुयोग्य से सुयोग्य सम्मानित सदस्य रहते हैं और मंत्री भी रहते हैं जिनसे डिसकशन हो कर ये चीजें साफ हो जाती हैं। अब प्रश्न यह है कि यह जो धारा है यह बड़ा अभिशाप होगी। आज जो गवर्नमेंट बनी है वह उन्हीं भूखे नंगों की है, किसी मोटे ने हमको वोट नहीं दिया है। आज गरीबों की ही सरकार है। अगर हम यहां बैठकर कोई ऐसा कानून पास करते हैं जिससे उनकी हकतलफी हो तो वह रात दिन हमें कोसते हैं। जब मैं गांवों में जाता हूं, शहरों में जाता हूं तो वहां का मोची जो जूते गांठता है तो वह पूछता है कि आपने हमारे लिये क्या किया? उस समय हमें जवाब देना पड़ता है। इसलिये मैं निहायत ईमानदारी के साथ, अपनी ड्यूटी समझकर यह रख रहा हूं कि इस पर समझ बूझकर विचार कर लिया जाय। यह कोई खेल नहीं है, कानून बन रहा है, जिसमें सवा छै करोड़ आदमियों के जीवन का प्रश्न है।

हम जानते हैं कि गांवों में जो सरकारी अफसरान हैं उनका आज भी रवैया बदला नहीं है, मैं प्रैक्टीकल बात बतलाता हूं। मैंने कल एक बात कही थी, मैं उसको दुहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन यह वास्तविकता है कि आज बेगार उन्हीं गरीब लोगों से ली जाती है जो झोंपड़ियों में रहते हैं और जिनके पास एक दो बीघा खेत रह गये हैं, वे भी डंडे के बल से उनसे छीने जा रहे हैं। जमींदारी का खात्मा हो गया है, लेकिन गांवों में अभी भी वही हालत है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पर विचार करें और देखें कि यह चीज वाजिब है, मुनासिब है? हम कोई लिमिट नहीं कर रहे हैं। सरकार चाहे १० रुपये रखे या ५ रुपये रखे यह सरकार को पूरा अधिकार है जो चाहे रखे। मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि अगर कल को इमरजेंसी काल हो जाय और शिवनाथ जी मिलीटरी में काश्मीर में जाकर लड़ें तो हम इंकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार हमको पैसा जरूर देगी हमारे बच्चों के लिये, हमारे खाने के लिये, हमारी दवा दारू के लिये। हम भारतीय विधान का आदर करते हैं और कहना चाहते हैं कि इस बात पर विचार करें और इस धारा को निकालने की कृपा करें। मैं पूरे बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं। जैसा कि कल कहा था कि मैंने केवल इस धारा का ही विरोध किया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस धारा को निकाल दिया जाय या फिर इस अमेंडमेंट को मान लिया जाय। मैं इन शब्दों के साथ इस अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो संशोधन रामेश्वरलाल जी ने रखा है, उसका समर्थन करना चाहता हूं, साथ ही जो माननीय राजनारायण जी ने संशोधन में संशोधन रखने की मेहरबानी की है, उसका मैं विरोध करना चाहता हूं। माननीय रामेश्वरलाल जी के संशोधन का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जो लोग गांवों में फसल में बीमारी लगने की वजह से काम में लगाये जायं उनको जीविका भरने के लिये यानी अपने को मेनटेन करने के लिये कुछ पैसा जरूर मिलना चाहिये। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम ऐसे लोगों की प्रवृत्ति और तेज करना चाहते हैं जो किसी सार्वजनिक कार्य में मेहनत करने से जी चुराये या उनको सामाजिक कार्य करने से रोका जाय। हम इसको बिलकुल मुनासिब समझते हैं, चाहे वह विधान में किसी प्रकार के वर्डिंग में हो। हम उन अल्फाज में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम यह समझते हैं कि सामाजिक सेवा के लिये अगर किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि वह अमुक काम करें तो इसमें हम सरकार के हाथों को कमजोर नहीं करना चाहते हैं। सामाजिक सेवा एक ऐसा विषय है, एक ऐसा काम है कि इस काम में चाहे कोई भी हो, अगर वह किसी को कहता है कि सामाजिक सेवा का कार्य तुम्हें करना चाहिये तो यह तो एक ऐसी भावना है जिसकी कद्र होनी चाहिये। यह बात जरूर है कि सरकार के साथ कुछ फोर्स की बात आती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये इस संयम की आवश्यकता पड़ती है कि सरकार की उस मन्शा को जिस मन्शा से हम इस विधेयक को पास करते हैं उस मंशा को सरकारी मुलाजिम पूरा नहीं करते हैं। इसलिये जरूर हम यह एहतियात रखते हैं कि ऐसा विधेयक पास न करें, जिससे उनके दुरुपयोग होने का डर हो। इसलिये हम इस बात की गुंजाइश जरूर रखें कि जितनी भी उससे सुरक्षा हो सके लोगों की, उसका ध्यान रखा जाय। लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि यह सार्वजनिक कार्य होगा और हमारा यह भी ख्याल है कि बहुत बड़े पैमाने पर यह काम नहीं होने वाला है, जिस प्रकार से कि श्रमदान का महत्व लोगों ने बताया है। यह तो बीमारी है कहीं पर बीमारी आगयी तो उस बीमारी की अवस्था में कुछ लोगों को ऐसा हुकुम दिया जा सकता है कि किसी फसल को उखाड़ कर फेंक दिया जाय, किसी फसल को काट डाला जाय। हो सकता है कि इस प्रकार का हुकुम देना पड़े। तो ऐसा हुकुम अगर हम नहीं देते हैं तो यह काम फिर चलना मुश्किल ही मालूम होता है। मेरे कहने का मतलब यह है, और मैं उसको और साफ कर देता हूं, कि हम इस विधेयक की जो मंशा है उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इस विधेयक के अन्दर इस तरह की एक धारा है, जिस धारा के दुरुपयोग होने का हमको डर है, उसका हम स्पष्टीकरण जरूर चाहते हैं। उस स्पष्टीकरण के लिये ही श्री रामेश्वरलाल जी ने ऐसा संशोधन रखा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत स्पष्ट इस बात को भी कह दूं कि मैं राजनारायण जी के संशोधन का विरोध क्यों करता हूं? राजनारायण जी ने कुछ इस प्रकार की बातें कहीं जो उनको नहीं कहनी चाहिये थीं। मैं उस पार्टी पालिटिक्स को छोड़ देता हूं लेकिन कम से कम उनको इतना संयम तो रखना चाहिये कि जिस पारटी के नेता वह आज तक बने रहे उसको तो बख्श देते। जब तक वह थे तब तक तो पी० एस० पी० पारटी अच्छी थी और आपने अपनी नेतागिरी के जमाने की पी० एस० पी० को भी नहीं बख्शा। राजनारायण जी ने यह कहा कि यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि २ रुपया मजदूरी सरकार से दिलाये तो वह भी इसका समर्थन करेंगे। मैं बहुत अदब के साथ श्री राजनारायण जी से कहना चाहता हूं कि राजनारयण जी खेती करने वाले घर के हैं और मैं भी खेती करने वाले घर का हूं। क्या राजनारायण जी और मैं इस बात के लिये तैयार हैं कि जो लोग हमारे घर पर खेती बाड़ी का काम करते हैं वह दो रुपया खेती बाड़ी के काम का लें? इस सारे सूबेभर में कहीं पर भी दो रुपया एग्रीकल्चर लेबर की मजदूरी नहीं है। एग्रीकल्चर लेबर इन्क्वायरी कमेटी बैठी और आज भी हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सारे सूबे में कानून बन जाय जिसके अन्तर्गत एग्रीकल्चर लेबर को जीवन यापन के लिये मजदूरी दिलायी जाय, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि एग्रीकल्चर लेबर को, खेती पर काम करने वाले मजदूर को हम दो रुपया मजदूरी दिलायें, क्योंकि हम किसानों से ज्यादा मजदूरी नहीं दिला सकते हैं। शुगर इंडस्ट्री या और इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके लिये भी हम दो रुपया मजदूरी दिलाने में असमर्थ हैं। तो हम कभी भी इस बात के लिये पाबन्दी नहीं लगा सकते कि जो लोग किसी बीमारी को हटाने में इस्तेमाल किये जायं उनको दो रुपया मजदूरी दिलायी जाय। हम यह समझते हैं कि इस विधेयक को राजनारायण जी ने पढ़ा होगा। वह जो भी आप पैसा दिलायेंगे वह सारा पैसा उस किसान के पास से ही आयेगा, क्योंकि वह बीमारी उसके खेत से ही हटानी होगी तो उसी काश्तकार से उस पैसे को लेना है। अगर वही काश्तकार १२ आना या एक रुपया रोजी पर मजदूरी करा लेता है तो उस बीमारी को दूर करने के लिये जो आदमी रखे जायेंगे उनके लिये क्यों कहा जाय कि उसको दो रुपया दिया जाय। मैं इसमें कोई तर्क नहीं समझता। मैं समझता हूं कि गुस्से में भी विवेक से काम लेना चाहिये। हम जानते हैं कि हम लोगों पर उनका गुस्सा है, लेकिन रामेश्वरलाल जी ने बहुत विचार करके इस प्रस्ताव को रखा है। तो उस नौजवान को जो राजनारायण जी का जूनियर है राजनारायण जी का आशीर्वाद मिलना चाहिये कि तुम इससे भी ऊंची बात कहा करो बजाय इसके कि उस पर यह दबाव डाला जाय कि तुम हमारा २ रुपये का संशोधन स्वीकार कर लो। मुझे मजबूरन इस डिबेट में खड़ा होना पड़ा कि कहीं रामेश्वरलाल जी उनका संशोधन न मानलें, और इसके लिये मैं राजनारायण जी से माफी चाहूंगा। मैं समझता हूं राजनारायण जी विवेक से काम लेंगे और अपना संशोधन वापस लेंगे।

[श्री गेंदासिंह]

श्रमदान कोई पाप का काम नहीं है। मैंने आज ही थोड़े जवाहरलाल जी के विचार इस संबंध में देखे। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो भूखे आदमी हैं उनसे श्रमदान कराने का कोई मतलब नहीं है। श्रमदान का मतलब है कि जो आदमी अपनी इच्छा से जाकर काम करें, और यह तभी हो सकता है जबकि लोगों के पास खाने के लिये पर्याप्त हो। उन्होंने चाइना का भी जिक्र किया है, और बतलाया है कि बाढ़ रोकने के लिये उन्होंने २० लाख आदमी लगाये, लेकिन उनसे कभी यह नहीं कहा कि हम तुमसे भूखा रखकर काम लेंगे। चाइना की सरकार ने उनके खाने-पीने का प्रबन्ध किया। इसके साथ-साथ जवाहरलाल जी ने कहा है कि सरकार ने उनके लिये रिक्रियेशन का भी बन्दोबस्त किया। जहां हम एक तरफ सार्वजनिक सेवा के लिये लोगों को जगाना चाहते हैं वहां हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है कि बगैर पैसे के भूख में काम नहीं हो सकता है। तो मैं सरकार से इतना अवश्य कहूंगा कि जिस आदमी से वह काम लेना चाहती है उसे कम से कम इतना जरूर दे कि वह अपनी भूख की ज्वाला को शांत कर सके।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह रामेश्वरलाल जी के संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें और राजनारायण जी से माफी चाहने के साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि यह बड़ा अव्यावहारिक और किसी काम में रुकावट डालना है कि ऐसे संशोधनों में वह संशोधन रखें। इसलिये उन्हें चाहिये कि अपना संशोधन वापस लेने की कृपा करें।

*श्री जयपालसिंह (जिला सहारनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस बिल को पेश करके और उसमें इस धारा को लाकर ऐसा सवाल पेश कर दिया है कि जिस पर हम सभी को मतभेद हो सकता है। इंसानी हकूक के नाते हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छापूर्वक काम कर सकता है तो यह धारा खिलाफ कानून है। पिछले दिनों हमारे यहां पंचायत राज्य ऐक्ट बना था और उसमें कम्पलसरी फीजीकल लेबर के सिलसिले में धारा थी। मैं उस समय के माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों की बात मानते हुये उन्होंने वह धारा उसमें से निकाल दी थी। फोर्स्ड लेबर के मानी बिलकुल साफ हैं। आई० एल० ओ० ने भी इसकी परिभाषा दी है और कहा है कि--

"Forced labour or compulsory labour has been defined as the convention of work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty or for which the said person has not offered himself voluntarily."

यह परिभाषा हमारी केंद्रीय सरकार ने स्वीकार की और प्रांतीय सरकारों को हिदायत दी कि वे अपने कानूनों में से ऐसी धाराओं को हटा दें। इसी प्रकार एक कानून रिमूवल आफ सोशल डिसेबिलीटीज ऐक्ट बना और उसमें एक धारा ३ ऐसी आई थी जिसके जरिये कोई भी काम बिना इच्छा या कम मजदूरी देकर या जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है। तो अब उस बात को इस तरह का कानून बनाकर फिर नलीफाई करना उचित नहीं है। इसी प्रकार आई० पी० सी० में धारा १७४ है, फार्स्ड लेबर के बारे में कि उसे नहीं कराना चाहिये। मैं आपके सम्मुख शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की १९५१ की रिपोर्ट के पेज २४ से नं० ५ पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने फोर्स्ड लेबर के सिलसिले में कहा है। उसमें लिखा है.

"परन्तु संविधान के प्रभाव में आने पर, बलात् श्रम का प्रतिषेध करने वाले उसके उपबन्ध के प्रकाश में, तत्संबंधी अधिनयमों की पुनः परीक्षा की गई। यह पाया गया कि उड़ीसा अनिवार्य श्रम अधिनियम, १९४८, की धारायें (२) क, ८,९ तथा ११, उत्तर भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम, १८७३ की धारायें ६६ और ७० (९) तथा मद्रास अनिवार्य श्रम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिनियम, १८५८ की धारायें १ तथा २ विभेद करने वाली हैं और संशोधन अपेक्षित करती हैं। इस संबंध में कार्यवाही की जा रही हैं।"

तो मैं नहीं समझता कि जब इस प्रकार की केंद्रीय कार्यवाहियां हों और उसके विपरीत यह सदन और हमारी सरकार जावे। केंद्रीय सरकार भी तो कांग्रेस की ही सरकार है और इस प्रदेश की सरकार भी कांग्रेस की ही है। तो जब दोनों जगह और सारे देश में कांग्रेस की सरकारें ह, तो हमारी सरकार क्या इस प्रकार से उसकी बातों की अवहेलना कर सकती है? इस कानून से भूमिहीन और गरीब मजदूरों पर अन्याय होगा। उनकी गरीबी की तो यह हालत है कि उनको ४ या ५ महीने हो, या इतना भी नहीं, काम मिल पाता है। एग्रीकल्चरल लेबर इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में भी साफ लिखा है और यह बात स्वीकार की गई है कि इस प्रकार की हमारे उत्तर प्रदेश की अवस्था है। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कानून बनाना कहां तक उचित होगा? और जबरदस्ती काम लेकर, उन लोगों के लिये जो कि काम करने वाले हैं खेती बारी करने वाले हैं, बारोजगार हैं, उनकी सुविधा के लिये इस प्रकार का कानून लाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कानून लाकर हजारों, लाखों और करोड़ों खेतिहर मजदूरों को भूखा मारना मुनासिब नहीं है। अगर किस क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था हो जाती है कि मजदूरों को काम पर लाया जाय, और अगर मजदूर काम पर न जाय तो उस पर जुरमाना किया जाय, तो मैं नहीं समझ सका कि इसमें वैधानिकता कहीं सिद्ध होती है? ऐसा कानून दुनिया में कहां मिलेगा जिसमें यह लिखा हो कि मजदूरों को मुफ्त में काम करने के लिये लाया जाय और उनको खाने को भी न दिया जाय? लेकिन वैसा ही आज कानून हमारे सदन के सामने प्रस्तुत है। ऐसी अवस्था में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पहले इसी प्रकार का एक कानून था जो कि रिपील किया गया था; लेकिन वह इस कानून के द्वारा दूसरी शक्ल में फिर लाया जा रहा है, और उसको अनिवार्य सेवा करार दी जा रही है। क्या यह किसी प्रकार से सेवा हो सकती है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उन लोगों के लिये होना चाहिये जो खेतीबारी करते हैं और उससे पैदावार करते हैं और उससे बड़ी भारी आमदनी करते हैं। ऐसे लोगों के लिये जरूरी है कि वे खेती की रक्षा करें और दूसरों से करायें या मजदूरी देकर करायें या नौकर रख कर करायें। एक तरफ तो सरकार इन मजदूरों को खेत देने की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, उनके लिये ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहती है और दूसरी ओर उनसे जबरदस्ती काम लेकर उनको मजदूरी भी नहीं देना चाहती। सदन के लिये ऐसा कानून बनाना उचित नहीं है। अगर ऐसा कानून बन जायगा तो समाज में ऐसी व्यवस्था पैदा हो जायगी कि जिससे हमारे बहुत से साथियों को शायद जेलखाना भी जाना पड़ेगा और उसको हटाने के लिये सत्याग्रह भी करना पड़ेगा, और इस प्रकार की अनिवार्य सेवा के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। ऐसी हालत में ऐसे किसी कानून को पेश करना उचित नहीं है जिससे जनता को उसकी अवहेलना करने के लिये बाध्य होना पड़े।

मंत्री जी की ओर से कहा गया कि आग लग जाती है तो लोग उसको बुझाने के लिये जाते हैं। जब आग लग जाती है तो लोग ह्यूमेनीटेरियन प्वाइन्ट आफ व्यू से उसको बुझाने के लिये जाते हैं, लेकिन जब अपनी ही दाढ़ी में आग लगती है तो पहले उसको ही बुझाना पड़ता है। जब पेट में आग लगी होगी तो पहले उसको बुझाना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में यह कहना उचित नहीं है कि लोग आग या फ्लड के वक्त जाते हैं और फिर ऐसी स्थिति में किसी के साथ कोई जबरदस्ती की बात नहीं होती। जब आज तक इस प्रकार का जबरदस्ती का कोई कानून नहीं बना तो क्या कारण है कि आज यह कानून इस प्रकार का बनाया जा रहा है।

मैं यह साफ बता देना चाहता हूं कि जो लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं वे लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी हालत में मैं कह देना चाहता हूं कि वे लोग इस प्रकार की बेकार की दलीलें न दें और उनको अपने पास ही रखें। इस तरह की दलीलों से समाज का कल्याण नहीं होगा और न सोशलिस्टिक पैटर्न ही बनेगा, जिसको आप लोग बनाना चाहते हैं। जब गरीबों को तबाह किया जायगा, मजदूरों से बेगार ली जायगी, लोगों के खाने की व्यवस्था न की जायगी

[श्री जयपाल सिंह]

तो सोशलिस्टिक पैटर्न कैसे बन जायगा ? यह समझ में नहीं आता। ऐसे कार्यों से सोशलिस्टिक पैटर्न होने का नहीं जैसे कि आप करने जा रहे हैं। आज सरकार एक वर्ग के लिये सब लोगों को तबाह करना चाहती है, तो मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार के कार्यों से समाज कल्याण होने वाला नहीं है। आज इस धारा द्वारा अवैधानिकता का प्रश्न हमारे सामने आता है। सरकार जो कार्य करती है वह उसे इस तरह से करना चाहिये कि वह वैधानिक हो। कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिये जो हाईकोर्ट में जाकर अवैधानिक करार दिया जाय। कई कानून यहां पर ऐसे भी बने हैं जो हाईकोर्ट में जाकर अवैधानिक साबित हो गये। आखिर हम क्यों ऐसा कानून बनावें जो हमारे संविधान की मंशा के खिलाफ हो ? हम क्यों इस कानून पर यहां विचार करें और क्यों ऐसा कानून पास करें जो बाद में जाकर अदालत द्वारा तय हो ? मैं इस सदन से और इस सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस तरह के कानून को इसलिये नहीं छोड़ देना चाहिये कि वह अदालत में जाकर तय हो। अदालतों का मामला तो यह है कि इसकी अपील भी नहीं हो सकती है। यह कहां की इंसाफ की बात है कि अपील भी नहीं हो सकती, मैं नहीं समझता।

दूसरी बात यह है कि जो मजदूर अपना पेट भी नहीं भर सकता उसके लिये यह कहां तक संभव है कि वह सैकड़ों रुपये खर्च करके हाईकोर्ट में जावें, और फिर वहां वकीलों की फीस आदि में तमाम रुपया खर्च करे। मैं समझता हूं कि इस तरह से उनको विवश करना कि वे हाई कोर्ट में जाकर अपील करें और उसकी रेक्टिफिकेशन करायें, वैधानिकता और अवैधानिकता पर विचार करने के लिये हाईकोर्ट में जाकर दरख्वास्त करना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि इस तरह से अमीर लोग ही वहां जाकर अपने लिये सुधार करा सकेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको किस तरह से जस्टिस मिलेगी, मेरी समझ में नहीं आता। भारत के संविधान में यह चीज मौजूद है कि सबको बराबर जस्टिस दी जायगी, तो मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से उनको जस्टिस दी जा सकेगी ? इस तरह से पश्चिमी जिले और उधर गोरखपुर आदि जिले हाईकोर्ट से कितनी दूर पड़ते हैं। सैकड़ों रुपया तो हाईकोर्ट तक आने जाने में ही उनका लग जायगा, वकीलों की फीस आदि तो अलग रही। आखिर किस तरह से उनके लिये आसानी है कि हाईकोर्ट में जाने पर उसका रेक्टिफिकेशन हो जायगा। मैं समझता हूं कि इस धारा को लाकर कानून शिकनी की जा रही है। इस सदन के लिये और इस सरकार के लिये भी इस कानून को पास करना उचित नहीं है। इस सरकार के लिये यह उचित नहीं है कि वह अपने बाशिन्दों को एक नजर से न देखें और सब के फायदे के लिये कानून न बनावें। इस तरह से आज तक यह कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ है कि लोगों से अनिवार्य काम लिया गया हो और उनको खाने के लिये कुछ न कुछ दिया गया हो। हां, अनिवार्य भरती तो फौज में होती है, लेकिन वहां भी उनको खाने के लिये मिलता है। पश्चिमी जिलों में तो एक एक परिवार से दो दो तीन तीन आदमी फौज में भरती हुये हैं, लेकिन उन सब को खाना पैसा मिलता है। ऐसी बात कहीं नहीं है कि लोगों को भूखों मार कर उनसे अनिवार्य काम लिया जाय। न हिन्दुस्तान में और न हिन्दुस्तान के बाहर के देशों में ही ऐसी बात है। ऐसी हालत में भूखों मार कर काम लेना यह कानून के खिलाफ है। मैं माननीय मंत्री जी से फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में वे सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर पंडित पंत जी से सलाह मशविरा कर लें कि आया यह बात सही है या गलत है। कानूनी मुशविरों से भी सलाह मशविरा कर लें और मैं समझता हूं कि उसके बाद ही इस पर विचार किया जाय औ इसको पास किया जाय। तब तक के लिये इसको स्थगित कर देना ही ठीक होगा। मैं समझता हूं कि इस पर माननीय मंत्री जी अवश्य विचार करेंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न उपस्थित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपने इस संशोधन पर उन सदन के माननीय सदस्यों को, जिन्होंने पक्ष में राय दी है उनको धन्यवाद देता हूं और विशेषतः माननीय श्री शिवनारायण, श्री जयपालसिंह और अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। इसके साथही साथ मैं उचित समझता हूं कि इसके पहले मैं माननीय राजनारायण जी द्वारा प्रस्तुत जो संशोधन हमारे संशोधन के ऊपर है उन पर भी मैं अपने विचार आपके सामने और इस सदन के सम्मुख उपस्थित कर दूं। माननीय राजनारायण जी चाहते हैं कि मैं अपने संशोधन में यह मान लूं कि २ रुपया प्रति दिन मजदूरी भी पारिश्रमिक रूप में नियत कर कर दी जाय। श्रीमन्, सबसे पहले मैं राजनारायण जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह समझता हूं कि माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी के साथ-साथ संशोधन प्रस्तुत करते हुये माननीय राजनारायण जी ने यह कहा था कि ५ रु० मजदूरी जो देहातों में पाते हैं उनको काम में न लगाया जाय, लेकिन भाषण में आपने यह विचार रखा था कि ५ रु० मजदूरी नियत की जाय, लेकिन अपने भाषण में यह विचार व्यक्त किया कि ५ रु० जो मजदूर देहातों में पाते हैं या काम में लगे हुये हैं, उनको काम में न लगाया जाय। और आज हमारे संशोधन में श्री राज नारायण जी चाहते हैं कि...

श्री अध्यक्ष--यह ५ रुपया रोज है या....

श्री रामेश्वरलाल--जी, वह ५ रुपया रोज था, अब वह हमारे संशोधन में चाहते हैं कि मजदूरी २ रुपया प्रतिदिन मान ली जाय और अगर किसी मजदूर से काम लिया जाय तो उस को २ रुपया प्रतिदिन के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या आप २ रुपये रोज से भी ज्यादा चाहते हैं?

श्री रामेश्वरलाल--माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि क्या हम दो रुपये रोज से ज्यादा चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ इस कीड़े मकोड़ों के विधेयक में ही सारे सोशलिस्टिक पैटर्न की जो मान्यतायें हैं वे सब की सब न लागू कर दी जायं। मैं चाहता हूं कि देश में समानता से और समाजवादी तरीके से, और जो देश की इस समय समाजवादी विचारधारा है उस के अनुरूप हम १०० रुपये से कम किसी को आय नहीं देखना चाहते, लेकिन यह तो एक कीड़े मकोड़ों का बिल है। मैं चाहता हूं कि कीड़े मकोड़े जैसी चीज जो खेती को बरबाद करती है उन को मारने के या नष्ट करने के काम पर जिन को लगाया जाय उनको इतना तो पारिश्रमिक मिलना ही चाहिये ताकि वह भूखे मरने पर मजबूर न हों। मैं तो यह सदन पर ही छोड़ देता हूं कि वहतय करे कि उचित पारिश्रमिक क्या हो?

कल इस संबंध में माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने भी अपने विचार सदन के सामने रखे और उन्होंने यह आशंका प्रकट की कि हमारे संशोधन के मानने से ऐसा हो सकता है कि हैजा प्लेग वगैरह की महामारी जब फैलती है तो टीके का स्टाफ भेजा जाता है, अगर उस स्टाफ को भी टीका आदि लगाने के काम में कभी कुछ देर हो जायगी तो वह भी पारिश्रमिक मांगने लगेंगे। ऐसी उन की आशंका है। मैं उनका ध्यान हैजा, प्लेग आदि जो महामारी फैलती है उनकी तरफ दिलाऊंगा और अधिकतर ऐसी महामारी का प्रकोप पूर्वी जिलों में होता है, आजकल नहीं है। लेकिन फिर भी उधर के लोग इनसे तबाह रहते हैं। इन महामारियों के अवसर पर जब सैकड़ों मानव अपनी जान गंवाते हैं उस समय भी सरकारी कर्मचारी जो काम वहां जा कर करते हैं उसके लिये पैसा लेते हैं। तो वहां तो माननीय रामनरेश शुक्ल उन को पैसा देने के पक्ष में हैं कि उनको पारिश्रमिक दिया जाय, लेकिन इस तरह का जो मानव की जिन्दगी से संबंध रखने वाला काम है वह अन्न जो किसान पैदा करते हैं उस को कीटाणुओं से बचाने का जो काम है उस पर वह पारिश्रमिक देना नहीं चाहते और वह इसका विरोध करते हैं।

[श्री रामेश्वरलाल]

श्री केशभानु राय ने भी कहा कि इस तरह से जो गांव में गंदी नालियां हैं उनकी जो सफाई का काम है, उसके लिये भी वहां के लोगों को मजदूरी चाहिये, और उनकी राय में पारिश्रमिक ऐसे काम के लिये नहीं देना चाहिये। लेकिन उनको इसका और उसका अन्तर समझना चाहिये और वह यह है कि गंदी नालियों से तो सारे समाज को कुप्रभावित होना पड़ेगा इस लिये वह काम तो बिना पारिश्रमिक के ही लिया जा सकता है और वह काम लोगों को करना चाहिये। कीड़े-मकोड़ों को मारने का काम जो खेती को नुकसान करते हैं और गंदी नालियों की सफाई के काम में तो जमीन आसमान का अन्तर है, गंदी नाली या गंदे कपड़े या गन्दे इंसान कौन पसन्द करता है? लेकिन यह बिल उस से संबंध नहीं रखता है। इस का संबंध तो इंसान की जिन्दगी कायम रखनेवाली जो चीज अन्न है उसकी रक्षा से संबंध रखता है और जिसकी हर एक को आवश्यकता है। यह गन्दी नालियों, गंदे कपड़ों और गंदे आदमियों का प्रश्न नहीं है, बल्कि जिन्दगी को दूभर करने वाले कीटाणुओं से है, जो कि अनाजों पर, जिनका इंसान के जीवन में जरूरत है, हमला करते हैं, उनको नाश करने से है। तो फिर गंदी नाली वाली मिसाल से इसको मिलाना उचित नहीं है।

श्रीमन्, मैं सरकार का ध्यान श्री जयपालसिंह जी के एक वाक्य की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि वर्गविशेष के लाभ के लिये ही यह सरकार काम कर रही है। जयपाल सिंह जी और विरोधी पार्टी के सदस्यों में अन्तर है। श्री जयपालसिंह जी उस पार्टी से संबंध रखते हैं जो आज पावर में है और उनका कहना है कि उनकी पार्टी की सरकार एक वर्गविशेष के लाभ के लिये ही सारे कानून बनाती रही है और उनको खतरा है कि अगर इस तरह के स्वार्थों का ही ख्याल अगर सरकार करती रही और विधेयक बनाती रही तो सरकार के लिये भी खतरा है, ऐसे विचार जयपालसिंह जी ने व्यक्त किये हैं। मैं सरकार का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है, जिसमें वह अपने प्रांत की जनता के लिये ही नहीं, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि सारे भारतवर्ष के लिये और मानवमात्र के विचारों पर कुठाराघात करने वाला क्लाज है, क्योंकि इस क्लाज द्वारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को मुफ्त श्रम करने के लिये आज्ञा दे सकता है और यदि वह उस आज्ञा की अवहेलना करता है, तो वह ५० रुपये तक जुरमाना कर सकता है।

श्रीमन्, देहातों में रहने के कारण और खासकर विरोधी पार्टी में रहने के कारण लोगों की बहुत सी शिकायतों को सुनने का मौका मिलता है। और हम लोगों ने देखा है कि ऐसी ऐसी धाराओं का और ऐसे ऐसे कनूनों का बहुत ही दुरुपयोग हुआ है और होता चला आ रहा है। श्रीमन्, आज पटवारी किसलिये नियुक्त हैं, वह इसलिये कि गांवों में जो खेतों पर काबिज हैं, जो खेती करते हैं उन पर उनका नाम पड़ताल करें। सरकार का आदेश है और माननीय कृषि मंत्री जी बार-बार घोषित कर चुके हैं और पंचायतों के सभापतियों के पास जो पत्र जाते हैं उनमें भी बराबर घोषणा देखने को मिलती है कि पटवारियों की नियुक्ति इसलिये हुई है कि गांवों में जो खेती करते हैं उनके नाम की पड़ताल करें, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि ये पटवारी और माननीय मंत्री जी के शब्दों में लेखपाल सही काम करते हैं, और उन लोगों के नाम जो खेतों पर काबिज हैं, उनका कब्जा लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। सरकारी आदेश एक तरफ बने हुये हैं और लेखपाल अपने स्वार्थों के वशीभूत हो कर, दो दो चार चार आनों से लेकर सौ सौ रुपयों के लालच में, चांदी के टुकड़ों के लालच में इंसानों की जिन्दगी का खून कर रहे हैं और उनके खेतों को दूसरे के नाम में लिखते हैं। हमें यह दृश्य अपने प्रांत में देखना पड़ता है कि कत्ल हो रहे हैं, बलवे हो रहे हैं और फौजदारियां हो रही हैं, और क्या क्या नहीं हो रहा है। इस प्रांत में थानेदार किस लिये हैं? वह इसलिये है कि जो प्रांत में रहते हैं छोटे बड़े सबके जीवन की रक्षा का भार उनके ऊपर है। हर इंसान की जिन्दगी की सुरक्षा का भार

उनके ऊपर है। लेकिन श्रीमन्, मैं देखता हूं कि १०७ के मुकदमे कितने आज चल रहे हैं और उसका दुरुपयोग कितना हो रहा है? और उन लोगों के खिलाफ, उन पार्टियों के खिलाफ हो रहा है जो सत्ताधारी पार्टी है उनके विरोधी हैं, या उस सत्ताधारी आर्गनाइजेशन के विरुद्ध आर्गनाइजेशन खड़ी करते हैं उन आदमियों के खिलाफ यह शस्त्र इस्तेमाल किये जा रहे हैं। मुझे डर है कि अगर यह धारा पास हुई तो राजनैतिक षडयंत्र खड़े किये जायेंगे और जो लोग उन लोगों से नाराज होंगे उन्हें अपने शिकंजे में फंसायेंगे तो इस तरह से नाजायज कानून से नाजायज लोगों द्वारा नाजायज फायदा उठाया जायगा। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन खेतीबारी के कीड़ों-मकोड़ों से संबंधित है और इसका संबंध देहात के किसानों से है उनकी जिन्दगी की रक्षा के लिये है। तो यह उनकी रक्षा के लिये ही बनना चाहिये। मानव कानून के लिये नहीं है, बल्कि कानून मानव के लिये बने हैं। और हम जानते हैं कि माननीय मंत्री जी इससे प्रेरित हो कर इस कानून को पेश कर रहे हैं कि यह मानवमात्र की भलाई के लिये हो, चाहे वे प्रांत में रहते हों या प्रांत के किसी क्षेत्र में रहते हों। यह बात है तो इस कानून से मानव की जिन्दगी को कठोर बनाने से कोई लाभ नहीं होगा।

एक बात और निवेदन कर दूं कि माननीय गेंदासिंह जी ने आशंका प्रकट की कि माननीय राजनारायण जी के इस संशोधन को मान न लूं। श्रीमन्, मेरे पास भी विवेक है। मैं किसान का लड़का हूं और खेतीबाड़ी करता हूं, और माननीय गेंदासिंह से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इतना तो विश्वास रखना चाहिये कि मैं ऐसा कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। ऐसे लोग जो राजनैतिक पार्टियों में रह आये हैं, और जिन्होंने अंग्रेजी जमाने में लोहा लिया हो। यहां आकर वे वाग-जाल में फंस जायेंगे, ऐसी उनकी आशंका निर्मूल है।

मैं माननीय राजनारायण जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान में कहा कि रामेश्वरलाल जी को वाग-जाल में न पड़ना चाहिये। वाग-जाल में तो राजनारायण जी ने ही पड़ना प्रारम्भ कर दिया है। अगर आप इजाजत दें तो मुझे डर नहीं यह कहने में कि जब से इस सदन की बैठकें हुई हैं तब से आज तक जो-जो विचार उन्होंने इस सदन के सम्मुख व्यक्त किये उनसे यही प्रतीत होगा कि आप वाग-जालों के बीच में हैं। गोरखपुर में जो हुआ, नहर रेट का जो आन्दोलन हुआ, लखनऊ में कुर्की कांड हुआ और कुम्भ घटना हुई, लेकिन राजनारायण जी का जो रुख उस वक्त था माननीय सम्पूर्णानन्द जी की मिनिस्ट्री बन जाने के बाद पिछला जो सत्र चला, मेरा दावा है कि राजनारायण जी के नेतृत्व-काल में, जब वह अपोजीशन लीडर थे, एक भी वाक आउट नहीं हुआ, एक भी डिवीजन काल नहीं किया। राजनारायण जी सदन में मौजूद थे और मैं बारबार राजनारायण जी से कहता था कि आप क्या करते हैं, आप वाक आउट कीजिये। मैं जानता हूं कि माननीय राजनारायण जी इससे इंकार नहीं करेंगे। श्रीमन्, वही राजनारायण जी हैं, वही सम्पूर्णानन्द मिनिस्ट्री है। बात क्या हो गई? बात साफ है।

श्री अध्यक्ष—आप विषयान्तर कर रहे हैं। राजनारायण जी इस धारा में नहीं हैं।

श्री रामेश्वरलाल—कल श्रीमन्, राजनारायण जी अपने भाषण में मुझे बहुत आदेश दे चुके हैं। मैं भी उचित समझता हूं कि उसका जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष—आपने इशारतन उनके भाषण का जवाब दे दिया, लेकिन अब तो आप बहुत, सी चीजें नई निकाल रहे हैं।

श्री रामेश्वरलाल—मैं आपकी आज्ञा से बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता। मेरा संशोधन बहुत सीधा-सादा है और आवश्यक संशोधन है। मुझे उम्मीद है कि सदन के लोगों के इच्छानुकुल माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे। अगर नहीं स्वीकार करेंगे तब भी अपने दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर स्वीकार करेंगे तो प्रान्त के लोगों की भलाई हो जायगी। अगर नहीं मानते हैं तो कम से कम यह जाहिर हो जाता है कि जो लोग उसके खिलाफ मत व्यक्त करते हैं, जो उनकी

[श्री रामेश्वरलाल]

पार्टी के हैं वे कह सकते हैं कि अपनी ताकत के बल पर माननीय मंत्री जी रहते हैं और उनकी सही बात नहीं मानते।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)-- श्रीमन्, मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दूं।

श्रीमन्, चूंकि आपने भी पूछा था पांच रुपये के बारे में, मैंने पांच रुपये की मजदूरी मिले, ऐसा संशोधन नहीं रखा था। मैंने माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी के संशोधन में जो संशोधन रखा था वह यह था कि जो शारीरिक अक्षम हों, या वे लोग जो पांच रुपये तक मजदूरी करके कहीं दूसरी जगह अपना जीविकोपार्जन करते हों, उनसे काम न लिया जाय, ऐसा हमारा संशोधन था। तो माननीय रामेश्वर लाल जी को बहुत गलत फहमी हो गयी। हमारा ऐसा कहना नहीं था और जो बात उन्होंने आगे कही है वह बात मैं कहता ही रहूंगा। कौन प्रतिक्रियावादी है और कौन क्रान्तिकारी है यह तो अभी पता चल जाता है।

*कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र श्री शिवनारायण जी की तकरीर बड़े ध्यान से सुनी। कल भी समझने की कोशिश की और आज भी मैंने बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने एक जो प्रश्न उठाया वाकई वह संविधान का प्रश्न है और गूढ़ विषय है। इसी वजह से मैंने ध्यान देने की कोशिश भी की। कल इशारा पाने पर मैंने सोचा कि मुमकिन है कि मेरी अक्ल काम न कर रही हो, तो मैंने अपने कानूनी विभाग से मशविरा लिया। पहले भी ले चुका था और कैबिनेट में भी हम लोगों ने पूरे तौर से जांच-पड़ताल कर ली थी और इसी निश्चय पर पहुंचे थे कि यह संविधान के किसी तरह से खिलाफ नहीं पड़ता है और यह बिल बिल्कुल जायज और ठीक होगा। कोई भी क्लाज संविधान के विपरीत नहीं पड़ता। कल भी जब मशविरा लिया, वह भी मुझे वैसा ही मशविरा मिला, जैसा कि पहले मिला था। तो मैं अपनी जगह पर बिल्कुल मुतमईन हूं कि यह धारा भी बिल्कुल संविधान के खिलाफ नहीं पड़ती। लिहाजा जो खतरात हमारे दोस्त शिवनारायण जी ने बताये वह खतरात मेरे सामने नहीं हैं। और उनका भी कोई कुसूर नहीं है। संविधान के मामले में दो राएं हो सकती हैं। लेकिन ठीक एक ही हुआ करती है। दोनों ठीक होती नहीं। तो उनकी राय कतई गलत है यह मैं कह सकता हूं कि क्योंकि हमारे लीगल एक्सपर्ट्स ने हमें ऐसी ही सलाह दी है। लिहाजा मुझे कोई खतरा नहीं है और इसी की बिना पर उन्होंने सारा तूमार बांधा स्पीच में। लेकिन जब बुनियाद खत्म हो जाती है तो तूमार भी जमींदोज हो जाता है। श्री जयपाल सिंह ने भी बहुत लम्बी तकरीर की और जैसी उनकी बात मैं हमेशा समझ नहीं पाता, आज भी एक लफ्ज समझ नहीं पाया। और इसमें मैं जरा भी कोई गलत बात नहीं कहता। या तो उधर बैठने की वजह से या कम सुनने की वजह से या जल्दी जल्दी जबान चलने की वजह से मैं उनकी बातें ठीक समझ नहीं सका। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे लिए दिक्कत है कि जवाब कैसे दूं? एक मफहूम मैंने उनकी स्पीच का यह समझा कि बिला मजदूरी काम न लिया जाय। इतना समझा है। हमारा काम इस संशोधन के सम्बन्ध में बिल्कुल आसान हो गया श्री गेंदासिंह की तकरीर के बाद। मैं इसके लिये उनका बड़ा आभारी हूं।

श्री राजनारायण--दोनों एक ही हैं।

श्री हुकुमसिंह--जगह में फर्क है। आप अपने को खुश कर लीजिये। लेकिन बड़ा अन्तर हो गया है। और फर्क यह है कि उनके साथ 'प्रजा' लगा हुआ है, और आपने 'प्रजा' को निकाल ही दिया है। लिहाजा यह एक बहुत बड़ा अन्तर है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा काम बिल्कुल सहल हो गया है और मेरे दोस्त शम्भूनाथ जी ने कल एक तरमीम पेश की। कानून की जिस दफा पर बहस कीजिये उसी पर नजर न डालिए आगे भी नजर डालिए, और देखिये कि कोई ऐसे लफ्ज हैं जिससे आपके एतराजात रफा हो सकते हैं या नहीं? अगर आप एक जगह पर नजर डालेंगे, आगे जो हो चुका है वह भूल जायंगे तो सम्भव है कि इसमें हमारे आपके सोचने में गलती हो जाय। शम्भूनाथ जी ने इस प्रतिबन्ध के सिलसिले में एक तरमीम पेश की थी, जिसको हमारी तरफ से स्वीकार किया गया और सदन ने उसको स्वीकार किया। वह प्रतिबन्ध यह है कि :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति को जो वृद्धावस्था अथवा किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण सहायता करने में असमर्थ हो अथवा अन्य उचित कारणवश सहायता देने में असमर्थ हो।"

इतना हिस्सा और मिलाया जाय। तो अन्य उचित कारण ऐसा है कि उसमें बहुत-सी बातें आ सकती हैं। यह बड़ा व्यापक है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी है, वह रोज कमाता है और तब खाता है। अगर वह एक दिन काम न करे तो भूखों मर जाय तो यह उचित मालूम होता है कि ऐसे आदमी से काम न लिया जाय। अगर लिया जाय तो उसे कुछ दिया जाय, अगर कुछ दिया न जायगा तो वह खायेगा क्या? तो इस तरह से इन बातों पर विचार किया जा सकता है तो वह और जो रूल बनाये जायंगे इस अधिनियम के मातहत, इसमें ऐसी बातों का ख्याल रखा जायगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अगर एक आदमी सफेदपोश है, उसको भी इसमें...

श्री हुकुमसिंह—तो उसमें नहीं आ सकता? सफेद और काले पोश में आज कल कोई अन्तर नहीं है। आप भी यहां बैठे हैं, मैं भी यहां बैठा हूं—तो क्या अन्तर है? सब बिल्कुल बराबर हैं। हमारा संविधान इन सब को बराबर करता है। लिहाजा ऐसी बात सोचना संविधान का अपमान करना है। ऐसी बात कभी ध्यान में नहीं लानी चाहिये। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन के बाद जो खतरात हमारे मित्रों के दिल में हैं वे रफा हो जाते हैं। यह सरकार यहां बैठ कर आम जनता की सेवा करना चाहती है, उसमें गरीब और अमीर सभी हैं, सब की सेवा करना चाहती है और सब को एक दृष्टि से देखना चाहती है। यह जो विधेयक रखा गया है वह तमाम जनता के फायदे के लिये रखा गया है, सार्वजनिक हित के लिये रखा गया है। तो यह कयास कर लेना कि ऐसा कानून और रूल बनाया जायगा कि जिसमें गरीब तबाह हो जायंगे मोटों को और मोटा किया जायगा, गलत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सफेद पोश मौर्य जी हैं, बड़े आदमी हैं, अपने हाथ से काम नहीं कर सकते। तो अगर उनके खेत में गेरुई लग गई और उनको आदेश दिया गया कि अपने खेत को काट दो ताकि दूसरे के खेत में यह फैल न जाय, और अगर उस समय उन्होंने उस आदेश को न माना तो दूसरों से काम कराया जायगा और उनका पैसा उनकी जेब से लिया जायगा। लिहाजा इसमें कौन सी दिक्कत और परेशानी है? वह अपने हाथ से तो काटेंगे नहीं, और खिलाफवरजी जरूर करेंगे। लिहाजा हमको वह काम कराना पड़ेगा और उन लोगों से काम कराना पड़ेगा जिनको हम कुछ देकर लायेंगे, जिन पर हम कुछ खर्च करेंगे और उन पर खर्च क्या होगा? सिगरेट-पान उन पर नहीं खर्च किये जायंगे, उनको तो कुछ नाश्ता दिया जायगा, कुछ चबेना दिया जायगा और इसमें कुछ खर्च होगा। लिहाजा इस संशोधन के बाद कोई दिक्कत नहीं है।

एक दिक्कत और हो सकती है कि मान लीजिये कि कोई शख्स मौर्य जी के यहां मुलाजिम है। हम उसको बुलाते हैं तो वह कहता है कि नहीं जी, तुम वहां नहीं

[श्री हुकुमसिंह]

जाओगे। तो इसमें उसका क्या कसूर? उनका मुलाजिम है, उनकी आज्ञा बिना कैसे आये? तो इसको भी हम सोच करके रूल बनायेंगे। लिहाजा इस तरमीम की जरूरत नहीं है। इससे हमारे रास्ते में अड़चन पड़ेगी और सहूलियत नहीं होगी। हमारे गेंदा सिंह जी ने कहा है कि सार्वजनिक कामों में रोड़ा नहीं पैदा करना चाहिये, बल्कि हमें उसमें सहूलियत पैदा करनी चाहिये। यह उनका बहुत सुन्दर सुझाव है और इसके लिये मैं उनका आभारी हूं। यह एक फर्क है जिसमें मुझे इधर में और उधर में फर्क मालूम पड़ता है।

श्री अध्यक्ष--इसमें राजनारायण जी का भी संशोधन है। यदि यह स्वीकृत हो जाता है तो उनका भी लिया जायगा। अगर यह गिर जाता है तो वह भी गिर जायगा, यह उसका परिणाम है। तो इस हिसाब से माननीय सदस्य राय दें।

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ५ में शब्द "रहता हो" के बाद का "कामा" हटा दिया जाय और उसके बाद तथा शब्द "सहायता" के बीच में शब्द "अथवा जिसकी जीविका चलाने भर की मजदूरी न दी जाय" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--२०

विपक्ष में--९५।)

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

प्रांतीय स्वास्थ्य बोर्ड के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री उपाध्यक्ष--मुझे एक सूचना सदन को देनी है। वह इस प्रकार है--प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के ५ सदस्यों के निर्वाचन के लिए जो कार्यक्रम पहले निर्धारित किया गया था उसके अनुसार २९ अगस्त, १९५५, नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति के लिए, ३० अगस्त, १९५५, सूक्ष्म परीक्षा के लिये तथा २ सितम्बर, १९५५ नामों की वापसी के लिए नियत किया गया था जिसकी सूचना माननीय सदस्यों को १९ अगस्त, १९५५ को दे दी गई थी। सदन की बैठकें २७ अगस्त, १९५५ से ४ सितम्बर, १९५५ तक नहीं होंगी। अतः उक्त निर्वाचन के लिए माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित परिवर्तित कार्यक्रम निर्धारित किया है--

(१) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि तथा समय--६ सितम्बर, १९५५ सायंकाल ४ बजे।

(२) नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा--७ सितम्बर को ३ बजे के अपरान्ह।

(३) नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि--१२ सितम्बर, १९५५ को सायंकाल ५ बजे।

यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन की तिथि तथा समय की सूचना बाद में दी जायगी।

उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखत संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं —

खंड ४ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ के शब्द "अपितु" के बाद और पंक्ति ४ के शब्द "क्षेत्र" के बीच में शब्द "गांव पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास करने के बाद" बढ़ा दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत में इस बिल में इस बात की कोशिश करने की जरूरत है कि गांव के लोगों को जितना अधिक से अधिक हो सके कांफिडेंस में लिया जाय। अब इसमें यह है कि उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन प्रत्येक अध्यासी को तथा उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन अन्य व्यक्तियों को, जिनकी सहायता अपेक्षित है, सूचित करना आवश्यक नहीं होगा, अपितु क्षेत्र, गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में डुग्गी पीट कर अथवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस सम्बन्ध में की गयी घोषणा उस क्षेत्र, गांव अथवा उस स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिये पर्याप्त सूचना समझी जायगी। इसमें इस संशोधन को मान लेने से यह हो जायगा कि जहां "अपितु" है वहां यह हो जायगा कि "सूचित करना आवश्यक नहीं होगा अपितु गांव पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास करने के बाद क्षेत्र, गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में डुग्गी पीट कर अथवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस सम्बन्ध में की गई घोषणा उस क्षेत्र, गांव अथवा उस स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त सूचना समझी जायगी।"

हमारा तात्पर्य केवल इतना है कि अगर गांव पंचायत में हम प्रस्ताव पास कर लेंगे तो फिर हमारी बहुत-सी कठिनाई हल हो जायगी, दूर हो जायगी। सूचना देने का काम जो है वह गांव पंचायत के जरिये हम ज्यादा पहुंचा सकेंगे। गांव पंचायत में जिस वक्त हम प्रस्ताव पास कर लेंगे तो गांव पंचायत का एक फर्ज हो जायगा कि वह सभी लोगों को सूचित करे कि अमुक कार्य के लिए सरकार का एक फैसला हो चुका है, या सरकार द्वारा जो विशेषज्ञ खेती के हैं, उन्होंने किसी बीमारी को मान लिया है कि फस्ल में आ गयी है और उसको काट करके हटा देना जरूरी है। या उसमें अगर कीड़े लगते हैं तो उनको मारने के लिए कुछ मजदूरों को लगाना जरूरी है। तो इस तरह से अगर जानकारी गांव पंचायत के जरिये से गांव पंचायत का फैसला करके होती है तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी बहुत कम हो जाती है और सरकार की तरफ से जो कुछ करना है वह भी बहुत कुछ गांव पंचायत की ओर से हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस हुक्म का, जिसको सरकार गांव तक पहुंचाना चाहती है, उसको गांव पंचायत के जरिये से भी पहुंचाने का यत्न किया जाय तो आसान काम हो जायगा और डुग्गी पीटना या और लीफलेट छापना, ये सारे काम ज्यादा पुरअसर हो जायंगे और उनकी पूर्ति हो जायगी। हमारे संशोधन का यही अर्थ है। इसमें सरकार को कोई कठिनाई नहीं पड़ती और गांव पंचायत का प्रस्ताव पास कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर जो बीमारी होगी वह गांव की होगी और पंचायत उसका थोड़ा-बहुत ज्ञान रखती होगी। तो विशेषज्ञों की राय के मातहत पंचायत अपने को ज्यादा मदद करने के लायक पा सकेंगी और सरकार का काम भी बहुत आसान हो जायगा। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है। कृषि मंत्री जी से यह उम्मीद करता हूं कि उनके काम में इससे सहूलियत पहुंचेगी, इसलिए वह इसे स्वीकार करेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो उपधारा (२) है, केवल इस बात के लिए है कि जिन जिन लोगों की सहायता की जरूरत है और जिलाधीश ने आदेश दिया है उनको इत्तला कैसे की जाय। केवल तात्पर्य इतना है। मौजूदा उपधारा में रखा गया है कि डुग्गी बजा दें या उस मुकाम पर अगर कोई और दस्तूर हो तो उसके जरिये से हम सूचना सब को दे दें। हर एक आदमी को अलग-अलग सूचना देना ठीक नहीं है। अगर डुग्गी बजा दें तो आम तौर से आम लोगों को सूचना मिल जाय। इससे केवल इतना मतलब है। हमारे मित्र गेंदासिंह जी चाहते हैं कि इसमें एक जुमला और जोड़ दिया जाय, जो कि उनके प्रस्ताव में है कि गांव पंचायत बैठ कर के उस डायरेक्शन या हिदायत के पक्ष में एक प्रस्ताव पास कर दे और तब डुग्गी बजा कर सूचना दें। तो जहां तक सूचना देने का ताल्लुक है उस मामले में कोई भी फर्क नहीं है। वह भी डुग्गी बजाना चाहते हैं, हम भी बजाना चाहते हैं। उसमें कोई अन्तर नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--काम करने में फर्क है।

श्री हुकुमसिंह--वह अभी आप बता देंगे। तो जहां तक डुग्गी बजाने का काम है, दोनों आदमी करते हैं। अब रहा यह कि पंचायत का फैसला हो जाय। उसमें एक अंदेशा यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने तो हिदायत की कि डुग्गी बजा दी जाय और पंचायत वाले फैसला कर दें कि न बजायी जाय, तब क्या होगा?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--नहीं बजेगी।

श्री हुकुमसिंह--तब तो सारा ऐक्ट ही नल एंड वायड है, ऐसा खतरा है। मुमकिन है कि कुछ पंचायतें ऐसी साबित हो जायं जो गलत आदमियों के तहत में हों, उनके जेर असर हों और जिनको प्रजा हित के काम में दिलचस्पी न हो। तो वैसी सूरत में क्या होगा? ऐसी कांटिजेंसी पैदा हो सकती है मुझे अफसोस है कि शायद गेंदासिंह जी ने इस पर पूरे तौर से ध्यान दिया नहीं। मैंने अब उनकी तवज्जह इस दिक्कत की तरफ दिलाई है और मैं समझता हूं कि वह पढ़ भी रहे हैं बड़े गौर से। तो वह बहुत सोच समझ कर हमारी इस दिक्कत को महसूस करेंगे और अपने संशोधन को वापस लेने की चेष्टा करेंगे और दूसरों की राय से मुतास्सिर नहीं होंगे।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, माननीय गेंदासिंह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं। हमारा समर्थन करना इस समय और आवश्यक हो गया है, क्योंकि मुझे यह विश्वास सा है कि यदि हम समर्थन न करें तो माननीय गेंदासिंह जी माननीय कृषि मंत्री जी की सलाह को मान कर इस संशोधन को वापस ले लेंगे, क्योंकि, श्रीमन्, जैसा कि आपको मालूम होगा, यह विधेयक इस सदन में बहुत पहले प्रस्तुत हो चुका है और इसके संशोधन भी इस सदन में जबकि पहले सत्र चल रहा था तब लिये जा चुके हैं। आज जब से वर्तमान बैठक आरम्भ हुयी है तब से सरकारी पक्ष और विरोधी पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का पक्ष एक मिलन बिन्दु पर पहुंचता चला जा रहा है। श्रीमन्, आपने देखा होगा जब बाढ़ का प्रश्न आया तब भी माननीय गेंदासिंह जी को सरकारी पक्ष का समर्थन करते हुए बड़ी परेशानी हुयी कि पश्चिम का रुपया पूर्व के जिलों के लिये कैसे खर्च होगा। जब गोआ का प्रश्न आया तब भी माननीय गेंदा सिंह जी को बड़ी परेशानी हुई उन्होंने सरकार की जो नीति है उससे सहमति प्रकट की।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, जो आप भाषण दे रहे हैं वह गोआ पर दे रहे हैं या संशोधन पर दे रहे हैं यह मैं जानना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रसंगवश कुछ कह रहे हैं।

श्री राजनारायण--इसी तरह से श्रीमन्, जब इसके पहले के हमारे संशोधन को मानने की समस्या आयी कि जीविकोपार्जन मजदूरी या दो रुपये प्रति दिन की मजदूरी दी जाये तब भी माननीय गेंदासिंह जी ने हमारे द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध किया था। श्रीमन्, इस संशोधन का विरोध करते हुये माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा था ··· ।

श्री हुकुमसिंह--उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री राजनारायण--श्रीमन्, दो आदमी खड़े हैं ···

श्री हुकुमसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं लिहाजा you will have to sit.

श्री राजनारायण--you are not to order·

श्री हुकुमसिंह--मेरा नाम ही है हुकुम सिंह, मैं आर्डर कभी देता नहीं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र ने जो पहले संशोधन किया था और जिस पर श्री गेंदासिंह ने एतराज किया था और विरोध किया था उस पर वे भाषण दे रहे हैं, वह इस संशोधन से कोई ताल्लुक नहीं रखता। लिहाजा यह हिस्सा उनकी तकरीर का बिल्कुल इर्रेलेवेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को सिर्फ संशोधन पर ही बातें करनी चाहिये, पूरा इतिहास देने की जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण--कतई नहीं, श्रीमन्, मैं चाहता भी नहीं और इतना मेरे पास समय भी नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री हुकुम सिंह जी जो महज हुकुमसिंह नाम होने से हुकुम देने का अधिकार भी समझते हैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि किसी का नाम हुकुम सिंह हो जाय तो वह हुकुम नहीं देता और अगर देता है तो हमारे जैसे लोग उसे मानते नहीं हैं, मानने वाले कोई दूसरे होंगे। श्रीमन्, मैंने पहले ही विश्वास दिलाया था कि इस संशोधन के पक्ष में मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु इस समय मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह हमें विश्वास सा हो गया कि गेंदासिंह जी उसे वापस ले लेंगे और उसी की सफाई मैं आपके सामने करना चाहता था। इसीलिये मैंने केवल रेफर कर दिया कि आज जो यह संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी के नाम में पड़ गया है उसकी मैं तहेदिल से ताईद करता हूं और इसकी ताईद मैं क्यों करना चाहता हूं, इसलिये करना चाहता हूं कि बिना इस संशोधन के जो सरकार जिला अधिकारियों को अधिकार देने जा रही है वह अधिकार असीम हो जायेंगे और इतने ज्यादा असीम अधिकार जिला के सरकारी कर्मचारियों को देकर जनता के ऊपर जोर-जुल्म ढाये जायेंगे। सरकार जिस मकसद को हासिल करना चाहती है इस विधेयक के द्वारा वह सरकार हासिल नहीं कर पायेगी, बल्कि उसके द्वारा सरकार अपने हाथ में ज्यादा ताकत देकर अपनी गद्दी को सुरक्षित रखने के लिये ऐसे लोगों पर जबर्दस्त प्रहार करेगी जो सरकार के विरोध में हैं, जो सरकार को खत्म करना चाहते हैं और जो सरकार को एक मिनट के लिये भी पसन्द नहीं करते हैं।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि यह जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी के नाम में प्रस्तुत है, यह तीन खंडों से संबंधित है। यदि इनका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो उसकी गम्भीरता, गुरुता और विशेषता को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। सदन को याद होगा कि इसके पूर्व एक संशोधन आया हुआ था, जिसमें गांव सभा की राय अनिवार्य कर दी गयी थी, मगर उसको सरकार मानने के लिये तैयार नहीं थी। अब क्लाज ३ को देखिये जिसमें राज्य सरकार किसी स्थानीय क्षेत्रों में यदि कोई रोग, नाशक कीट, परजीवी अथवा तृणादि पौधों के लिये हानिप्रद है तो उस क्षेत्र में जिला अधिकारी घोषणा कर सकता है यानी जिला अधिकार की इच्छा शक्ति पर यह विधेयक छोड़ा जा रहा है।

[श्री राजनारायण]

चौथे क्लाज को आप देखेंगे तो उसके अन्दर राज्य सरकार जो जिलाधीश को अधिकार दे रही है उसके द्वारा जिला मैजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक अध्यासी किसी परजीवी, हानिप्रद तृणादि नाशक कीट, पौधे अथवा पौधों के रोग के आविर्भाव, फैलाव अथवा पुनरागमन को उन्मूलित,नष्ट अथवा निरुद्ध करने के लिये ऐसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय करे जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नोटिस में निर्दिष्ट करे। इसमें यह है कि जहां नाशक कीटाणु लग गये हों वहां पर पूरे तरीके से अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में दिये जा चुके हैं।

इसके बाद श्रीमन्, आप देखेंगे कि किसी पुरुष को जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो और जो उक्त क्षेत्र में रहता हो आदेश कर सकता है कि वह खंड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे। खंड ४ के उपखंड (ख) में १८ वर्ष की आयु के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है कि वह सहायता करे। इसमें नाम तो सहायता करने का है, मगर जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने इसका कल बेगार का नाम लिया था उसको मैं पुनः सदन में आसानी से समझ में आने के लिये दुहरा देना चाहता हूं।

श्रीमन्, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे संशोधन को माननीय शम्भूनाथ जी ने नहीं माना, परन्तु जितना संशोधन उनका माना गया उसके लिये मैं उनको बधाई दिये बिना नहीं रह सकता हूं। उनका संशोधन जिस रूप में कि यह विधेयक था उसमें एक संशोधन था और सरकार ने उसको माना था उसके लिये मैं माननीय हुकुम सिंह जी, कृषि मंत्री जी और उनकी बुद्धि की, जो सामयिक रूप में आगयी थी तारीफ किये बिना नहीं रह सकता हूं। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि आगे का जो दूसरा खंड है उसमें मंत्री जी ने जो हुकुम देने के लिये बहुत लालायित रहते हैं मगर कर्त्तव्य-पालन से वह दूर भागते हैं, यह उनकी आदत है, उनसे कहना चाहता हूं कि खंड ४ के उपखंड (क) को पढ़ें तो मालूम होगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में कितनी असीम पावर्स दी जा रही हैं . . .

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं विधान का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या जो बहस इस समय माननीय राजनारायण जी कर रहे हैं वह इस विधेयक को सामने रखकर कर रहे हैं। इस विषय में कई बार पहले भी प्वाइण्ट रेज किये जा चुके हैं। तो इस पर आपकी व्यवस्था होनी आवश्यक है। सारे विधेयक पर इस समय व्याख्यान नहीं दिया जा सकता है।

*श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं समझ गया हूं। मैं इसी खंड को पढ़ रहा था, जिसका इससे सम्बन्ध है। माननीय मिश्र जी को मालूम होना चाहिये कि खंड ४ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में यह संशोधन है। इस क्लाज में ही यह संशोधन है। मैं इस बात को बतला रहा हूं कि अगर यह संशोधन इसमें जोड़ा नहीं जायेगा तो यह विधेयक कितना निरर्थक हो जायगा।

उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन प्रत्येक अध्यासी को तथा उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन अन्य व्यक्तियों को जिनकी सहायता अपेक्षित है, सूचित करना आवश्यक नहीं होगा "अपितु" अब यहां से श्री गेंदासिंह जी अपना संशोधन जोड़ना चाहते हैं जो ये शब्द हैं—"गांव पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास करने के बाद" ये शब्द बढ़ा दिये जायं। मैं मिश्र जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसको समझें ताकि उनको फिर वैधानिक प्रश्न उठाने की आवश्यकता न पड़े और वे जरा इसको सामने रखकर देखें कि यह कितने आवश्यक हैं। वे अब यहां पर इतना ही केवल चाहते हैं कि गांव पंचायत यह महसूस करे कि यहां पर सहायता अपेक्षित है या नहीं। बस इतना ही वे चाहते हैं। सरकार के ऊपर या किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर गेंदासिंह जी कोई जुल्म ढाहना नहीं चाहते हैं। जहां तक मैं उनको जानता हूं उनकी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इच्छा भी यह नहीं रहती है कि ऐसा हो। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि गेंदासिंह जी का इतना निर्दोष संशोधन है कि जिसको उन्हें स्वीकार करना चाहिये और वह संशोधन ऐसा है जिसको उन्होंने बहुत सोच-विचार करके रखा है। यह संशोधन तो बहुत ही साफ है फिर समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों इसको स्वीकार करते हिचकती है। वे तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि "गांव पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद" माननीय मंत्री जी इस डुग्गी पीटने को सरकार और विरोधी पक्ष एक ही बात समझते हैं। वह डुग्गी पीटने को तो एक ही समझते हैं, लेकिन कार्य-रूप में परिणत करने में फर्क है। वह फर्क यही है कि गेंदा सिंह जी इस संशोधन के जरिये से उसको कार्य रूप में परिणत करना चाहते हैं। वे यही चाहते हैं कि गांव पंचायत जिनके बारे में सहायता अपेक्षित है, जिस क्षेत्र के लोगों को सहायता चाहिये उस क्षेत्र के लोगों की राय जानी जाय और उन क्षेत्रों के लोगों से कहा जाय कि तुम्हारे क्षेत्र के अन्दर अब सहायता की आवश्यकता है। तुम चाहते हो या न चाहते हो लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि तुम्हारे यहां सहायता का कार्य किया जाय। अगर आप ऐसा रखना चाहते हैं तो फिर इतना रखिये कि डुग्गी पिट जाय और यह अधिकार केवल जिलाधीश के द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के ऊपर छोड़ दिया जाय तब तो मैं समझता हूं कि जिसको वह दुश्मन समझेंगे और सचमुच वहां पर फसल नष्ट भी हो रही है तो वहां पर वह सहायता का कार्य अपने मन के मुताबिक करेंगे जिस प्रकार से इस सरकार की योजनायें कुनबापरस्ती की पालिसी को सामने रखकर चलायी जाती हैं। इसी तरह से इस विधेयक के जरिये से सरकारी कर्मचारियों के हाथ इतने मजबूत हो जायेंगे कि जिससे वह जनता के ऊपर कुठाराघात करा सकती है और जब हम चाहेंगे कि सरकार के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय तो हमसे कहा जायगा कि यह कानून आपका ही तो बनाया हुआ है। आखिर यह सरकार अंग्रेजी साम्राज्यशाही के रूप में अपने आपको प्रस्थापित किये हुये है। उसकी पद्धति गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुयी है और वह उन्हीं पुराने साम्राज्यशाही के तरीकों और नियमों को अपनाये हुये है और उसी ढंग को अख्तियार करके कानूनों के जरिये से सारे के सारे अधिकार अपने हाथ में ले रही है और उनके द्वारा जनता पर मनमाने ढंग से अत्याचार कर रही है। इसीलिये जब माननीय गेंदासिंह जी का संशोधन आता है तो माननीय मंत्री जी को उसके मानने में हिचक होती है और वे उसको गेंदा सिंह जी से वापस लेने के लिये कहते हैं। यदि गेंदासिंह जी उसको वापस ले लेते हैं, जैसा कि उनको वापस लेने का अधिकार भी है, मगर ऐसा करके वे जनता का हित नहीं करते। जनतंत्र का हित नहीं करते और तानाशाही के हित में कार्य करते हैं, जो सत्ताधारी समाज का अंग है उसका हित करेंगे। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी अपने इस संशोधन को कोई वापस नहीं लेंगे।

दूसरी बात यह है कि सरकार को डर किस बात का है। गांव पंचायतें भी तो इसी रूप में बनायी जा रही हैं। जो पंचायत राज्य ऐक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है उसके द्वारा भी गांव पंचायत की शक्ति को सीमित किया जा रहा है। गांव पंचायतें भी अब परगना हाकिम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पंचायत राज आफिसर इन तमाम लोगों के अधिकार में आ जायंगी और उनको इनके नियंत्रण में काम करना होगा। गांव पंचायतों के पंच और सरपंच जो इनके नियंत्रण में काम नहीं करते, वे हटा दिये जाते हैं। इसलिये यह जानते हुये कि यह जनतंत्र की प्रणाली का प्रश्न है, यह संशोधन रखा गया है। सरकार को केवल इसमें यह डर मालूम पड़ता है कि अगर पंचायतों ने उनकी बात को मंजूर न किया तो उसकी शान में बट्टा लग जायगा। और अगर सरकार ने उनकी बात को न माना या अनुचित प्रकार से पंचायतों के कार्यक्रम में हस्तक्षेप किया तो वे सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द करेंगी। फिर भी क्योंकि यह एक प्रजातन्त्र का प्रश्न है और पंचायतों के भी लिमिटेशन्स हैं, सरकार को माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को मान लेना चाहिये। अगर सरकार इस संशोधन को नहीं मानती है तो माफ करें माननीय हुकुम सिंह जी, मुझे यही कहना पड़ेगा कि वे हठवादिता पर ही अड़े हुये हैं। जब सरकार अपनी हठवादिता को छोड़ेगी तभी जनकल्याण कर पायेगी, नहीं तो जनकल्याण होना असंभव है।

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो तकरीर हो रही थी, उसको मैं गौर से सुन रहा था। गेंदा सिंह जी अगर देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि इसके रख देने से एक बड़ी दिक्कत हो जायगी। मान लिया कि ५ मील के अन्दर बीमारी घोषित की गयी तो उसमें एक ही पंचायत तो न आयेगी। मान लिया कि एक पंचायत पास कर देती है और दूसरी पंचायत उसको अस्वीकार कर देती है। आखिर उस वक्त क्या होगा। यह सब प्रेक्टिकल दिक्कतें हैं जिनकी वजह से यह जरूरी है कि एक राय से काम हो। यह खयाल गलत है कि जितने आफिसर्स हैं वे जनता के दुश्मन हैं, जो भी वे काम करेंगे वे देश को नुकसान पहुंचाने के लिये करेंगे। यह पुरानी विचारधारा है, जब लोग समझते थे कि एक ओर अंग्रेज और आफीसरान हैं और दूसरी पार्टी पब्लिक वर्कर्स की है। लेकिन अब वह फर्क मिट चुका है। इसमें देर भी हो सकती है और ३–४ पंचायतों की हालत में कोई पंचायत पास कर दे और कोई नापास कर दे तो दिक्कत भी पैदा हो सकती है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी ने इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को जो इसके अन्त में दिया हुआ है गौर से नहीं पढ़ा है। इस पर गौर न करने का नतीजा है कि यह संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने प्रस्तुत कर दिया है। इस विधेयक के उद्देश्य और कारण का जो अंतिम वाक्य है वह यह है—

"अनुभव से स्पष्ट है कि इसी दिशा में समझा बुझाकर काम लेने के तरीकों से कोई सुधार नहीं हो सका है, उत्पादक प्रभावित फसल को जलाने अथवा नष्ट करने को सहमत नहीं होते हैं और न वे पास-पड़ोस के खेतों से नाशक कीटों अथवा रोगों को भगाने के सामूहिक प्रयास में भाग लेते हैं। यह सब इस सम्बन्ध में उपयुक्त अधिनियम बनाने से ही हो सकता है।"

यह मान लिया गया है कि विधेयक प्रस्तुत करने का कारण ही यह है कि जनता कीटाणुओं के नष्ट करने में सहायता और सहयोग नहीं करती है अब यह प्रश्न आयेगा कि अगर यह संशोधन माना जाता है जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी व माननीय राज नारायण जी चाहते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि यह लाजिमी हो जायगा, यह आवश्यक हो जायगा कि जब तक पंचायतें या ग्राम सभाएं प्रस्ताव न पास करें तब तक वह फसल या कीटाणु जितने हैं चाहे वे कितने भी खराब होंगे उनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसका फल यह होगा कि जिस कारण और जिस उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह सब समाप्त हो जायगा। हमको तो यह मानना ही पड़ेगा कि वे विशेषज्ञ नहीं हैं, गांव सभा के जितने सम्मानित सदस्य हैं उनकी इज्जत करते हुये भी हमको मानना पड़ेगा कि वे कृषि के विशेषज्ञ नहीं हैं। हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं और वहां की हालत को समझते हैं। अगर किसी किसान की फसल खराब हो रही हो, उसमें कीड़े लग गये हों तो भी चूंकि उसको अपनी फसल से मोह होता है इसलिये वह उसको नष्ट नहीं करना चाहता। एक किसान है जो साल भर से कोशिश करता है, ६ महीने तक खेत जोतता है और फिर उसमें गेहूं बोता है उसके गेहूं में कोई कीड़ा लग जाता है तो वह उसे जल्दी नष्ट करने के लिये तैयार नहीं होता। इसीलिये आवश्यकता पड़ी कि इस प्रकार का विधेयक लाया जाय मान लीजिये कि पंचायतें हैं और वहां बहुमत ऐसा हो सकता है जिनके खेतों में यह रोग लग गया हो और उन्हों को तय करना है कि फसल नष्ट कर दी जाय। जब व्यक्तिगत स्वार्थ की बात आती है तो वहां मनुष्य सामूहिक हित की तरफ कम ध्यान देता है, क्योंकि हम लोगों का त्याग अभी इतना नहीं है। उसका नतीजा यह हो सकता है कि जिस वक्त वह प्रस्ताव आवेगा उस वक्त बहुमत से लोग तय कर देंगे कि फसल नहीं नष्ट की जायगी। ऐसी हालत में जब कि एक, दो या तीन-चार खेतों में ही कीटाणु लगे होंगे उनकी फसल न नष्ट करने से सारी की सारी पचासों बीघे की फसलें बरबाद हो सकती हैं। अगर माननीय गेंदा सिंह जी का यह संशोधन होता कि गांव सभाओं को भी सूचना दे दी जाय, इस बात की नोटिस दे दी जाय ताकि उनको कोई एतराज न हो, तो यह बात तो

मानी जाती लेकिन इस संशोधन को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि वहां के जो अधिकारी होंगे, जिलाधीश कहें या जो भी कहें, जो भी अधिकारी होगा उसका हाथ बंध जायगा। माननीय गेंदा सिंह जी जो बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं उनकी समझदारी पर हम लोगों को बड़ा भरोसा रहता है और जिनके रचनात्मक सुझाव भी हुआ करते हैं जिसकी वजह से श्री राजनारायण जी थोड़े दिनों से उनसे नाराज भी हैं, मैं आशा करूंगा कि वे अपने संशोधन को उस दृष्टि से देखते हुए वापस ले लेंगे। इस संशोधन के विरोध का जो कारण माननीय रऊफ जाफरी साहब ने दिया है वह भी बड़े महत्व का है। ५,६ ग्राम पंचायतें हो सकती हैं, ५ मील के अन्दर और एक ने कुछ कह दिया, दूसरे ने कुछ कह दिया और तीसरे ने कुछ कह दिया, तो फिर क्या किया जायगा वह अधिकारी क्या करेगा? फसल नष्ट की जायगी या नहीं? मान लीजिये थोड़ी देर के लिये कि आज गांव पंचायत की मीटिंग है जो "फार दि वान्ट आफ कोरम" पोस्टपोन हो जाती है अर्थात स्थगित हो जाती है, दूसरे दिन भी कोरम की वजह से पोस्टपोन हो जाती है और फिर तीसरे दिन भी कोरम की कमी की वजह से मीटिंग पोस्टपोन हो जाती है और इस तरह इस से वे कोई मीटिंग ही न करें और अड़ंगा लगाते जावें तो इस तरह से तो कई महीने ऐसे ही निकल जायेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि जिस अभिप्राय और जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है वह सब समाप्त हो जाता है। इन शब्दों के साथ मैं भरोसा करता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि माननीय राजनारायण जी ने भी हमारे इस संशोधन का समर्थन किया है और ऐसा तो उपाध्यक्ष महोदय, होता ही है क्योंकि, वह बनारस से आते हैं और वहां संस्कृत के बड़े-बड़े विद्वान रहते हैं और इसीलिये पहले तो वह कुल देवता की स्तुति किया करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और माननीय गेंदा सिंह जी पर कुछ छींटाकशी करते हैं। हमने भी, जब से माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस दल को विरोधी दल का रूप दिया है, निश्चय कर लिया है और हम उनकी अब भी वही इज्जत करते हैं, लेकिन मेम्बर चाहे उनके दल में २ ही हैं हमने तो उनको भी अपना विरोधी दल ही मान लिया है, क्योंकि वे बजाय इसके कि कांग्रेस या सरकारी दल का विरोध करें वे यहां हमारा ही विरोध करने बैठे हैं। हमें इससे कोई दुःख भी नहीं होता, क्योंकि हम समझते हैं कि यह तो अपनी-अपनी समझ की बात है, ऐसा तो होता ही रहता है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा हम उनकी इज्जत करते हैं। जहां तक उनकी इज्जत की बात है हमारी तरफ से उसमें कमी नहीं है, चाहे वह हमसे नाराज भले ही हों। वह हमसे शायद इसलिये नाराज हैं कि अब उनके दल में केवल २ ही रह गये, कहां २६ थे। जो उपाध्यक्ष महोदय, हम तो उम्मीद करते थे कि हम दोनों पक्ष के लोग मिल कर सरकार का विरोध करेंगे और अपने घर में चाहे लड़ लेते, लेकिन वह कभी माननीय गेंदा सिंह को कभी श्री रामेश्वर लाल जी को कुछ भली-सी बात कह देते हैं। अभी मेरे नाम पर कुछ नहीं कहा है, वह भी अब शायद शुरू होगा, लेकिन फिर भी उनकी परसनालिटी की इज्जत में हमारी तरफ से कोई कमी होने वाली नहीं है। अब जहां तक इस संशोधन का सवाल है मैं समझता हूं कि कुछ ऐसी बातें भी करना जरूरी हो जाता है। मैं समझता हूं कि आप को यह अधिकार गांव पंचायतों को देना चाहिये। अगर उनकी फसल नष्ट हो रही है तो वह स्वयं ही फैसला करेंगे कि इस तरह की चीज की जाय कि वह फसल नष्ट न हो, लेकिन अगर वे चाहते हैं कि फसल नष्ट होने दो तो मैं समझता हूं कि कुछ भी होना सम्भव नहीं मालूम होता, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर किसी गांव में कोई बीमारी फैली हो या कीड़े खेतों में आ गये हों और उनको अगर उसके नुकसान को समझाया जाय तो सारे के सारे मानने को तैयार हो जायंगे। अगर वे किसी चीज में अपना

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

फायदा समझते हैं और उनको लाभ उठाना है तो चाहे कुछ भी हो वह उस को करेंगे, लेकिन अगर किसी चीज में वे अपना लाभ नहीं समझते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो उनकी मदद करना मैं समझता हूं बिलकुल बेकार होगा। उधर से कहा गया कि इसका मंशा ही खत्म हो जाता है अगर संशोधन को मान लेते हैं। मैं उनको बता दूं कि किसी गांव में कीड़े फसल में लग जाते हैं या कोई बीमारी हो जाती है तो उस को दूर करने का या हटाने का काम सरकार का है, लेकिन अगर उस इलाके के लोग ही नहीं चाहते हैं कि सरकार उस में कोई हस्तक्षेप करे तो सरकार उस में अपनी जबरदस्ती क्यों करे। मैं मानता हूं कि अगर ग्राम सभा में रखने को माननीय गेंदा सिंह जी कहते तो दूसरी बात थी, क्योंकि ग्राम सभा की मीटिंग होने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। कोरम कभी पूरा होता नहीं, क्योंकि ग्राम सभा में औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं जितने लोग १८ वर्ष के ऊपर के होते हैं सब गांव सभा के मेम्बर होते हैं। इसलिये उनके इकट्ठा होने में मुसीबत पड़ती है, लेकिन गांव पंचायत का इकट्ठा होना किसी खास बात का फैसला करने के लिये कोई दिक्कत की बात नहीं है जहां पर बीमारी हो रही है, जहां पर सरकार मजबूर करना चाहती है उन कीड़ों को हटाने के लिये ऐसे समय में मैं समझता हूं कि अगर ग्राम पंचायतों की राय डुग्गी पिटवाने के पहले ले ली जाय तो उचित ही होगा। इन शब्दों के साथ मैं जो संशोधन गेंदा सिंह जी ने रखा है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने इस सदन के सामने उपस्थित किया है मैं समझता हूं कि जहां पर यह संशोधन रखा गया है खंड २ में वह बिलकुल असंगत है। उनको अगर यह संशोधन रखना चाहिये था तो खंड १ में जहां पर जिला मैजिस्ट्रेट नोटिस द्वारा आदेश दे सकता है उस के बाद रहता तो संगत होता कि गांव समाज की सलाह ले लें तब आदेश जारी हो। तब तो तुक की बात होती और मुझे ताज्जुब हुआ जब श्री राज नारायण जी ने माननीय गेंदा सिंह जी का समर्थन किया। वह ऐसी जगह पर किया जो गलत जगह थी। यदि उचित जगह पर करते, तो बात समझ में आती। बहरहाल खंड २ में आप की आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं जिससे कि मेरा मतलब और भी साफ होगा।

> "उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन प्रत्येक अध्यासी को तथा उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन अन्य व्यक्तियों को जिसकी सहायता अपेक्षित है, सूचित करना आवश्यक नहीं होगा।"

यहां तक तो गेंदा सिंह जी को भी मतभेद नहीं है और वे भी इस भाग को वैसा ही रखना चाहते हैं जैसा यह है लेकिन उसके बाद उनका संशोधन शुरू होता है :—

> "अपितु गांव पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास करने के बाद क्षेत्र, गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में डुग्गी पीट कर अथवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस संबंध में की गयी घोषणा उस क्षेत्र, गांव अथवा उस स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिये पर्याप्त सूचना समझी जायगी।"

दूसरा भाग जो खंड का है उसकी मंशा महज यह है कि जो यह पहले भाग में लिख दिया गया है कि हर एक व्यक्ति को हर एक अध्यासी को फर्दन फर्दन सूचना देना आवश्यक नहीं है। उसकी एक तरकीब की गयी थी कि एक सूचना जनरल डुग्गी पीट कर आम तौर पर जारी कर दी गई और इस तरह से उसकी मुश्तहरी कर दी जायगी उससे यह समझा जायगा कि हर व्यक्ति को उसकी सूचना मिल गयी। सिर्फ इतनी बात इसमें थी। माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन जब इसमें जोड़ दिया जायगा तो उस के माने सिर्फ इतने होंगे कि गांव पंचायत जो है वह सिर्फ इस बात पर विचार कर सकती है, प्रस्ताव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर सकती है कि आया डुग्गी पीटना या इस अम्र की मुश्तहरी होना आवश्यक है या नहीं। मैं नहीं समझता कि इस संशोधन के यहां पर रख देने से क्या फायदा होगा। यह जैसा मैंने पहले कहा, पहला भाग तो वैसे का वैसा रहा कि सूचित करना आवश्यक नहीं है। अब यदि गांव पंचायत ने यह फैसला कर दिया कि डुग्गी न पीटी जाय तो वह जो प्रथम भाग है कि सूचित करना आवश्यक नहीं है तो वह तो वैसा ही कायम रहेगा। उसका नतीजा क्या होगा जो हमने इस बात को रक्खा था कि एक जनरल मुश्तहरी कर दी जाय उससे भी वे वंचित हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो नोटिस जारी की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो उस क्षेत्र में रहता है ऐसा करना होगा। उसे सहायता देनी होगी और एक तरफ यह भी है कि हमको फरदन फरदन नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। वह चीज अपनी जगह कायम रहती है। हमें यह मान लेना चाहिये कि यह जनरल मुश्तहरी होगी और जरूर उसके कान में ये शब्द पड़े होंगे, उसको इस बात की इत्तिला हो गई होगी उससे उसे आप वंचित कर देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डुग्गी न पिटे और यह प्रस्ताव कर दिया कि डुग्गी न पिटे और कोई मुश्तहरी न करायी जाय तो वह हानि पहुंचायेंगे या फायदा पहुंचायेंगे। मैं नहीं समझता क्यों श्री गेंदा सिंह जी ने इस संशोधन को इस सदन के सामने रक्खा है। मैं समझता हूं कि जहां पर सिर्फ एक नोटिस की चीज होती है वहां श्री गेंदा सिंह जी का यह कहना कि वहां हमें यह विचार करना होगा कि आया इस काम को किया जाय या न किया जाय, यह बिल्कुल असंगत है। खंड २ में यह चीज किसी तरह से नहीं आ सकती। हम इस बात पर विचार करें कि गाव पंचायत इस बात पर विचार करने लगे जिस वक्त मुश्तहरी कराना हो कि आया हमें इस काम को करना है या नहीं, तो जहां तक आदेश देने का संबंध है उस काम को कराने का, वह चीज तो तय हो चुकी है। सिर्फ उसकी मुश्तहरी होने के लिये खंड २ में यह चीज रक्खी गयी है। ऐसे मौके पर जब चीज फाइनल हो चुकी है, जब आदेश जारी हो चुका है सिर्फ लोगों को उस का नोटिस मिलना है उस वक्त में आप का यह कहना कि गांव पंचायत उस पर बैठे और सलाह दे और प्रस्ताव करे यह बिल्कुल असंगत है। अगर वह यह प्रस्ताव कर देती है कि डुग्गी न पिटवाई जाय तो वह चीज बिल्कुल गलत होगी। मेरी समझ में यह संशोधन खंड २ में नहीं आना चाहिये।

*श्री गेंदासिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं माननीय कृषि मंत्री की सलाह अपने इस संशोधन को वापस लेने की नहीं मान सकता। रऊफ साहब ने भी इस सम्बन्ध में कुछ कहा और अपनी दिक्कत भी बतलाई कि पंचायतों की बैठक होने में दिक्कत होगी और अगर पंचायतें प्रस्ताव न पास कर सकें तो फिर काम में बड़ी कठिनाई होगी। मैं समझता हूं कि पंचायतों को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया जाय और उन को इस बात का अहसास करने का अवसर दिया जाय कि उनके गांव में उनकी फसल में बीमारी लगी हुई है। माननीय मिश्र जी ने कहा कि इस विधेयक की मंशा मैंने नहीं पढ़ी या मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। मेरा ध्यान उस तरफ है। मैं उपयुक्त अवसर पर उस सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि गांव वालों के, जिसकी फसल को बीमारी लगी हुई है, सहयोग को लेना हमारा चरम लक्ष्य होना चाहिये। अगर हम उस का सहयोग न ले पायें और सरकार के ही आदेश पर हमें सारा कार्य कराना हो तो मेरा ऐसा विचार है कि हम इस विधेयक के विरुद्ध चले जायंगे। लोगों को अपने काम में अपनी ही फसल के बचाने के लिये अधिक से अधिक रुचि हम पैदा कर सकें। सरकार का डंडा और आदेश कम से कम इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े। यह बहुत ही होशियारी की और बहुत उचित बात होगी। मैं मिश्र जी से भी निवेदन करूंगा कि जब इस ओर उनका ध्यान जायगा तो फिर वह सोचेंगे कि गांव पंचायतों को कान्फीडेंस में जरूर लिया जाय। कुंवर कृष्ण जी ने यह कहा कि बेमानी लगता है। कुछ और पहले होना चाहिये था। मैं उनसे निवेदन करूं, उस जगह पर भी, पिछले दिन, एक संशोधन ऐसा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

वक्त ऐसा फैसला करे गांव सभा को भी कांफीडेंस में लेना चाहिये। हमारा दुर्भाग्य यह है कि सरकार ने ऐसी उचित सलाह को भी जो कि माननीय कुंवर कृष्ण जी की सलाह से भी उचित है, नहीं माना।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा--प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन। मेरे कहने का तात्पर्य यह हरगिज नहीं था कि वहां पर उचित होता या न होता। लेकिन यहां आप का जो संशोधन है, वह उस जगह पर मौजूं तरीके पर आ सकता था, सिर्फ इतना मतलब था।

श्री गेंदासिंह--मैं इतने ही से संतुष्ट हूं। उन्होंने उस को मौजूं कहा। यह मौजूं नहीं है। मौजूं जगह पर उनकी मौजूं राय भी होती। यहां गैर मौजूं है। लेकिन मैं उनसे एक दरख्वास्त करूं कि यहां इसकी मंशा जो है सिर्फ इतनी है कि जब गांव वालों को इत्तला की जा रही है तो इत्तला करने के नाम पर हम चाहते हैं कि गांव पंचायत को भी हम इत्तला देने के लिये राजी कर लें। और एक बड़ा बढ़िया तरीका है। अगर गांव पंचायतों के जरिये से इत्तला करना मंजूर कर लें, अगर वाकई बीमारी होगी तो सरकार का बोझ बहुत हल्का हो जाता है। अगर सरकार इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है सरकार जिन लोगों से सरकार बनी हुई है उन लोगों की अक्ल पर उसे भरोसा नहीं है, तो मैं नहीं समझ सकता। सरकार को एक बात जरूर कह सकते हैं कि सरकार को अपने चुनने वालों पर भरोसा नहीं है। सरकार अगर यह समझती हो कि सारी दुनिया की अक्ल इकट्ठी हो कर के सरकार में या हम लोगों में जो यहां बैठे हुये हैं, घुस गयी है तो भूल होगी। गांव पंचायत के लोग या गांव के लोग अपनी मुसीबत को पहचानते नहीं, वह सही फैसला नहीं करते, यह सरकार को समझना चाहिए कि वह सही फैसला करते हैं। और जब उस सरकार को इतनी शक्ति उन्होंने दे रखी है तो यह असल में अपने ही को इनकार करना है कि हम उनके ऊपर भरोसा न करें। मैं सरकार से सिर्फ इतनी ही बात कहता हूं, वह गांव वालों को ऐसा न समझें कि वे अपनी मुसीबत का एहसास करेंगे और अपना इलाज भी कराना चाहेंगे। कोई जमाना था जब गांव वाले सोखा और ओझा पर भरोसा किया करते थे आदमी की बीमारी के सम्बन्ध में। लेकिन आज उन्हीं के द्वारा अस्पतालों और दवाइयों की मांग है चाहे आयुर्वेद के हो, एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो। हर तरह की दवाइयों की मांग हो रही है। खुशकिस्मती या बदकिस्मती से हम और माननीय कृषि मंत्री ऐसे जिलों से आते हैं जो तराई से सटे हुए हैं। उन तराई के भागों में कुछ सोखा और ओझा का काम चल रहा है। वह समझ सकते हैं कि आज भी उनकी जरूरत है। लेकिन ऐसा ही सारा सूबा नहीं है। मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बहराइच और देवरिया के उन हिस्सों की तरह सारा सूबा नहीं है। समूचे सूबे के ऊपर भरोसा करना चाहिये। समूचे सूबे के लोग अपनी बीमारी को दूर कराना चाहते हैं, साइंटिफिक मेथड अख्तियार करना चाहते हैं, इस लिये मैंने सूचना देने की बात की। मैं समझता हूं कि गांव पंचायतों को अगर कांफीडेंस में लेंगे तो उनका काम आसान होगा और इसलिये मैं सोचता हूं कि सरकार को इस काम में कोई दिक्कत नहीं खड़ी होगी। बल्कि दिक्कत दूर होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से माफी चाहूंगा। क्या करूं? इस कीट पतंगों को नाश करने वाले विधेयक में बड़ी-बड़ी बातें हमारे साथी जबरदस्ती ला कर डाल देते हैं।

श्री हुकुमसिंह--आप न जाइये उनमें।

श्री गेंदासिंह--लेकिन अगर मैं उनका लिहाज न करूं तो उनको शिकायत होगी कि कुछ मैं उनकी उपेक्षा तो नहीं करता हूं।

श्री हुकुमसिंह--नहीं-नहीं।

श्री गेंदासिंह—दिक्कत हमारी यह है कि श्री राज नारायण जी यहां से चले गये। लेकिन एक बात में मैं उनका शुक्रगुजार जरूर हूं कि वे हमेशा समझाया करते हैं। उनको हमेशा शुबहा रहता है कि कहीं ऐसा न हो जाय कि हम अपना अमेंडमेंट वापस ले लें, कहीं ऐसा न हो जाय कि हम दूसरी तरह से बात करनी शुरू कर दें। हम बहुत शुक्रगुजार उनके हैं कि हमारे कर्त्तव्य का स्मरण उनको रहता है और वे हमको याद दिलाया करते हैं। ऐसा ही चाहिये भी, लेकिन मैं एक बात उनको जरूर कहना चाहता हूं कि शुबहा की बीमारी बहुत बुरी होती है। मैं दो मिनट आप का वक्त और लेना चाहूंगा। हमारे यहां शुबहा की बीमारी में एक आदमी का इंतकाल हो गया। उसमें यह हुआ कि फलां जगह पर गांव में झगड़ा हुआ कि फलां जगह रात को नहीं जा सकते हैं। एक ने पूछा कि क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकते हैं? तो लोगों ने कहा कि वहां पर शैतान रहता है, भूत रहता है। उसने कहा कि नहीं, हम जा सकते हैं। लोगों ने कहा कि ठीक है, जाओ। तो यह हुआ कि सबूत क्या रहेगा कि यह गया या नहीं। यह तय हुआ कि वहां जा कर रात को एक खूंटा गाड़ आना एक लकड़ी गाड़ आना। वह बेचारा रात में गया, और उसने खूंटा गाड़ा। वाकई निर्भीक आदमी था, निर्भय था। खूंटा तो गाड़ा लेकिन उस के साथ ही उस की चादर या पछोटा इत्तफाक से उसके साथ ही नीचे चली गयी और जब वह चलने लगा तो उस को मालूम हुआ कि कपड़ा उस को खींच रहा है और उसने समझा कि सचमुच शैतान सिर पर सवार हो गया है और इस डर से उसका इंतकाल हो गया। तो ऐसा शैतान हम नहीं चाहते हैं कि राज नारायण जी के सिर पर सवार हो। हम उनका जीना मांगते हैं। हमारे शुबहे से वह मरें नहीं। हम मानते हैं कि उन्होंने कुछ और लोगों का भी दिमाग खराब कर रखा है कि वह शुबहे में मरे चले जा रहे हैं और वे अपनी जबरदस्ती पर शुबहा करते चले जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह बीमारी उनकी दूर हो जाय। दुनिया में हर जगह बेनिफिट आफ डाउट मुल्जिम को दिया जाता है, शुबहा का फायदा मुल्जिम को दिया जाता है। राज नारायण जी का न्याय जो होता है वह शुबहे में सजा दे देते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि शुबहे में कम से कम वह सजा तो न दें। चाहे मैंने बाढ़ की बात कही हो या और कोई, मैंने गोआ पर जो कुछ भी कहा, उस में क्या अब भी उनको कोई शुबहा रह गया है कि मैंने उस में कोई गलत बात कही? मैंने जो कुछ इस बारे में कहा था वह बात सारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की नीति से सोलहो आना संबद्ध थी। श्री एस० एम० जोशी, जो आज गोआ सत्याग्रह के प्रमुख नेता महाराष्ट्र के कहे जा सकते हैं, उनका बयान उन्होंने पढ़ा होगा। मैंने अगर पीसफुल तरीके से, शान्तिपूर्ण तरीके से गोआ की समस्या हो हल करने की बात कही तो क्या बुरा किया? मैंने यह भी कहा था कि हिन्दुस्तान की सरकार को अब वह वक्त आ गया है कि उस पर बहुत गम्भीरता के साथ सोच कर के और जो हमारा अपमान हो रहा है और जो गोआ की सरकार बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है उस का जवाब देने के लिये कोई गम्भीर कदम उठाना चाहिये। मैं अब भी कहता हूं कि कोई गम्भीर कदम उठाना चाहिये, लेकिन इसके साथ यह भी कहता हूं कि हम अपनी नीति और परम्परा के पीछे हैं, उसके आगे जाने की बात नहीं करते। राजनारायण जी भी पुलिस ऐक्शन की चर्चा करते हैं और राजनारायण जी जिनको अपना नेता मानते हैं वह क्या गोआ के सम्बन्ध में कहते हैं उन्होंने तो आज तक मुंह नहीं खोला तो फिर हमको बदनाम करना और यह कहना कि हम जरूर गवर्नमेंट आफ इंडिया के खिलाफ हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया को जितना सख्त कदम उठाना चाहिये था उतना सख्त कदम नहीं उठाया। लेकिन हम एक मर्यादा के अन्दर रह कर काम करना चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से गोआ के मसले को हल करना चाहते हैं। लेकिन सरकार कुछ और है और सत्याग्रह दूसरी चीज है। सरकार दूसरे काम कर सकती है, हम सत्याग्रह कर सकते हैं। इसीलिये सरकार दूसरा कदम उठा सकती है, इस बात का हमेशा उन्हें ध्यान रखना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का वक्त चाहूंगा बाढ़ के सम्बन्ध में जो कुछ भी हमने कहा करोड़ों लोगों को जो भूखे हैं, जिसके सम्बन्ध में एडजर्नमेंट मोशन भी दिया है, हमने

[श्री गेंदा सिंह]

गवर्नमेंट को कोसने से ज्यादा परवाह इस बात की की है कि उन करोड़ों, लाखों के पेट में हम किस तरह से २ चने डाल सकें और हमको जो यह एक कीमती वक्त मिलता है असेम्बली में उसका दुरुपयोग करके यह नहीं चाहते कि सारा का सारा समय गवर्नमेंट को कोसने में लगा दें। हम बाढ़ पर १ घंटा बोले थे, ३० मिनट तक गवर्नमेंट को जो कुछ कहना था कहा, लेकिन ३० मिनट में यह कहा कि अमुक काम करना चाहिये और मुझे खुशी है इस बात की कि गवर्नमेंट ने हमारे सुझावों का स्वागत किया। हम यह नहीं चाहते, हमको इसमें कोई फर्क नहीं होता कि चीफ मिनिस्टर साहब या कोई भी खड़ा हो कर यह कहे कि अपोजीशन का रोल ठीक नहीं रहा। हमको गर्व है कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अपोजीशन का रोल जो रहा वह बहुत रचनात्मक रहा, मैं अपोजीशन को गाली सुनने का कोई काम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं जनता की सेवा करना और हमें सेवा करने के लिये भेजा है जनता ने इसलिये नहीं भेजा कि हम यहां खड़े होकर लोगों को गालियां सुनायें। इसके लिये तो हम समझते हैं बाहर बहुत समय है, बाहर सारी पार्टी को तोड़ने की साजिश हो रही है। यहां पर हम और वे इस वक्त का नाजायज फायदा न उठायें, बल्कि जो विधेयक आते हैं उन पर सीमित रह कर हम सुझाव दें''

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य आक्षेपों का उत्तर दे चुके हैं।

श्री गेंदा सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म करता हूं। लेकिन मैं जरूर प्रार्थना करूंगा कि हमको ऐसी पोजीशन में न छोड़ें कि हमको इस तरह का उत्तर देना पड़े। मैं आगे से ऐसा सोचता हूं कि वह इस विधेयक के ऊपर अपने को सीमित रखें और हमारी और उनकी लड़ाई जो है वह तो सारे देश में चल रही है और आगे इतिहास फैसला करेगा कि वे सही हैं या हम।

श्री हुकुमसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गेंदासिंह जी और राजनारायण जी के दर्मियान में कोई वार्तालाप हुआ उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं उन सब बातों में जाना नहीं चाहता। मैंने इस संशोधन के बारे में जो बातें कहनी थीं, जो दिक्कतें मेरी थीं वे प्रस्तुत कर दी थीं और मैंने यह भी प्रार्थना की थी कि भाई गेंदासिंह जी मेरी दिक्कत का या तो हल बतावें या कृपा करके अपने संशोधन को वापस ले लें। लेकिन बजाय कोशिश करने, मेरी मुश्किल को आसान करने के उन्होंने गोश्रा और माननीय रामनारायण जी के वाद-विवाद या आक्षेप के जवाब में सारा वक्त लगा दिया और हम जहां के तहां रह गये। हमारी मुश्किल जरा भी आसान नहीं हुयी, हालांकि हमारे दोस्तों ने इस तरफ जो मैं समझता हूं काफी तजुर्बेकार हैं, उन लोगों ने भी हमारी दिक्कतों की ताईद की। लेकिन मुझे इस बात की शिकायत बाकी रही कि भाई गेंदा सिंह ने उस पर ध्यान नहीं दिया और गालिबन इस मौके पर मैं समझता हूं वह वापस लेने के लिये तैयार नहीं है। अगर लेते हैं तो राजनारायण जी की बात, उनकी शिकायत जो है, वह पुख्ता हो जाती है। इस खयाल से मुझे कोई शिकायत भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं इसकी मुखालिफत करता हूं क्योंकि इससे दिक्कत पैदा होगी।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ के शब्द "अपितु" के बाद और पंक्ति ४ के शब्द "क्षेत्र" के बीच में शब्द "गांव पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास करने के बाद" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसी घोषणा की कोई जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तियों पर नहीं होगी जिनके पास ऐसे प्रस्थापित क्षेत्र में कृषि भूमि न हो।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से हम यह चाहते हैं कि उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन प्रत्येक अध्यासी को तथा उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन अन्य व्यक्तियों को जिसकी सहायता अपेक्षित है, सूचित करना आवश्यक नहीं होगा अपितु क्षेत्र, गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में डुग्गी पीटकर अथवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस सम्बन्ध में की गयी घोषणा उस क्षेत्र, गांव अथवा उस स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिये पर्याप्त सूचना समझी जायगी।

परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसी घोषणा की कोई जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तियों पर नहीं होगी, जिनके पास ऐसे प्रख्यापित क्षेत्र में कृषि भूमि न हो।

यह इस प्रकार हो जायगा। असल में जो कुछ भी कार्यवाही की जा रही है वह ऐसे ही लोगों के लिये की जा रही है कि जिनके पास इस क्षेत्र में जमीन हो और जमीन वालों के ऊपर यह जितना भी हो सकता है, उनसे हम किसी प्रकार की सेवा लेने के लिये बात करें या इसके आगे इस विधेयक का यह भी मंशा है कि उनसे हम कुछ पैसे भी वसूल कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनसे उनको बरी कर देना चाहिये जिनके पास उस प्रख्यापित क्षेत्र में जमीन न हो। मैं समझता हूं कि यह बड़ा सीधा-सा मामला है और यह भी मैं समझता हूं कि अब अधिक वक्त इस पर नहीं लगाना चाहिये। इसलिये मैं उतनी ही देर तक खड़ा हूं जब तक कि माननीय कृषि मंत्री जी उसको पढ़कर समझ लेते हैं।

श्री हुकुमसिंह--आप बैठ जाइये। मैं समझ गया।

श्री गेंदासिंह--तो मैं यह उनसे आग्रह करूंगा कि बल्कि अब आग्रह कैसे करूं प्रार्थना करूंगा कि अगर, इसको वह स्वीकार करें तो कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री हुकुमसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे फिर शिकायत है कि हमारे मित्र ने इसे ठीक तौर से पढ़ा नहीं। उपधारा (२) की पहली पंक्ति में अध्यासी लफ्ज दिया हुआ है कि उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन अन्य व्यक्तियों को जिसकी सहायता अपेक्षित है, सूचित करना आवश्यक नहीं होगा अपितु क्षेत्र, गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में डुग्गी पीटकर अथवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस सम्बन्ध में नोटिस दे दी जायगी। हम यह कहते हैं कि खेती न हो मगर भूगृहादि हो, जैसा कि आकुपायर की डेफिनीशन में रखा गया, खेती तो दूसरी बात है, अगर प्रेमिसिस हो मकान की और कम्पाउण्ड में कोई ऐसी चीज दे रखी है, जिसमें ऐसा खतरा और ऐसे रोग पैदा हो गये हैं जहां से दूसरी जगह पर पड़ोस में फैलने का अन्देशा हो तो उनके कम्पाउण्ड में इन सब बातों के पैदा होने पर, अगर तरमीम मान लें, तो उनको नहीं बुलाया जा सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--गांव में कम्पाउण्ड होते हैं ?

श्री हुकुमसिंह--आप पहाड़ में रहते हैं, गांव का अनुभव नहीं है। गेंदासिंह जी से पूछिये। मैं कहता हूं कि गांव में कम्पाउण्ड होते हैं और उनमें लोग तरकारी फल-फूल लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, ज्वार लगाते हैं और धान भी लगाते हैं जहां गहरा पानी होता है। तो इस तरह से उन लोगों को, इस तरमीम के मानने से हम बुला भी नहीं सकते हैं। लिहाजा यह दिक्कत हमारे रास्ते में पड़ेगी, लिहाजा मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल माननीय गेंदा सिंह जी को यह बतलाना चाहता हूं कि अगर यह तरमीम मान ली जायगी तो बड़ी एनोमली भी पैदा हो जायगी। क्योंकि कानून के अन्दर अगर दो धाराओं का कहीं परस्पर विरोध हो जाय तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। पहले धारा ४ के खंड १ के उपखंड (ख) में यह कह दिया गया कि किसी पुरुष को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि वह अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे। तो जब किसी भी पुरुष को सहायता करने के लिये आदेश दे सकता है और बाद में अगर यह मान लिया जाय तो फिर दोनों में बड़ी एनोमली

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

हो जायगी । वह पहले ही यह संशोधन अगर लाये होते, (ख) में, जहां लिखा है "किसी पुरुष को" तो वहां लाये होते "कि पुरुष को जोकि खेती करता है, वह आदेश दे सकता है" लेकिन जब पहले ही तय हो चुका कि किसी पुरुष को आदेश दे सकता है तो यह कहना कि डुग्गी जो पीटी जायगी तो ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जिसके पास ऐसे प्रख्यापित क्षेत्र में कृषि भूमि न हों । तो अगर कानून में दोनों ऐप्लीकेबिल होती हैं तो एक-एक लफ्ज पर बड़ी जहमत होती है और वाद-विवाद होता है । इसलिये यह असंगत-सा लगता है और स्वीकार करने के योग्य नहीं है ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन में अपना एक संशोधन रखना चाहता हूं । वह यह है कि "ऐसी घोषणा की कोई जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तियों पर नहीं होगी, जिसके पास ऐसे प्रख्यापित क्षेत्र में कृषि भूमि न हो" इसके आगे जोड़ दिया जाय, "या जो डेढ़ रुपये से कम प्रतिदिन मजदूरी पाता हो"। श्रीमन्, मैं जो अपना यह संशोधन इस समय प्रस्तुत कर रहा हूं इसका आधार माननीय गेंदासिंह जी का इसके पूर्व का भाषण रहा है ।

श्रीमन्, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ऐसे लोगों से सरकारी कर्मचारी हरगिज काम न लें जो कहीं दूसरी जगह काम करके जीविकोपार्जन करते हों । क्योंकि यदि वह दूसरी जगह काम करके जीविकोपार्जन करते हैं और उनको वहां काम करने से वंचित किया जाता है, ऐसे कामों पर लगाया जाता है तो यह उनके साथ ज्यादती होगी । श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यही है । मेरे संशोधन का मतलब यही है कि डेढ़ रुपया मजदूरी पाने वाले पर लागू न हो । क्योंकि इसके पूर्व जब मैंने संशोधन रखा था कि दो रुपया प्रतिदिन तक जो मजदूरी पाता हो और उस मजदूरी से अपना और अपने बाल-बच्चों का भरणपोषण करता हो, उससे जबरदस्ती सरकारी आदेश के मातहत ऐसे क्षेत्रों में काम नहीं लिया जाना चाहिये । मुझे अफसोस के साथ और दुःख के साथ इस सदन में विरोधी पक्ष, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री गेंदासिंह जी को सुनाना पड़ा था जबकि उन्होंने कहा था कि आज देश की आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब है कि दो रुपये मजदूरी देना किसी के बस की बात नहीं है । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों को और माननीय गेंदासिंह जी को जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं उनकी सेवा में विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो मजदूरों की मजदूरी से संबंधित प्रस्ताव गैर-सरकारी दिन पर प्रस्तुत हुआ था उधर भी अपना ध्यान दें । श्रीमन्, आपको यह भी मालूम होगा कि सरकार की ओर से जितनी भी कमेटियां बैठीं हर एक की तरफ से जो राय आयी सब का लुब्बो लबाब था खेतिहर मजदूरी के लिये । कहीं डेढ़, कहीं सवा, कहीं एक रुपया, डेढ़ रुपये से कम की मजदूरी इस समय कृषि के काम में लगे हुये जो मजदूर हैं उनको भी देना अनुचित है । इसलिये ये जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब विरोधी पक्ष का कोई सदस्य यह कहता है कि खेती के काम में लगे हुये लोगों को डेढ़ या दो रुपये मजदूरी नहीं मिलनी चाहिये तो मैं उनसे निहायत अदब के साथ उनके लिये अपने दिल में आदर और सम्मान का भाव रखते हुये कहना चाहता हूं कि ऐसी भावना न रखें, ऐसे भाव इस सदन में न व्यक्त करें इससे उन लोगों को काफी करारी चोट पहुंचेगी जो यह आशा लगाये बैठे हैं कि उनकी भावनाओं को व्यक्त करेगा विरोधी दल इस सदन में । मैंने कल भी अपने संशोधन को प्रस्तुत करते हुये मित्र रामेश्वरलाल जी से निवेदन किया था, मैंने उनको कोई सिखाने की चेष्टा नहीं की थी.....

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं माननीय सदस्य पुरानी बातों को दोहराने का कष्ट न करें ।

श्री राजनारायण--जी नहीं । इसी से प्रासंगिक है । तो मैंने यही कहा था कि दो की जगह यदि आप आवश्यक समझें तो डेढ़ या दो रख दें या यदि यह सदन एक रुपये पर एक मत हो तो श्रीमन्, मैं स्वयं एक रुपये को उचित न मानते हुये भी इस सदन की सर्वसम्मति के सामने नत मस्तक कर दूंगा । मगर मैं चाहता हूं, श्रीमन्, कि अब जो शब्द निकाले जायं उनमें मतलब पिरोया रहे, बिना मतलब के

कई शब्द इस सदन में सुनते-सुनते कान थक गये होंगे। अहिंसा, विकेन्द्रीकरण, जनतांत्रिक प्रणाली, ये ऐसे शब्द हो गये हैं कि प्रति दिन गोली चलाने वाला व्यक्ति अपने को अहिंसक समझता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसी घोषणा की कोई जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तियों पर नहीं लागू होगी जिनके पास ऐसे प्रख्यापित क्षेत्र में कृषि भूमि न हो। कृषि भमि न रखने वालों के लिये माननीय गेंदासिंह जी का संशोधन है। जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने रखा है उसपर भी हम कुछ दूसरा संशोधन और देना चाहते थे, मगर चूंकि सदन में काफी समय इस पर लिया जा चुका है मैं उस राय को उपयुक्त समय पर फिर व्यक्त करूंगा। मगर मैं चाहता हूं कि उन लोगों के लिये भी माननीय गेंदा सिंह जी के दिल में दर्द उठे, उन लोगों के लिये भी उनको चिन्ता हो, जो किसी दूसरी जगह काम करके अपनी रोजी चलाते हैं। आज जो शहर के किनारे रहने वाले लोग हैं, जैसे मैं बनारस का रहने वाला हूं, हमारे गांव के पास रिक्शा चलाने वालों की तादाद ज्यादा है। कोई ऐसा रिक्शा चलाने वाला नहीं है जो दो, ढाई रुपये से कम मजदूरी पाता हो। वह संशोधन जिसका माननीय गेंदासिंह जी ने विरोध किया था, खैर, वह तो गया तो गया मगर आगे के लिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह हमारे संशोधन को मान जायं, नहीं तो उन रिक्शा चलाने वालों को इस विधेयक के जरिये कैसे छुटकारा मिलता है। एक रिक्शा चलाने वाला है, वह कृषि की भूमि नहीं रखता है उस क्षेत्र में तो सरकार उससे काम ले सकती है। या एक रिक्शा चलाने वाला है वह थोड़ा सा हिस्सा जमीन का, एक-दो बिस्वा जोतता है, क्योंकि श्रीमन्, आपको मालूम होगा कि हमारे क्षेत्र में करीब ७५ फीसदी किसान दो एकड़ से कम ही जमीन रखते हैं दो बिस्वा, पांच बिस्वा घर की जमीन है और वह आदमी रिक्शा चलाता है, दूसरी जगह काम करता है या नौकरी करता है तो उसके लिये कितनी गुंजायश है, कहां उसकी हिफाजत होगी, कहां उसकी रक्षा होगी। आज वह दरिद्रावस्था में जीवन व्यतीत कर रहा है। इसको हर दृष्टिकोण से देखा जाय चाहे वह आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो और चाहे सामाजिक दृष्टिकोण हो, लेकिन यह जरूर है कि उसका शोषण हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में आज भी शोषण विद्यमान है और रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। इसका नमूना हमारे सामने है। अभी दो महीने पहले मैं एक क्षेत्र में गया था। वह हमारे कमलापति जी का क्षेत्र है। एक चमारिन वहां आयी थी और वहां के कांग्रेसी लीडर उसको पानी नहीं भरने दे रहे थे। फिर भी कहा जाय कि शोषण से आज समाज मुक्त हो गया है तो यह गलत धारणा होगी।

ऐसे गरीब, ऐसे अकिंचन और ऐसे भिखारी जो और कहीं मजदूरी करते हैं उनको इस काम से कैसे छुटकारा मिलेगा, यही हम चाहते हैं। यदि सरकार व्यापक शब्द रखकर उनको बांध रही है तो हमें और माननीय गेंदा सिंह जी दोनों को मिलकर विरोध करना चाहिये, हमको चाहिये कि हम और विरोधी पार्टी दोनों मिलकर सरकार का विरोध करें। श्रीमन्, जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा है और कल भी कह चुके हैं और परसों भी कह चुके हैं कि राजनारायण जी के प्रति, उनकी पर्सनालिटी के प्रति उनका बड़ा सम्मान है। उनके लिये यह मुबारक हो, उनके सम्मान करने की बात ठीक है। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि यदि वह सरकार के साथ अपनी लड़ाकू मनोवृत्ति रखेंगे तो बराबर हम उनका साथ देते रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे। अगर वह ऐसी सरकार के साथ कोआपरेशन की मनोवृत्ति रखेंगे तो हम डटकर उनका विरोध करेंगे और सकार का भी विरोध करेंगे। इसलिये श्रीमन्, मैं अपनी ओर से आश्वासन देते हुये कहता हूं कि अगर वह अपनी इस तरह की मनोवृत्ति रखेंगे तो हम बराबर उनको सहयोग देते रहेंगे। मैं फिर कहता हूं कि वह हमारे इस संशोधन को मान जायं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदासिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष की तरफ से कोई ऐसी दलील इस सम्बन्ध में नहीं दी गई जो हमें अपील कर सके। माननीय मौर्य जी ने जो कुछ कहा वह यह कहा कि इसके पहले जो खंड पास हो चुके हैं उनमें इसकी तुक नहीं बैठती, इसलिये इसको नहीं करना चाहिये। यह नहीं कहा कि यह नहीं होना चाहिये या इंकार नहीं किया। इससे मैं समझता हूं कि उनकी इच्छा जरूर है कि होना चाहिये लेकिन लिखा-पढ़ी में ठीक नहीं बैठता है इसलिये नहीं हो, ऐसी बात कह रहे हैं। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि यह तो एक तरह से हमारा समर्थन हुआ। दूसरे किसी माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा और कृषि मंत्री जी जो कठिनाई बतलाते हैं उससे मैं बहुत कंविन्स नहीं हो पाता हूं। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों पर जोर जबर डालना ठीक नहीं होगा। मंत्री जी ने यह कहा कि किसी के घर के कम्पाउन्ड में कोई चीज बोई हुई है उसमें बीमारी आ गई, तो उसको कैसे रफा करें। इतनी ही उनकी परेशानी है। असल में मैं समझता हूं कि वह जिस विभाग को २, ४ वर्ष चला चुके हैं, जो मालगुजारी विभाग है, अगर उसको दुरुस्त करें और अपने कागजात को सही रखें तो कम से कम यह बीमारी का वक्त नहीं आयगा। तो मैं आपसे यह अर्ज करूं कि वह मालगुजारी विभाग ठीक तरीके से कागजात को दुरुस्त करे तो उनको कोई कठिनाई नहीं होगी और वह भी कृषि भूमि मानी जा सकती है। इतनी बात कह कर मैं उनसे फिर यह कहूंगा कि वह हमारे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--जो आपके संशोधन पर संशोधन है उस पर भी तो कुछ कहिये।

श्री गेंदासिंह--उस सम्बन्ध में मैं सोच रहा था कि मुझे राजनारायण जी को जवाब न देना पड़े तो अच्छा है। राजनारायण जी को हमने अब पूरी छूट दे दी है कि जो कुछ भी वह चाहें कहा करें। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी प्रसन्न हों तो मैं उनके संशोधन को भी माने लेता हूं ताकि वह इसको भी स्वीकार कर लें।

श्री हुकुमसिंह--हमारे श्री गेंदासिंह जी ने इफ और बट के साथ राजनारायण जी के संशोधन को स्वीकार किया। इफ और बट के साथ कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है। मैं तो उनके संशोधन को भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है। इस सम्बन्ध में मैं काफी बात कह चुका हूं और सुन भी चुका हूं। मैं और अधिक सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के अन्त में निम्न लिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसी घोषणा की कोई जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तियों पर नहीं होगी जिनके पास ऐसे प्रख्यापित क्षेत्र में कृषि भूमि न हो"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत किया जाने वाला कोई भी अधिकारी प्रभावित क्षेत्र में स्थित किसी भी स्थल, जल अथवा भूगृहादि में निम्नलिखित की जानकारी के लिये, सूचना देने के पश्चात् प्रवेश कर सकता है कि—

भूमि अथवा भू- गृहादि पर प्रवेश का अधिकार।

(१) कोई हानिप्रद तृणादि, परजीवी, नाशक कीट अथवा पौधों का रोग ऐसे स्थल, जल अथवा भूगृहादि में है कि नहीं; और

(२) धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) में निर्दिष्ट नियत निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय कार्यान्वित हो रहे हैं या नहीं।

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)—मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ५ की पंक्ति ३ में शब्द "भूगृहादि" के स्थान पर शब्द "पशु बाड़े तथा ऐसे स्थान जहां परजीवी, नाशक कीट और तृणादि रखे जाते हों" रख दिये जायं

श्रीमन् इस धारा में इस बात का उल्लेख है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जहां यह पता लग जाय कि अब खेती के नाश करने वाले कीड़े किसी स्थान पर हैं तो वह उन स्थानों में जाकर देखेगा ताकि वह आगे की कार्यवाही को कर सके। यहां पर जो भूगृहादि शब्द आया है वह कुछ फबता नहीं मालूम होता है। यदि इस शब्द का सन्धि-विच्छेद किया जाय तो "भू गृह आदि" यह तीन शब्द इसमें अलग-अलग हो जाते हैं। उसमें गृह भी आ जाते हैं। मैं समझता हूं कि रहने के लिये जो घर होते हैं उनमें कभी खेती को नाश करने वाले कीड़े नहीं रखे जाते हैं। यदि हमने यह अधिकार दे दिया कि घरों में भी सूचना देकर कोई अधिकारी प्रवृष्ट हो जाय तो उसमें गलत फहमी पैदा हो जायगी। यदि मकान के कालिम टेढ़े किस्म के हुये तो वे अधिकारियों को कोई लाञ्छन लगाकर परेशान कर सकते हैं और यह भ्रम मेरे संशोधन को मान लेने से दूर हो जायगा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूगृहादि के बारे में शंका मेरे मन में भी थी और इसीलिये मैंने कई संशोधन रखे थे कि इसके स्थान पर क्षेत्र रख दिया जाय। अध्यासी की परिभाषा में कहा गया है कि अध्यासी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे समय विशेष पर किसी स्थान, जल या भूगृहादि पर वास्तविक अध्यासन प्राप्त हो तथा इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे समय विशेष पर उसके अध्यासन का अधिकार हो। माननीय मंत्री जी की ओर से कहा गया कि बाड़े वगैरह हों तो फिर कैसे प्रश्न होगा? तो इस संशोधन से यह प्रश्न हल हो जाता है। काम तो इतना ही है कि प्रविष्ट होकर नष्ट कर दे। घर का शब्द बड़ा व्यापक हो जाता है। इससे मकान में किसी भी जगह अधिकारी जा सकता है। अगर यह कहा जाय कि अध्यासी की परिभाषा में यह भूगृहादि दे दिया गया है तो कठिनाई होगी। मगर ऐसी बात नहीं है। अध्यासी तो सब जगह होगा। इसलिये प्रवेश करने का अधिकार कितने हिस्से में देना चाहते हैं यह साफ होना चाहिये। घर में किसी भी जगह प्रवेश करने का अधिकार देना ठीक नहीं है। इससे कठिनाई पैदा होगी। इसलिये यह संशोधन मानने योग्य है।

श्री हुकुमसिंह—मैंने इस संशोधन के पक्ष में हुये कारणों को सुना और श्री मौर्य जी ने कहा कि अगर भूगृहादि करेंगे तो घर में किसी जगह घुसने का सवाल पैदा हो जाता है। अगर नाशक कीट किसी बीज में लग गया जो अन्दर रखा है या किसी

[श्री हुकुमसिंह]

ने अपनी डाइरी में रख दिया तो हम कैसे उसे मिटायेंगे? आलू का बीज लोग घरों में रखते हैं, यह पशुबाड़े में नहीं रखा जाता है। तो उसमें कठिनाई होगी। इसलिये भूगृहादि ठीक ही रखा गया है और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामजीलाल सहायक--मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ की पंक्ति ३ में शब्द 'लिये' और शब्द 'सूचना' के बीच में शब्द 'नियमानुकूल' बढ़ा दिया जाय। आप देखेंगे कि इस खंड के द्वारा किसी स्थल, जल, प्रदेश अथवा भूगृहादि में प्रवेश करने के सम्बन्ध में अधिकार दिये जा रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि किसी भी व्यक्ति के यहां जब कोई कर्मचारी पहुंचेगा तो यह आवश्यक है कि वह उसे सूचना दे। अब वह सूचना कितने समय की होगी और किस प्रकार दी जायगी, इस सम्बन्ध में नियम बनने आवश्यक हैं। नियम बाद को बनेंगे, जिनमें नोटिस की विधि आधारित कर दी जायगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि नियमानुकूल हो जाय। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस निर्दोष संशोधन को मान लेंगे।

श्री हुकुमसिंह--जहां लिखा है कि सूचना दे दी जायगी, उसके मानी ही यह हैं कि नियमानुकूल दी जायगी। इसलिये यह संशोधन अनावश्यक है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा संशोधन प्रस्तुत है ही।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ की पंक्ति ३ में शब्द 'लिये' और शब्द 'सूचना' के बीच में शब्द 'नियमानुकूल' बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन् इस खंड में २ शब्दों का प्रयोग जरा स्पष्ट हो जाना चाहिये। एक तो इसमें स्थल, जल अथवा भूगृहादि लिखा है। भू का अर्थ है जमीन और जब स्थल शब्द आपने रखा है तो भू काट दिया जाय और गृह रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि ये भाषा की बातें हैं।

श्री हुकुमसिंह--मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी तरमीम है?

श्री उपाध्यक्ष--यह बात ठीक है कि इस समय कोई ऐसी तरमीम न होने से सदन में इस पर विचार नहीं हो सकता, लेकिन आपस में सलाह हो सकती है। यदि वह संभव हो तो कर ली जाय।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अंग्रेजी में भूगृहादि के लिये दूसरे स्थानों पर 'प्रेमीसेज' शब्द रक्खा गया है। क्योंकि गृह का अर्थ मकान हो जाता है इसलिये यह ठीक नहीं मालूम होता। जैसा कि टिड्डी विनाश विधेयक में भी 'प्रेमीसेज' शब्द इसके लिये अंग्रेजी में इस्तेमाल हुआ है, इसलिये यहां भी भूगृहादि के लिये अंग्रेजी में 'प्रेमीसेज' रख दिया जाय तो उचित होगा।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, वह शब्द यहां लागू नहीं हो सकता। डिड्डियों वाले विधेयक से इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसका प्रयोग स्थल में भी हो सकता है और जल में भी हो सकता है। अतः यह सुझाव उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह भाषा का प्रश्न है। इस पर विचार किया जा सकता है मगर कोई संशोधन इस पर सदन के सामने नहीं है इसलिये इस पर राय लेना कठिन है।

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

उपाय कार्यान्वित करने के अधिकार।

६---जब धारा ५ के अधीन इस सम्बन्ध में अधिकृत किसी भी अधिकारी को किसी स्थल, जल अथवा भूगृहादि के निरीक्षण करने से यह ज्ञात हो कि धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) में निर्दिष्ट निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय आदेशानुसार कार्यान्वित नहीं हो रहे हैं तो वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की किसी सामान्य अथवा विशिष्ट आज्ञा के अधीन अध्यासी के व्यय पर उक्त निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय कार्यान्वित कर सकता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसानों की, उनकी फसल नष्ट किये जाने के कारण उस अवधि की लगान मुआफ कर दी जायगी।"

उपाध्यक्ष महोदय, पहली पंक्ति में 'किसानों को' के स्थान पर 'किसानों की' कर दिया गया है तथा दूसरी पंक्ति में से शब्द 'उनकी' हटा दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस धारा में प्रतिबन्ध लगाने का मैं प्रस्ताव कर रहा हूं, वह इस प्रकार है---

"६---जब धारा ५ के अधीन इस सम्बन्ध में अधिकृत किसी भी अधिकारी को किसी स्थल, जल अथवा भूगृहादि के निरीक्षण करने से यह ज्ञात हो कि धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) में निर्दिष्ट निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय आदेशानुसार कार्यान्वित नहीं हो रहे हैं तो वह, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की किसी सामान्य अथवा विशिष्ट आज्ञा के अधीन अध्यासी के व्यय पर उक्त निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय कार्यान्वित कर सकता है।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरे विधेयक की योजना में यह साफ है कि जिस तरह से कोई आपत्ति आती है, जैसे महामारी या बाढ़ हो, ओला पड़े या व्यापक रूप से कहीं सूखा पड़े, जिस तरह से इस विधेयक की मंशा है कि जिस समय इस किस्म के कीटाणु आदि जितने व्यापक रूप से किसानों के खेतों को बरबाद करें, जैसे इस विधेयक में मीलों तक की बात सोची गयी है, ऐसी अवस्था में पूरे जिले में मीलों तक या जिले के एक खंड में अगर इस तरह की बात हो तो उसके लिये वही नियम लागू होने चाहिये और वैसी ही व्यवस्था होनी चाहिये जो बाढ़ के आने पर या ऐसी बातों के सम्बन्ध में हुआ करती है। ओले और सूखे के सम्बन्ध में सरकार का यह नियम है, माननीय राजस्व मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं कि जिस समय ऐसी कोई विपत्ति आवे, जिस समय सारे के सारे खेतों की फसल नष्ट हो जाय तो उस समय उस फसल का लगान लेना किसानों से उचित नहीं होगा। एक तो उस

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

पर ऐसी विपत्ति आयेगी कि उसकी सारी फसल बरबाद कर दी जायगी दूसरे माननीय कृषि मंत्री जी यह भी व्यवस्था कर रहे हैं जो कि अनुचित है कि उसी के खर्चे से वह तमाम फसल बरबाद की जाय और अगर वह खर्च न दे तो दूसरों से काम करा कर उससे तमाम खर्चा ले लिया जाय और इसमें कोई बाधा पड़े तो फिर जुर्माना कर दिया जाय। तो ऐसी सूरत में ये सब बातें ऐसी हैं जो सरकार की तरफ से विवेक पूर्ण ढंग से नहीं की जा रही हैं। होना तो यह चाहिये कि जब उसके ऊपर कोई आपत्ति इस तरह की आवे, उसकी फसल बरबाद हो जाय, खरीफ की फसल बरबाद हो जाय और रबी की फसल बरबाद हो जाय तो उस अवधि का लगान यानी दोनों फसलों का लगान या एक फसल का लगान सरकार को नहीं लेना चाहिये। यह कोई नयी बात नहीं है, अन्य अधिनियमों में इस किस्म की व्यवस्था है और सरकार रोज रोज बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर, ओला पड़ने पर, या सूखा पड़ने पर हमेशा लगान माफ कर दिया करती है। तो इस विधेयक के बारे में मेरा एक समुचित सुझाव है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र ने जो संशोधन पेश किया है वह इस विधेयक के कुल अंग से कहीं मेल नहीं खाता, बिलकुल बेमेल है। रेवेन्यू मैनुअल में इस तरह के कानून का पूरा प्रबन्ध है कि यदि कोई नेचुरल कालामिटी हो और उसकी तारीफ में वह चीज आ जाय तो उसकी रू से उसको फायदा मिल सकता है। तो लगान में छूट देना या फसल का मुआवजा देना यह तो माल विभाग का विषय है, उस का कृषि विभाग से संबंध नहीं है। लिहाजा इस बिल में ऐसा संशोधन लाना ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की फसल भी बरबाद की जाय, उन से खर्च भी लिया जाय यह उस पर बड़ी ज्यादती होगी। अगर किसी की फसल रोगग्रस्त हो कर बरबाद हो जाती है और दूसरों को तबाह करने के लिये कायम रहती है तो वह बरबाद फसल कोई फसल नहीं कही जा सकती कि जो रोग-ग्रस्त हो कर खुद ही तबाह हो रही है। उस बरबाद फसल का औरों पर असर न पड़े इस वास्ते उस को बरबाद किया जाता है। इसलिये उस के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाती, बल्कि उसी तरह की विपत्ति से कुर्बो जवार के काश्तकारों को बचाने के लिये ऐसा किया जाता है और ऐसा विधेयक में रखा गया है। लिहाजा इसमें मुआवजे या छुट का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय राम नारायण जी का जो संशोधन है उस संशोधन का भी विरोध माननीय कृषि मंत्री जी करेंगे, ऐसा मैं समझ नहीं सकता था। अब यदि अच्छी तरह से देखा जाय तो सरकार इस समय जितने भी काम कर रही है वह सब जनकल्याण के ही नाम पर हो रहे हैं। राष्ट्र-उत्थान, राष्ट्र-विकास और जनकल्याण यह ऐसे शब्द हैं कि इन की आड़ में कितना भी अनर्थ कर डाला जाय, वह थोड़ा है। माननीय राम नारायण जी अपने संशोधन द्वारा यह चाहते हैं यदि किसी की फसल नष्ट कर दी जाय तो उस का लगान भी माफ कर दिया जाय। यद्यपि इसके पूर्व भी एक संशोधन था जो कि किसी के फसल को बचाने के लिये दवा आदि के छिड़काव में खर्च पड़े वह न लिया जाय। वह संशोधन भी अपनी जगह पर ठीक था, उस पर भी सदन की राय होनी चाहिये थी, लेकिन वह संशोधन नियमित रूप से नहीं आया, क्योंकि उस समय माननीय गेंदासिंह जी यहां नहीं थे, वह होते तो उस को जरूर सदन के समक्ष रखते और उस के बाद यह माननीय रामनारायण जी का संशोधन आता तो यह और पूर्ण होता। इसमें जो किसानों को नुक्सान हो रहा है उससे उनको बचाने की बात है। इसलिये यदि हमारे सही भाव किसानों को सहायता देने के हैं तो कहीं भी राजनैतिक दलबंदी का प्रश्न उपस्थित नहीं होगा और इसीलिये माननीय त्रिपाठी जी ने यह साफ और छोटा सा संशोधन सदन के समक्ष रखा है कि यदि किसी की फसल नष्ट हो जाय और उसको उसके ऊपर लगान भी देना पड़े तो यह उस के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि यह फसल जो नष्ट हो गई उसके वास्ते किसी पटवारी, कानूनगो या तहसीलदार की जांच की या रिपोर्ट देने की जरूरत न होगी। यह फसल तो सरकारी आदेश के अनुसार नष्ट होगी और स्थानीय कर्मचारियों की जानकारी में होगी

और न इसके लिये सरकार बहाना बना सकती है कि पटवारी, लेखपाल या कानूनगो, या तहवीलदार या परगना हाकिम या कलेक्टर की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। यह तो बाकायदा सरकार की जानकारी में होगी कि फलां फलां जगह और फलां फलां किसान की फसल नष्ट कर दी गई है तो उस नष्ट की हुई फसल के लिये फिर लगान क्यों उस किसान से लिया जाय, जरा यह समझने की बात है कि उस किसान के साथ कितना जबरदस्त अन्याय होगा जिस किसान की फसल भी नष्ट की जाय और पैदावार भी न कर पाये और उसको लगान भी देना पड़े। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि यह मामला जो लगान और मालगुजारी का है उसकी माफी करना है, वह उनके विभाग से संबंधित नहीं है। वह तो संबंधित है माल मंत्री जी के विभाग से। श्रीमन्, आप जानते हैं कि यह विभागों का बटवारा सरकार का काम है। लेकिन मानवता का बटवारा तो नहीं किया जा सकता। मानवता अपनी जगह पर है। अगर वह कराहती है तो उसका उद्धार होना चाहिये, सुरक्षा होनी चाहिये, हिफाजत होनी चाहिये। वह इस बात पर कि यह माल मंत्री का विभाग है यह पुलिस मंत्री का विभाग है इतने बड़े मानव प्रश्न को फेंका नहीं जा सकता। अखिरकार कैबिनेट सिस्टम में ज्वाइंट रिस्पांसिबिलटी है, सम्मिलित जिम्मेदारी होती है और माननीय कृषि मंत्री श्री हुकुमसिंह जी का तर्क माना जाय तब तो श्रीमन् यह कह सकते हैं कि पुलिस मंत्री चाहे जो भी जुल्म ढायें कृषि मंत्री से कुछ मतलब नहीं है। माल मंत्री चाहे जो भी आफत मचायें कृषि मंत्री से कुछ भी मतलब नहीं है और चाहे कृषि मंत्री जी जो चाहें अव्यवस्था पैदा करके सारे किसानों की फसल को चौपट करें, लेकिन सरकार के किसी विभाग से कुछ मतलब ही नहीं है यह कितनी थोथी, निरर्थक और बुद्धिजाल की दलील है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी इस लचर दलील पर इतने अच्छे और जनहितकारी संशोधन को फेंकने की कृपा न करें। वे अच्छी तरह से इसको समझें और औरों की फसल की हिफाजत करने के लिये जो उस किसान की फसल मारी जा रही है, नष्ट की जा रही है और किसानों का उत्थान करने के लिये माननीय कृषि मंत्री जी किसी विधेयक को लाते हैं और उसको कानून का स्वरूप देते हैं तो माननीय माल मंत्री जी को क्यों रंज होगा क्यों उनके विभाग को रंज होगा। आखिरकार सरकार की सम्मिलित जिम्मेदारी है इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि फलां मंत्री जी यह कहेंगे।

(इस समय ४ बजकर १७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे जो कैबिनेट में विभागों का बटवारा हुआ है उसको सामने रखकर इतने अच्छे संशोधन को ठुकराने की कृपा न करें, न्याय को और औचित्य को सामने रखें, मानवता को सामने रखें, दुख और दारिद्र को सामने रखें। हमें पूर्ण विश्वास है कि वे माननीय रामनारायण जी के संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। श्रीमन्, मैं आपके जरिये पुनः उस संशोधन को जोर के साथ पढ़ना चाहता हूं ताकि माननीय कृषि मंत्री जी उसे अच्छी तरह से सुन लें और उनके कानों में हमारी आवाज पहुंचे और उनको कष्ट भी न हो। रामनारायण जी एक ही प्रतिबन्ध रखना चाहते हैं और वह प्रतिबन्ध यह है कि जिसकी फसल नष्ट की जाय उसको लगान के बोझ से मुक्त कर दिया जाय, उससे लगान न लिया जाय। फिर यदि माननीय कृषि मंत्री जी उसके ऊपर लगान लगाते हैं और लगान की वसूली कराते हैं तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि वह क्योंकर लगान दे। जिसकी फसल नष्ट हो जायगी और जिसकी फसल नष्ट होगी सरकारी आदेश के मातहत, फिर उस किसान से लगान क्यों लिया जाय? मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वह पैदा नहीं करेगा, उससे कुछ उत्पादन या कमाई नहीं करेगा तो लगान क्योंकर देगा। उसके लगान को यदि सरकारी कर्मचारी लेने जायेंगे तो क्या उसके साथ ज्यादती नहीं मानी जायगी?

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सरकार के मंत्रीगण हमारे ऊपर दोषारोपण न करें, क्योंकि मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि यदि किसी किसान की फसल नष्ट कर दी जाती है और सरकार उसका लगान माफ नहीं करती यह जानते हुये भी कि उसने कुछ कमाया नहीं और उस पर भी यह सरकार उसको लगान देने के लिये बाध्य करती है तो मैं उन किसानों को यह

[श्री राजनारायण]

सलाह देने से भी नहीं हिचकूंगा कि इस लगान का देना बन्द कर दो। इसलिये यह परिस्थिति न आये, मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्रीजी से पुनः निवेदन कर देना चाहता हूं कि किसानों को यह सलाह देने के लिये वह परिस्थिति पैदा न करें कि मैं किसानों से कहूं कि इस खेत का लगान मत दो जिसमें तुमने एक पैसा भी कमाई नहीं की और जिस खेत की फसल सरकारी आदेश के अनुसार नष्ट की गई हो। इसके लिये मैं पुनः बार-बार सादर साग्रह निवेदन करूंगा कि माननीय कृषि मंत्री रामनारायण त्रिपाठी के इस सीधे संशोधन को अवश्य स्वीकार करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने यह बताया कि जो रेवेन्यू मैनुअल है उसमें ऐसी विपत्ति के लिये व्यवस्था की गई है। कृषि मंत्री महोदय फिर से देख लें कि ऐसे केसेज में जिनकी इस संशोधन द्वारा व्यवस्था करने के लिये कहा गया है लगान माफ कर दिया जायगा तो मैं इस संशोधन को वापस ले लूंगा। लेकिन जहां तक मेरा खयाल है यह विधेयक नया है और नई योजना सरकार के सामने रक्खी गई है उसके लिये कहीं भी व्यवस्था रेवेन्यू मैनुअल में नहीं है। रेवेन्यू मैनुअल देख लिया जाय अगर हो तो मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये तैयार हूं। इस संशोधन के रखने का मंशा यह है कि ऐसी विपत्तियां आकस्मिक होती हैं। ओला, सूखा और बाढ़ उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। फिर कोई सीमित क्षेत्र की बात नहीं है। गांव का गांव सम्मिलित किया जा सकता है, पूरा परगना या तहसील सम्मिलित की जा सकती है। पूरा जिले का जिला ऐसी विपत्तियों का शिकार हो सकता है। ऐसी सूरत में उन किसानों से जिनकी फसल नष्ट हो गई हो लगान लेना मुनासिब नहीं है। मेरा खयाल है कि इस संशोधन के मान लेने में माननीय मंत्री जी को कोई शिकायत न होगी।

श्री हुकुमसिंह--मुझे जो कुछ कहना था मैंने अपनी प्रथम स्पीच में कह दिया, अब मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसानों की उनकी खेती की फसल नष्ट किये जाने के कारण उस अवधि की लगान मुआफ कर दी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता था। यह सदन आज तब तक बैठा रहे जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय।

श्री राजनारायण--मैं इसका घोर विरोध करता हूं। और यह चाहता हूं कि आपके द्वारा माननीय रामनरेश जी से निवेदन करूं कि कोई जल्दी नहीं है। कोई ऐसा अहम सवाल नहीं है जिसको पास कराके करना है। इतने दिनों की सरकारी पक्ष की आदत थी, उससे बाज आयें। जरा सदन को स्वस्थ रूप में चलने दें। कौन बार-बार रेपीटीशन हो रहा है जिससे यह चाहते हैं कि हम बाद में भी बैठें। जब लम्बा विधेयक आ जायगा तो समय लगेगा ही और जब समय लगेगा तो पांच बजे, छः बजे के बाद बैठें, इसमें पत्रकारों को भी बराबर शिकायत रहती है। सारी रिपोर्ट उस समय में हो नहीं पाती और सब लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोगों को आप जानते हैं। हम थोड़े से लोग हैं। सरकारी पक्ष के लोग एक, दो, तीन करके, कोरम भी पूरा रखते हैं और बाहर से नाश्ता पानी भी करके सदन में आ जाते हैं। लेकिन हम लोगों की अगर संख्या कम है तो सदन में यह प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये कि हम अपनी राय न दे सकें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा माननीय रामनरेश जी से कि वे कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि शायद इसकी आवश्यकता न पड़े और माननीय सदस्य जरा मुख्तसर में अब भाषण दें जब कभी संशोधन आये। मैं तो सिर्फ एक बात समझता हूं कि अगर कोई ऐसी चीज करनी है उसके लिये कोई नियंत्रण करना है तो एक ढंग से बिजनेस कमेटी में मामला चला जाना चाहिये बजाय इसके कि बार बार समय बढ़ाने की यह प्रथा हम लोग शुरू करें। उसी के लिये एक कमेटी बन चुकी है। लेकिन सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि इसको कमेटी में न भेजें। इसलिये वह कमेटी में विषय नहीं आया। लेकिन मैं सदस्यों से आशा करता हूं कि जो संशोधन अनावश्यक प्रतीत हों उनको वे प्रेस न करें। इस तरह से समय की बचत हो जायगी।

श्री मंगलाप्रसाद (जिला इलाहाबाद)--मेरी प्रार्थना यह है कि चूंकि सात-आठ बिल हैं और सब में यह सवाल पैदा होगा, कम काफी है। शायद बहुत दिन तक हम बैठ नहीं सकेंगे। इसलिये यह मसला और सब मसले बिलों के बिजनेस कमेटी में रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--बिजनेस कमेटी के बारे में नियम बना हुआ है। गवर्नमेंट जो है वह भेजेगी। जिनके बिल्स हैं अगर आप उनसे पूछ करके मेरे पास भेजेंगे तब उसके अन्दर रखा जायगा। मैंने उसके लिये रास्ता बता दिया है।

खंड ७

७--धारा ६ के अधीन कार्यान्वित किसी भी निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय का व्यय अध्यासी से मालगुजारी की बकाया की भांति (as arrears of land revenue) वसूल किया जा सकेगा। व्यय की वसूली

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं खंड ७ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय --

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सवा तीन एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से संबंधित किसी भी निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय का व्यय सरकार स्वयं वहन करेगी।"

अध्यक्ष महोदय, जिस धारा में मेरा यह प्रतिबन्ध है वह इस प्रकार है

"धारा ६ के अधीन कार्यान्वित किसी भी निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय का व्यय अध्यासी से मालगुजारी की बकाया की भांति वसल किया जा सकेगा।"

इसमें मैं यह जोड़ देना चाहता हूं कि सवा तीन एकड़ों से कम खेती करने वाले जो किसान हैं उनमें जो यह कीटों को नष्ट करने का व्यय होगा उसको सरकार बरदाश्त करेगी और बाकी से मलगुजारी की तरह से वसूल किया जायगा। अयध्क्ष महोदय, पहले ही मैंने कहा कि विधेयक की योजना ऐसी सूरत के लिये जब कि एक प्रकृति का प्रकोप किसानों की फसल पर पड़ेगा। मेरी राय तो यह है कि जिस तरह से बाढ़, सूखा और ओला में पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये जब भी विपत्ति पड़े। क्योंकि यू० पी० की सरकार के खजाने में इस तरह की कमी नहीं है। यह बार-बार दोहराया जा चुका है कि अंग्रेजी जमाने में बारह करोड़ बजट से अब कर का भार जनता पर ९१ करोड़ का पहुंच गया है। और ९१ करोड़ रुपये में सरकार कहीं एक, दो लाख या १ करोड़ तक भी ऐसी दैवी विपत्तियों के निरोध के लिये खर्च कर देगी तो नामुनासिब न होगा। लेकिन आम बहस के समय भी और इस समय विरोधी पक्ष के लोगों की तरफ से यह दलील दी गई कि बिना विवेक और बिना योजना के सरकार ने यह विधेयक पेश किया। यही बात सरकारी तरफ से भी और दूसरे लोगों की तरफ से भी कही गई कि विवेकशीलता से काम नहीं लिया गया और काफी विवादग्रस्त प्रश्न इसमें छोड़ दिये जा रहे हैं कि जिन से कोर्ट आफ ला में इसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

माननीय मंत्री जी की दिक्कतों को देखते हुये कि वह मानते ही नहीं कि इसमें कोई सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, इस बात को देखते हुये भी और दूसरे, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसी सरकार के दल की तरफ से जब हम लोग कांग्रेस में थे, उस समय एग्रेरियन कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई थी। उसमें तो यहां तक लिखा गया था कि सवा छः एकड़ से ज्यादा की भूमि ही आर्थिक जोत है और उसमें सिपारिश की गई थी कि इतनी या इससे कम भूमि रखने वालों से कोई लगान ही न लिया जाय। सरकार अपने पुराने वायदे को भूल गई है और एक बिस्वा जमीन वालों से भी वह आज लगान लेती है। उस सिपारिश से मैंने इस संशोधन का संबंध जोड़ा है। मुझे तो इसमें यह रखना चाहिये था कि सवा छः एकड़ के किसानों की फसल अगर बरबाद हो तो उस सूरत में उससे तमाम कार्यवाही का खर्च नहीं लेना चाहिये लेकिन माननीय मंत्री जी ने अगर ऐसा नहीं किया, इसलिये मैंने केवल सवा तीन एकड़ रखा।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देहातों में परिवार कितने लम्बे-लम्बे होते हैं और किसानों की क्या दशा है। यह सवा तीन एकड़ वाले किसान से तो लगान लेने की बात भी नहीं सोची जा सकती, लेकिन उसके बाद अब आप दैवी विपत्ति आने पर उसकी फसल बरबाद होने पर, उससे निरोधशील उपायों के लिये रुपया वसूल करेंगे तो यह मैं समझता हूं कि उचित न होगा। इसलिये मैंने यह व्यवस्था की है कि सवा तीन एकड़ से कम खेती वाले किसानों से इस निरोध के उपाय में जो खर्च हो, वह न लिया जाय और वह खर्च स्वयं सरकार दे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा विवेकपूर्ण संशोधन इस विधेयक के संबंध में अभी तक मिला नहीं होगा और इसमें कोई उनको आपत्ति भी नहीं होनी चाहिये और वे पहली बार कोई विवाद का मौका न देते हुये और सदन का समय नष्ट न कर, इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री हुकुमसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरमीम के मंजूर होने का असर यह होगा कि कोई शख्स, जिसको डाइरेक्शन दिये जायेंगे फलां फलां काम करने के लिये, कीटाणुओं को नष्ट करने के लिये, वह कोई भी करने के लिये तैयार न होगा। वह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे फिर हर मामले में, हर जगह पर सरकार को ही करना पड़ेगा।

यह कहा जाता है कि सरकार खर्च बरदाश्त करे। सरकार कहीं दूसरी जगह से तो पैसा लायेगी नहीं। कर के जरिये से और लीगल तरीके से जो आमदनी होती है वही पैसा खर्च होता है। अगर पैसे की कमी होती है तो वह जनता से वसूल करनी पड़ेगी। तो उस हालत में उन से वसूल करना पड़ेगा जिनकी कोई जिम्मेदारी अव्वल नहीं थी, जिनके खेतों में कीटाणु नहीं थे, उनको कर देना पड़ेगा और जिस के खेत में कीटाण हैं और उनको आदेश किया जाय कि इसको खत्म करो और वह खिलाफवरजी करें तो वे आजाद रहें और दूसरे लोग उसके लिये अदा करें। यह मुनासिब नहीं है और इसमें यह दिक्कत है, इसलिये मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता हूं।

*श्री राजनारायण--श्रीमन्, अब तो यह संशोधन कम से कम माननीय मंत्री जी को मान ही लेना चाहिये था और ऐसी हालत में जब कि माल मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, उनको कोई परेशानी भी नहीं है। इसको देखें, श्रीमन्, आप स्वतः कि कितनी सूझ बूझ के साथ यह संशोधन यहां पर प्रस्तुत किया गया है और कितना कंस्ट्रक्टिव कितना रचनात्मक सुझाव यह है। मगर यह सरकार ऐसी परिपाटी में पली है कि जो उसकी नीति के विरुद्ध हो, चाहे वह कितना ही कंस्ट्रक्टिव हो, उसको यह डैसट्रक्टिव कह देगी और जो उसकी नीति से मेल खाये चाहे वह समाज व्यवस्था के लिये कितना ही डैसट्रक्टिव हो, उसको कांस्ट्रक्टिव मान लेगी। तो अब क्या सुझाव कांस्ट्रक्टिव होता है। क्या डैसट्रक्टिव होता है इस पर न जाकर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सवा तीन एकड़ से कम भूमि वाले किसान से संबंधित किसी भी निरोधशील अथवा औपचारिक विषय को सरकार स्वयं करेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब इससे बढ़कर रचना का काम क्या हो सकता है और जमींदारी उन्मूलन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको देखा जाय तो उसमें १, एकड़ २ एकड़, ३ एकड़, ४ एकड़ तक की जमीन रखने वाले किसानों को पहले के लगान में कमी करने की व्यवस्था थी। ८ आने, ६ आने, ४ आने, २ आने इस तरह से यह सिफारिश की गई थी कि इनके लगान में कमी कर दी जायगी। मगर मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन, जो कानून है उसके लागू होने के बाद से किसी किसान के लगान में कमी नहीं हुई है, बल्कि उसके लगान में वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा। तो एक तरफ तो श्रीमन्, किसानों के लगान में वृद्धि हुई है, दूसरी तरफ किसान अपने खेत की उपज से जो सामान पैदा करता है उसको बेच करके जो बड़े बड़े कल कारखानों से सामान मिलता है उसके ज्यादा दाम उसे देने पड़ते हैं। एक वाक्य में मेरे कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो खेती से पैदा होने वाला धन है, उसकी कीमत जो कल कारखानों में पैदा होने वाला धन है, उसकी कीमत के बनिस्बत कम रहती है, यानी न्याय के आधार पर मिलों से पैदा होने वाले सामान और खेती से पैदा होने वाले सामान में संतुलन यह सरकार स्थापित नहीं कर पायी है, ऐसी हालत में किसान बेचारा कितनी तरफ मारा जायगा, उसके लगान में भी वृद्धि हुई उपज की कीमत समुचित न मिले और जो उसके जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक सामग्रियां हैं उन सामग्रियों को भी वह महंगे दाम पर पाये और इसके अतिरिक्त उसके ऊपर तरह तरह के नित्य प्रति के बढ़ते हुये करों का बोझ हो, चाहे ग्राम पंचायत ऐक्ट के द्वारा कर लगाया गया हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा लगाया गया हो, चाहे म्युनिसिपल बोर्ड के द्वारा लगाया गया हो, चाहे चकबन्दी का कर हो, पचासों तरह के नये नये करों के बोझ से किसान दबता चला जा रहा है। तब ऐसी हालत में जब किसान की दशा इतनी दयनीय कर दी गई, अगर रामनारायण जी यह कहते हैं कि सवा तीन एकड़ से कम भूमि वाले जो किसान हैं और अगर उसकी फसल में कोई रोग है तो सरकार का कर्तव्य है कि सरकार दवा छुड़वाये, क्योंकि सरकार पहले ही किसानों से इतना टैक्स चूस चुकी है कि अब किसान के ऊपर यदि सरकार उनकी मुसीबत में कुछ सहायता के रूप में दे देती है तो कोई हर्ज नहीं माना जाना चाहिये और इस हमारे संशोधन को भी माननीय मंत्री जी कहेंगे कि यह तो डैस्ट्रक्टिव है तो श्रीमन्, मैं आप ही को अपनी सहायता के लिये कहूंगा और चाहता हूं कि इस सदन के लोग इस बात को समझें कि आखिर इससे भी बढ़कर कोई रचना का सुझाव हो सकता है।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य मान जायं। फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को नहीं मानेंगे तो किसानों के ऊपर आफत रहेगी। क्योंकि श्रीमन्, इधर जब मैं कुछ पश्चिमी जिलों में गया हुआ था, पूर्व में गया हुआ था इतने जोरों के कीटाणु इस समय लग रहे हैं और इतने व्यापक पैमाने पर फसल नष्ट हो रही है कि अगर किसानों की सहायता के लिये यह सरकार तत्काल समुचित कदम नहीं उठाती है तो किसान तबाह हो जायगा। इसलिये हम जरूर चाहते हैं कि सरकार की ओर से दवा छिड़ की जाय सरकार उस खर्च को वहन करे, क्योंकि श्रीमन्, जहां तक पूर्वी जिलों का सवाल है आपको जानकारी में भी यह बात आयी हुई है कि सारे के सारे जिले करीब १४, १५ जिले बाढ़ से इतने पीड़ित हो गये हैं, उनकी फसलें इतनी नष्ट हो गई हैं आलरेडी कि वह किसान अपने खाने को भी नहीं जुटा पा रहा है, भुखमरी की हालत पैदा होती चली जा रही है। हर जिले में यही हाल है। बनारस के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि बनारस तहसील के इलाके को जाकर के कोई सरकार का कर्मचारी देखे, सरकार किसी कर्मचारी को भेजकर जांच कराये तो वहां पर जो फसल बची हुई है जैसे सनई है, गन्ना है, उसमें भी कीटाणु ऐसे लग गये हैं कि उन्हें वह वहीं काटे दे रहे हैं और वह सूखे जा रहे हैं। सारे का सारा पौधा सूखता जा रहा है। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को सरकार मान ले, ताकि जो छोटे-छोटे किसान हैं, तीन एकड़ के, सवा तीन एकड़ के उनको कुछ राहत मिले और साथ ही एक निवेदन और करना चाहते हैं कि

[श्री राजनारायण]

यदि इस विधेयक के पास होने में सरकार कुछ विलम्ब समझती हो तो सरकार जो पहले के सहायता करने के कानून बने हुए हैं उन कानूनों के मातहत ऐसी दवा छिड़काने की व्यवस्था करे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन का समर्थन करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को माननीय मंत्री जी मान लें।

श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---श्रीमान जी, मैं इस विधेयक को जो सदन के सम्मुख प्रस्तुत है बहुत महत्वपूर्ण विधेयक समझता हूं। साथ ही साथ इस विधेयक में जो यह अमेंडमेंट आया गया है, रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे ऐसा समझता हूं कि अगर उसको मान लिया जाता है तो विधेयक की आत्मा ही खत्म हो जाती है। दुनिया में जहां जहां भी जनक्रान्ति हुई वहां तीन तरह के आदमी थे। कुछ लोगों ने तो जन क्रान्ति की, कुछ लोगों ने जनक्रान्ति के बाद जन हित कार्य में भाग लिया और कुछ लोग ऐसे रहे जो कि उस देश के कार्यों में हिस्सा बटाना नहीं चाहते थे। उन लोगों के लिये और उन चीजों के लिए जो उस देश के हित में नहीं थीं ठीक करने में हर देश ने अपने अपने ढंग से उपाय किया। ऐसे लोगों के लिए उपाय ढूंढ़ा गया। रूस ने अपना उपाय ढूंढ़ा अपने ढंग से, चाइना ने अपने ढंग से, और हिन्दुस्तान ने भी, हमने ऐसी चीजों के लिये जो कि हमारे जनहित के लिए न थीं, लोगों को समझाने की कोशिश की, उनसे आरजू की, मिन्नत की। जब आरजू और मिन्नत से काम नहीं हुआ तो हमने इस सदन में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक वैसी ही बात इस विधेयक के सम्बन्ध में भी है। इस विधेयक को बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। मैं इसके पहले कि इस विधेयक पर और बातें करूं, हर देहाती भाई जानता है कि हर साल नहीं तो, एक दो साल के बाद टिड्डियों की फौज आ जाती है। सरकार ने, टिड्डियों के निवारण के लिए देहात में तेल का इन्तजाम कराया, टिन रखवा दिये, लेकिन मैंने देखा कि उस तेल को लोगों ने अपने निजी काम में खर्च कर लिया और टिन इधर-उधर फेंक दिया। जब सरकार ने देखा कि इससे काम नहीं चलता तो विधेयक के रूप में इसे प्रस्तुत किया। बहुत से लोग थे जिन्होंने सरकार के आदेश को समझा। सरकार के नियमों को समझा और उनका पालन करने की कोशिश की। लेकिन जिन लोगों ने हमारे समझाने-बुझाने पर गौर नहीं किया उनके लिए यह विधेयक इस सदन में आया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन मान लिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि वह तमाम बिल बेकार और निष्प्राण हो जाता है। अगर वे लोग जो हमारी मंशा को, जो कि गजट में पहले ही प्रख्यापित हो जाती है, नहीं मानते हैं और न मानने के बाद भी यदि सवा तीन एकड़ के नीचे वाले आदमियों को छोड़ दें, उनके औपचारिक उपाय का व्यय सरकार स्वयं वहन करे और उनकी इस जमीन की मालगुजारी को माफ कर दें तो इससे मतलब यह होता है कि हम ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि करेंगे जो सरकारी आदेश को नहीं मानेंगे और इस प्रकार हम इस समाज उच्छृंखल लोगों के प्रजनन करने में सहयोग देंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट को न माना जाय, क्योंकि यह अमेंडमेंट इस बिल की आत्मा का हनन करता है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उत्तर में माननीय कृषि मंत्री ने जो जवाब दिया, मैं समझता हूं कि आज तक उन्होंने किसी भी संशोधन या किसी भी प्रश्न के उत्तर में इतनी लचर दलील नहीं दी होगी, जितनी कि आज दी। उन्होंने यह कहा कि अगर आज हम इस संशोधन को मान लेंगे तो उसका मतलब यह होगा कि कोई आदमी इस कानून को नहीं मानेगा। कोई नहीं मानेगा, यह समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें जो माननीय त्रिपाठी जी ने रखा है वह उनके लिये रखा है, जिनके पास सवा तीन एकड़ से कम जोत है। लेकिन इससे तो जो ३ १।४

एकड़ से अधिक जमीन वाले हैं उनके ऊपर असर अवश्य पड़ेगा ही यदि इसको मान लें। तो यह कहना कि कोई भी इसको नहीं मानेगा, यह मेरी समझ में नहीं आया। सीधे यदि वह यह कहते कि हम नहीं मानते तो बहुत कुछ सही होता, लेकिन मैं समझता हूं कि यह संशोधन जन हित में, खास तौर से जो कृषक वर्ग हैं, उसके हित का है। क्योंकि प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या उन कृषकों की है जिनके पास सवा तीन एकड़ या इससे कम जमीन है। यदि वह सरकारी आदेश को नहीं मानता है तो जो धाराएं पास हो चुकी हैं उनके मुताबिक गवर्नमेंट मालगुजारी के तरीके से खर्चा वसूल कर लेगी। वह तो इसलिए खेती नष्ट नहीं करना चाहेगा कि अगर उसकी कृषि में रोग हो गया है तो यदि नष्ट नहीं करता है तो भूसा तो प्राप्त हो ही जायगा, थोड़ा बहुत गल्ला ही प्राप्त हो जायगा। लेकिन अगर सरकारी आदेश के अनुसार नष्ट करता है तो उसे खेती की मदों में से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब यह होगा कि या तो वह भिखारी हो जाय या कानून का उल्लंघन करके डाके डाले या चोरियां करे। क्योंकि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है कि वह आदमी जिसके पास ३ १/४ एकड़ जमीन है, वह क्या करेगा। मैं समझता हूं कि इस परिस्थिति में जब कि उसके पास केवल सवा तीन एकड़ ही जमीन हो, उसको जब रोग का निवारण करना होगा तो सरकार को ही उसका व्यय बरदाश्त करना चाहिये। जैसा बताया गया है कि जमींदारी अबालीशन ऐक्ट यहां पेश हुआ था और उसके संशोधन भी जो पेश हुए तो उसमें यहां अलाभकर जोतों के विषय में काफी चर्चा हुई और सवा तीन एकड़ की जोत अलाभकर मान ली गयी। अगर खेत की फसल अच्छी होती है तब भी अलाभकर है, तब भी उसका भरण-पोषण नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा अगर उसकी इस खेती को भी नष्ट कर दिया जाय। इतना ही नहीं बल्कि जो व्यय होगा उसे भी उससे वसूल किया जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन बहुत ही अच्छा है। सरकार का कोई नुकसान नहीं है। मंत्री जी ने यह भी दलील दी थी कि सरकार किस तरह से रुपया वसूल करेगी। मैं समझता हूं कि सरकार अगर चन्दा भी लगाये, टैक्स भी लगाये तो उसको बहुत थोड़ा हिस्सा टैक्स में पड़ जायगा, लेकिन बहुत सा रुपया ऐसी खेती को नष्ट करने में लग जायगा, तो अकेले किसान को ही वहन करना पड़ेगा। तो यह जो संशोधन है, बहुत ही उपयुक्त है और माननीय मंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री हुकुम सिंह--मुझे अब इसमें विशेष कहना नहीं है। शुरू में कह दिया।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सवा तीन एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से सम्बन्धित किसी भी निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय का व्यय सरकार स्वयं वहन करेगी"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ७-क

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं कि खंड ७ के बाद नया खंड ७-क निम्न रूप में रख दिया जाय--

"७-क--किन्तु निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय के बाद भी यदि किसी गांव, क्षेत्र या इलाके में हानि की मात्रा अत्यधिक हो या सम्पूर्ण हो। ऐसी दशा में औपचारिक उपाय का व्यय लेना आवश्यक न होगा।त

[श्री रामसुभग वर्मा]

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह है कि सरकार उन क्षेत्रों में जहां कि कीटों से फसलों का नुकसान हो गया हो, वहां पर जिस तरह से मालगुजारी का बकाया वसूल करती है, कुर्की वगैरह करके उसी तरह से जो व्यय औपचारिक उपाय में होगा उसको वसूल करेगी। हमारे संशोधन का मतलब यह है कि सरकार उन कीड़ों का नाश करने के लिये अपनी तरफ से जो भी उपाय किया हो वह उपाय करने के बाद वह फसल आधी नष्ट हो गई हो या सम्पूर्ण नष्ट हो गई हो तो उससे वह खर्च वसूल न किया जाय। यही हमारे संशोधन का मंशा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से मुझे एक बात याद आयी कि कोई डाक्टर हो और उसकी दवाई की दूकान भी हो और जब वह किसी मरीज की दवाई करने लगे तो मरीज कह दे कि अगर सम्पूर्ण फायदा न होगा या मर्ज अच्छा न होगा तो दवाई के दाम न लीजिये। मैं यह कहता हूं कि इसमें यह कहा गया है कि अगर नुकसान अत्यधिक हो। अब यह कौन निर्णय करेगा। इसमें कोई डेफीनीशन नहीं है कि कितनी अत्यधिक है, ऐसी सूरत में यह उसूलन गलत है। इसको कौन जान सकता है, उपाय किये जाते हैं यह सोचकर कि तत्काल फायदा करेगा। लेकिन बहुत सी जगह उपाय करने के बावजूद भी पूरी सफलता नहीं होती है। तो ऐसी सूरत में यह कहना कि जिस खेत में कीटाणु होंगे या जो नष्ट किये जायंगे और नष्ट इस गरज से किये जायंगे कि दूसरे खेतों को नुकसान न पहुंचे। अगर बावजूद इसके कुछ नुकसान हो भी जाय तो जिन खेतों में कीटाणु थे और जो नष्ट किये जायं और जो उसमें अखराजात किये जायं कि जिससे दूसरों को नुकसान न पहुंचे। तो उनको कौन देगा। सरकार दे, लेकिन सरकार कहां से लाये, उन लोगों से लाये जिनका इससे कोई वास्ता नहीं है, कर के ढंग से या किसी और दूसरे तरीके से लाये और जिनको खर्चा बरदाश्त करना चाहिये था, उनको माफ कर दिया जाय। ऐसी सूरत में इस संशोधन को मैं किसी भी तरीके से ठीक नहीं समझता हूं और लगान की छूट वगैरह का सवाल कहा गया तो वह बात तो मेरी समझ में नहीं आई कि इसका इससे क्या सम्बन्ध है। अगर किसी इलाके में कोई नैचुरल कैलेमिटी हो जाय तो उसके लिये खास-खास प्राविजन रेवेन्यू मैनुअल में हैं और उसकी रू से सहायता दी जाती है और छूट भी मिलती है। इनका इससे कोई सरोकार या वास्ता नहीं मालूम होता है। मैं इस तरमीम को उसूलन गलत समझता हूं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की, जो श्री रामसुभग वर्मा जी ने संशोधन उपस्थित किया है, उस दलील को सुनने के बाद तैयार हुआ हूं ताकि मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन कर सकूं कि माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी जी ने एक ऐसा ही मिलता-जुलता संशोधन खंड ७ के बाद प्रतिबन्धात्मक रूप में रखने की चेष्टा की थी, जिसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। इसमें है "किन्तु निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय के बाद भी यदि किसी गांव, क्षेत्र या इलाके में हानि की मात्रा अत्यधिक हो या सम्पूर्ण हो तो ऐसी दशा में औपचारिक उपाय का व्यय लेना आवश्यक न होगा।" इसमें सम्पूर्ण हानि होने की दशा में जो माननीय मंत्री जी ने क्लेरीफिकेशन दिया है, मैं उससे हैरान हूं। इसमें गुंजायश तो यह है कि यह जितनी चाहें माफी दे सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि पूरी माफी कर दी जाय या पूरा लगान माफ कर दिया जाय। इसमें गुंजायश है कि माफी दी जाय, पूरी दी जाय, आधी दी जाय या थोड़ी दी जाय, लेकिन दी जाय। माननीय रामसुभग वर्मा जी के संशोधन का तात्पर्य यही है। यहां माननीय मंत्री जी ने डाक्टर वाली कहानी कही है यह तो एक ठगने की सी बात है, मदारीपने की बात है यदि धृष्टता क्षमा हो।

आजकल अपने देश में नियम प्रचलित है कि डाक्टर लोग रोग को दूर करने का ठेका लेते हैं। जनता की भलाई के लिये सरकार कोई काम करती है और वह भी बहुत से ठेके लेती है, वह हमारी सुरक्षा का ठेका लेती है, हमारे खाने-पीने का ठीका लेती है वह एक नहीं बहुत से ठेके लेती है। यदि अत्यधिक या सम्पूर्ण नुकसान होता है और औपचारिक उपाय किये जाते हैं और फिर भी असफलता मिलती है तो उस नुकसान पर सरकार को गुंजायश है और वह गुंजायश के साथ माफी दे सकती है, चाहे लगान में हो या औपचारिक उपाय में हो। इसलिए मैं माननीय वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करते हुये माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह एक बार फिर विचार करेंगे। यदि माननीय मंत्री जी स्वयं उसके ऊपर विचार करेंगे तो उनको मालूम होगा कि जो संशोधन रखा गया है वह सही है और उसको वह मान लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रामसुभग वर्मा जी के संशोधल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जो धारा है उस धारा में साफ बताया गया है कि अधिवासी से मालगुजारी की तरह से यह व्यय वसूल किया जायगा। रामसुभग वर्मा जी यह चाहते हैं—"किन्तु निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय के बाद भी यदि किसी गांव, क्षेत्र या इलाके में हानि की मात्रा अत्यधिक हो या सम्पूर्ण हो तो ऐसी दशा में औपचारिक उपाय का व्यय लेना आवश्यक न होगा।" सिर्फ संशोधन यह है कि जिस गांव में जितना रकबा हो और जितने रकबे में यह रोग पैदा हो उस रोग को दूर करने में सरकार का जितना रुपया व्यय हो चुका हो और उसके लिये इतना नुकसान हो गया हो कि रोग से कोई एकड़ जमीन बची न हो तो ऐसी अवस्था में रामसुभग वर्मा जी का यह संशोधन है कि सरकार उस व्यय में कुछ छूट दें। मालगुजारी में छूट देने की मांग इसमें नहीं की गयी है...।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२३ अगस्त, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९७ पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के ७वें मंगलवार के लिये श्री बशीर अहमद हकीम के तारांकित प्रश्न संख्या २३ के उत्तर में उल्लिखित सूची :—

क्रम-संख्या	व्यक्ति का नाम व पता	स्वीकृत तकावी की धनराशि	कार्य जिसके लिये तकावी दी गई	तकावी देने की तारीख
		रु०		
१	श्री गोबरे, सरावां	५००	पक्का कुआं	१२–३–५३
२	श्री गजराज सिंह, कटियारा	५००	पक्का कुआं	१७–७–५४
३	श्री सन्ती दीन, नकुरी कलां	५००	पक्का कुआं	१६–१२–५४
४	श्री हरी शंकर, लहरपुर	५,०००	नलकूप	१४–१–५५
५	श्री रामकृष्ण, लहरपुर	५,०००	नलकूप	१४–१–५५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९९ पर)

सीतापुर जिले में सन् १९४८–४९ से १९५३–५४ तक नहरों के विस्तार की सूची

क्रम-संख्या	नाम	नहरों के विस्तार का विवरण			ग्रामों के नाम जिनमें विस्तार हुआ
१	२	३			४
		मी०	फ०	फीट	
१	धीरपुर डिस्ट्रीब्यूटरी ..	१	४	०	गुररेया, परगना लाहरपुर, पिपरौसा और जमुनापुर, परगना मिसरिख।
२	इस्लाम नगर डिस्ट्रिब्यूटरी (extension) ..	०	६	४९५	
३	सौरा माइनर ..	०	६	३३०	रिसौरा, दारानगर व गद्दीपुर, परगना रामकोट।
४	किरातपुर माइनर ..	१	१	०	मुजफ्फरपुर, अलभापुर, कीरतपुर व मनुआ, परगना मनुवा, तहसील सिधौली।
५	कुन्डरिया माइनर ..	१	७	१०	कुन्दरिया व कसंवा, परगना मनुवा, तहसील सिधौली।
६	दरियाबाद शाखा (सिरे से मील २१ तक) ..	२१	०	०	मीरा हरिहरपुर, शाह जलालपुर, हसंवापुर, रामपुर, घेरवां, धोकलगंज, मिठगवां खुर्द व कांधनी, परगना बिसवां, तहसील सिधौली। सराय बल्देवसिंह, करसांडा, गढ़ी, करानदी, नखौराजपुर, जगदीशपुर, धावन, केयना, हार्दिया, सांढना, जलालपुर, भरतपुर, बीरसापुर चौरिया, भटीपुर चौरिया, सिभरा, कबरा, खरन्देशनगर, देहवां, भगरूरी, अलोया, बलेग्या, दूलरपुर, खेरिया, नीलगांव, बेहमा, ऊंचाखेडी, डलमऊ, अहमदपुर, तहकवा, असोंधन, रामनगरा खुर्द और जरौरा, परगना बारी, तहसील सिधौली। धारनगर, ग्रान्ट, परगना मनवा, तहसील सिधौली। बिरासी, बरोलिया, चुनका, महमूदपुर कलां, देवकसिया, दरियापुर, धुरौता, खडेडरा, बनेहरा, पचदेवरा,

क्र० सं०	नाम	नहरों के विस्तार का विवरण			ग्रामों के नाम जिनमें विस्तार हुआ
१	२	३			४
		मी०	फ०	फीट	शिस्तापुर, गुलौली, सोलरपुर, बिलासपुर, शेखपुर, कांधनी, बभ्हौरी और भहरामऊ, परगना महमूदाबाद, तहसील सिधौली।
७	भंडिया डिस्ट्रीब्यूटरी (extension)	१४	७	०	सराय बल्देवसिंह, करसांडा, जरौरा, न्याराजपुर खुर्द, बरेठा, कसमंडा, सीतारपुर, सौरया, विशुनदासपुर, धावन, साढना, जहांगीरपुर, छाजर, कतसाय, रामदाना, खजुरिया, बिलरिया, सतगवां, हदुआ, बहेवा, मिठौरा, भालपुर, मिसरी और नीलगांव, परगना बारी, तहसील सिधौली।
					बांस खेरा, पहाड़पुर और दारानगर ब्राञ्च, परगना मजुवा, तहसील सिधौली।
८	सिधौली डिस्ट्रीब्यूटरी ..	१	५	८२	गढ़ी रावन, सरसौली, मुकीमपुर, अकोहरा और धानीपुर, परगना बारी, तहसील सिधौली।
९	गाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी ..	१	३	४३०	अकबरपुर, उनई, दखिनवां, बासखेड़ा, छावन, गुनेराव हिम्मतनगर, परगना मनुवा, तहसील सिधौली।
१०	मुजफ्फरनगर डिस्ट्रीब्यूटरी (extension) ..	०	३	३३०	बीरसापुर, धीरावां, पैगम्बरपुर, अम्बरपुर, परगना मनुवा, तहसील सिधौली।
११	कचवा माइनर (extension) ..	०	६	७४	कठवा अलेपुर व हिम्मतनगर, परगना मनुवा, तहसील सिधौली।
१२	टिकौली	०	६	०	मऊ, हरिपुर व गुलरहा, परगना मनुवा, तहसील सिधौली।
१३	अतरिया	०	४	४४	रीवां कलां, अटरिया सराय, अकबरपुर, रसूलपुर व सनांवा परगना मनुवा, तहसील सिधौली।
१४	कुवंरपुर	१	५	१२०	लहुरेवां, जैपालपुर व ढूंढपुर, परगना मनुवा, तहसील सिधौली।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०८ पर)

आगरा जिले में सरकारी साधनों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र सन् १९४५–४६ और सन् १९५३–५४ में निम्नांकित था:—

सन्	खरीफ	रबी	योग
	एकड़	एकड़	एकड़
१९४५–४६	४४,८६१	१,३१,०३४	१,७५,८९५
१९५३–५४	३७,०८५	१,३५,९५०	१,७३,०३५

अमर पदुर्ग संस्था

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०९ पर)

गंगा नहर के सन् १९४५–४६ और १९५३–५४ के सिंचित क्षेत्र के आंकड़े निम्नांकित हैं :—

१९४५–४६

	खरीफ एकड़	रबी एकड़	योग एकड़
अपर गंगा नहर	६,००,९८२	८,८४,५५१	१४,८५,५३३
लोअर गंगा नहर ..	३,२६,०११	७,७१,०४४	१०,९७,०५५
योग ..	९,२६,९९३	१६,५५,५९५	२५,८२,५८८

१९५३–५४

	खरीफ एकड़	रबी एकड़	योग एकड़
अपर गंगा नहर	७,०८,८२२	१०,४५,०३१	१७,५३,८५३
लोअर गंगा नहर ..	३,७३,८९०	७,४४,७११	११,१८,००१
योग ..	१०,८२,११२	१७,८९,७४२	२८,७१,८५४

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'ङ

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०९ पर)

आकस्मिक व अल्पकालीन कार्य

चित्र (अ) कार्य जिन पर निर्माण आरम्भ हो चुका है —

क्रम-संख्या	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	खर्च जो हो चुका है	१९५५-५६ के लिये धनराशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	कार्य की प्रगति का संक्षिप्त विवरण
				रु०	रु०	रु०		
१	घाघरा	आजमगढ़	हाहानाला बन्द का निर्माण	४,५०,०००	१,००,०००	३,००,०००	२२,४०० एकड़	१.२ करोड़ घनफुट अनुमानित मिट्टी के कार्य में से २० लाख घनफुट कार्य हो चुका है। एक मील की लम्बाई में कार्य प्रगति में है।
२	..	..	पी० डब्लू० डी० की सड़कों पर जलमार्ग और पुलियों का विस्तार	१,२८,०००	..	..	जिला आजमगढ़	कार्य मुख्य अभियन्ता पी० डब्लू० डी० (बी० एण्ड आर०) ने आरम्भ कर दिया है।

चित्र (ब) योजनायें जिनके तखमीने स्वीकृत हो चुके हैं और जिन पर कार्य आरम्भ होगा—

क्रम-संख्या	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	१९५५-५६ के लिये धनराशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में
१	घाघरा	आजमगढ़	घाघरा नदी के किनारे के ५१ जलमग्न ग्रामों की रक्षा।	योजना की कुल अनुमानित लागत का ५० प्रतिशत (रु० ९,९१,०००) जो कि आजमगढ़ और बलिया जिलों के लिये है।	१,००,०००	५१ गांव आजमगढ़ जिले में।

चित्र (स) कार्य जो जांच-पड़ताल के अन्तर्गत है और जिनके तखमीने बनाये जा रहे हैं—

क्रम-संख्या	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	१९५५-५६ के लिये धनराशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	टिप्पणी
१	घाघरा	आजमगढ़	माहोला-गदवल बन्द का निर्माण।	३०,००,०००	१५,००,०००	८८,१६४	योजना सेंट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन की जांच के अन्तर्गत है।

दीर्घकालीन कार्य

चित्र (द) दीर्घकालीन कार्य जिनकी जांच-पड़ताल हो रही है—

क्रम-संख्या	नदी का नाम	सम्बन्धित जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	यदि कोई खर्च हो चुका है	१९५५-५६ के लिये धनराशि	जिलेवार लाभान्वित क्षेत्र एकड़ों में	अब तक किये गये कार्य का विवरण तथा भविष्य का प्रोग्राम
१	घाघरा	आजमगढ़	घाघरा नदी के किनारे खेतों के क्षेत्रों की कटाव से रक्षा (अयोध्या से बिहार के बार्डर तक)	अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया	९	अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१० पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९५५ के ७वें मंगलवार के लिये श्री महीलाल के तारांकित प्रश्न ५९ के उत्तर में उल्लिखित अनुसूची —

वर्ष	नाम तहसील	रहट के कुओं के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या	कृषकों की संख्या, जिनको ५०० रु० प्रति कुएं की दर से तकावी दी गई	कृषकों की संख्या जिनको १०० रु० प्रति कुएं की दर से राज्य सहायत दी जायगी
१९५४-५५	मुरादाबाद	३६	३६	२४
	अमरोहा	२००	१९४	१३०
	बिलारी	५६	५६	४०
	सम्भल	१५०	१३४	४०
	हसनपुर	२००	१७९	५५
	ठाकुरद्वारा	११	११	११
योग..		६५३	६१०	३००

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३–६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ४१० पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९५५ के ७वें मंगलवार के लिये श्री बाबूराम गुप्त के तारांकित प्रश्न संख्या ६३–६४ में उल्लिखित अनुसूची ।

संख्या	वर्ष	तहसील का नाम	स्थान का नाम	तकावी की धनराशि जो दी गई	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६
१	१९५३–५४	एटा	खेत संख्या १४२९	१०,०००	नलकूप पूर्ण हो गया
२	,,	,,	मानपुर खेत संख्या ७६२	१५,०००	नलकूप पूर्ण हो गया
३	,,	,,	बराई खेत सं० २६६५	६,०००	..
४	,,	,,	पिवारी खेत सं० ९०९	४,०००	..
५	,,	,,	नग्ल गलू मजरा बसुन्दरा	३,०००	नलकूप पूर्ण हो गया
६	,,	,,	उमरपुर	२,०००	..
७	,,	,,	सोगरा खेत सं० २२३०	२,०००	..
८	,,	,,	साकित	२,०००	नलकूप पूर्ण हो गया
९	,,	कासगंज	यूसुफपुर	२,०००	..
१०	,,	,,	बघला	२,०००	..
११	,,	,,	मिर्जापुर	२,०००	..
१२	,,	,,	पहारपुर कटरा	४,०००	नलकूप पूर्ण हो गया
१३	,,	,,	कुमारेवां	४,०००	..
१४	,,	,,	कैन्डी	१०,०००	नलकूप पूर्ण हो गया
१५	,,	,,	मुजफ्फरपुर हसनपुर	२,०००	..
१६	,,	,,	मढ़का	२,०००	..
१७	,,	,,	मुजफ्फरपुर	२,०००	..
१८	,,	,,	मन्सोरा खुर्द	१५,०००	..
१९	,,	,,	गोरहा	५,०००	..
२०	,,	,,	कासगंज	२,०००	..
२१	,,	,,	बरागांव	१०,०००	..
२२	,,	,,	चन्दपुर मेमरा	२,०००	..
२३	,,	,,	सिरपुरा	४,०००	..
२४	,,	अलीगंज	नग्वा छेहका	५,०००	नलकूप पूर्ण हो गया
२५	,,	जलेसर	प्लाट सं० ३१५२	२,५००	नलकूप पूर्ण हो गया
		योग, १९५३–५४	..	१,१९,५००	
२६	१९५४–५५	एटा	साकित खसरा सं० २०४६	५,०००	.. ..
२७	,,	,,	भागीपुर खेत सं० ३४७	५,०००	..
२८	,,	,,	सुन्ना सहोरी	५,०००	..
२९	,,	कासगंज	खेरपुर	५,०००	..
३०	,,	,,	श्यामसर	५,०००	..
३१	,,	,,	पचोरा	५,०००	..
३२	,,	,,	छावनी	५,०००	..
३३	,,	,,	सोरोन	५,०००	..
३४	,,	अलीगंज	नगला छेहका के पूरब-दक्षिण	५,०००	.. ..
३५	,,	,,	नगला बाबरी के पश्चिम	५,०००	..
		योग, १९५४–५५	..	५०,०००	..

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१३ पर)

तालिका

वर्ष		मुंसिफ			सिविल जज		
		स्वीकृत शक्ति	काम करने वाले अफसरों की संख्या	रिक्त स्थान	स्वीकृत शक्ति	काम करने वाले अफसरों की संख्या	रिक्त स्थान
१९५३	..	१६१	१३४	२७	५६	३९	१७
१९५४	..	१६१	१६१	—	५६	३९	१७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा
उत्तर प्रदेश